द्वितीय माला, खण्ड ८—अंक ४
१४ नवम्बर, १९५७ (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

231 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ८, अंक १—१०, ११ से २२ नवम्बर, १९५७)

	पृष्ठ
अंक १, सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, २८, ५ से ७, ९ से ११, १३ से १५ और १७ से २४ ।	१–२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८, १२, १६, २५ से २७, और २९ से ३६	२५–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ३२	३२–४४
श्री सारंगधर दास तथा श्री आर० एस० शर्मा का निधन . .	४५
स्थगन प्रस्ताव—	
१. बड़ानगर में रेल दुर्घटना . . .	४५–४६
२. उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में अनेक क्षेत्रों में तथा कथित सूखे की कथित स्थिति तथा भुखमरी . .	४६
३. रामनाथपुरम् जिले में दंगे . . .	४६–४७
४. पुनर्वास मंत्री-सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य . .	४८
सदस्य की गिरफ्तारी तथा अपराधी ठहराया जाना . . .	४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४८–५१
राज्य सभा से सन्देश	५१
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया .	५१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५१–५२
दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२
दिल्ली विकास विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२
नौसैना विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२

	पृष्ठ
विधेयकों सम्बन्धी साक्ष्य—सभा पटल पर रखे गये . .	५२
तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर की शुद्धि . . .	५२–५३
अपराधी परिवीक्षा विधेयक—पुरःस्थापित .	५३
सभा का कार्य	५३
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	५३–६३
खण्ड २ और १ . .	६२
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६२
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६३–८६
कार्य मंत्रणा समिति	८६
दसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	८७–९४
अंक २, मंगलवार, १२ नवम्बर, १९५७	
श्री तैयबजी का निधन	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६
अंक ३, बुधवार, १३ नवम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ७५ से ९० . . .	९७–१२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७ से ७४, ९१ से ९८ और १०० से १२७	१२१–५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ से ९७, ९९ से १०१, १०३ से १०६ और १०८ से १७७	१५०–२०७
स्थगन प्रस्ताव—	
पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य . .	२०७–०९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१०–११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोसमा में रेल गाड़ियों की टक्कर . . .	२१२
तारांकित प्रश्न संख्या १४५७ के उत्तर की शुद्धि . .	२१३
वित्त मंत्री द्वारा अपने विदेशी दौरे के बारे में वक्तव्य . . .	२१३
भारत का रक्षित बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२१३–१४

भारत का रक्षित बैंक अध्यादेश के सम्बन्ध में वितरण—सभा पटल पर रखा गया २१४

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन २१५

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २१५–२३

खण्ड २ से १५ और १ २१६–२३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २२३

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २२३–५२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २५२–६०

दैनिक संक्षेपिका २६१–७०

अंक ४, गुरूवार, १४, नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२८ से १३२, १३४ से १३६, १३८ से १४०, १४२, १४३, १४५, १४७ से १५० और १५२ से १५४ २७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३७, १४१, १४४, १४६, १५१ और १५५ से १६९ २९७–३०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २२५ ३०६–२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२४–२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

विजयवाडा-मद्रास सेक्शन में रेलवे लाइनों का टूट जाना ३२६

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३२६–४१

खंड १ तथा २ ३४०

पारित करने का प्रस्ताव ३४०

सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३४१–६४

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३६३

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३६४–६५

दैनिक संक्षेपिका ३६६–७०

अंक ५, शुक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७० से १८१, १८४ से १८६, १८८, १८९ और १९२ से १९४ . . . ३७१–९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . ३९७–४०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२, १८३, १८७, १९०, १९१ और १९५ से २०६ . . . ४०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६ से २४०, २४२ से २६५ और २६७ से ३०६ . . . ४०८–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४४७

सभा का कार्य . . . ४४८

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . ४४८–६२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ४६२

पदच्युत सरकारी कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति संबंधी संकल्प . . . ४६३–८१

फार्मिस्ट परिणामों के प्रमाणीकरण संबंधी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं को नियंत्रण करने के लिये एक संविहित निकाय की नियुक्ति संबंधी संकल्प . . . ४८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन . . . ४८२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८३–८७

अंक ६, सोमवार, १८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २०७ से २१४, २१७ से २१९, २२१ और २२२ . . . ४८९–५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५, २१६, २२०, २२३ से २२७ और २२९ से २३७ . . . ५१३–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ से ३४८, ३५० से ३५६ और ३५८ से ३६७ . . . ५२१–४४

स्थगन प्रस्ताव—

रामनाथपुरम् जिले में उपद्रव . . . ५४४–४६

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४६–४७

कार्य मंत्रणा समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन ५४६

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ५४७–८४

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये संशोधन स्वीकृत हुआ . . ५८४

नौ-सेना विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव . ५८४–९१

दैनिक संक्षेपिका ५९२–९५

अंक ७, मंगलवार, १९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २३८ से २४६, २४८ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २६० . . . . . ५९७–६२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २५१, २५५, २६१ से २६७, २६९ से २७७ और २७९ से २८१ . . . . . ६२३–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८ से ३९९ . . . ६३०–४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४४–४६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लक्खी सराय रेलवे स्टेशन पर विस्फोट . . . ६४६–४७

नौसेना विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ६४७–७४

खण्ड २ से ११ . . . . . ६६७–७४

दैनिक संक्षेपिका ६७५–७८

अंक ८, बुधवार, २० नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २८२ से २८७, २८९, २९१ से २९३, २९५, २९६, २९८ से ३०२ . . . . . ६७९–७०४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ७०४–०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, २९४, २९७, ३०३ से ३२३, ३२५ और ३२६ . . . . . ७०७–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४६८ . . ७१७–४४

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	७४४
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	७४५
नागा पहाड़ियां-तुएनसांग क्षेत्र विधेयक पुरःस्थापित किया गया	७४५
सभा का कार्य	७४५
वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	७४६–८३
दैनिक संक्षेपिका . . .	७८४–८८
अंक ६, गुरुवार, २१ नवम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ३२७ से ३३७, ३३६ से ३४१ और ३४३	७८६–८१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३४४ से ३४८ और ३५० से ३६८	८१४–२३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४७६ और ४७८ से ५३६ .	८२३–५५
कुछ प्रश्नों और संकल्पों इत्यादि के बारे में अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय से सम्बन्धित	८५५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८५५–५६
राज्य-सभा से सन्देश	८५६
छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . .	८५६
सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में .	८५७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में कुछ कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व न होना .	८५७
अनुपस्थिति की अनुमति	८५७–५८
वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	८५८–६६
नौसेना विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	८६६–६००
खंड १२ से १८८ . . .	८६६–६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	८६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६०१
कुछ प्रश्नों और संकल्पों इत्यादि के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय	६०१
दैनिक संक्षेपिका	६०२–०६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ३६९, ३७१ से ३७७, ३७९ से ३८७, ३८९ से ३९१, ३९३, ३९४ और ३९६ से ३९९ ९०७--३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३७०, २७८, ३८८, ३९२, ३९५, ४०० से ४०२ और ४०४ से ४१९ ९३५--४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७८ ९३४--५९

स्थगन प्रस्ताव ९५९--६१

१. दियासलाइयों के बनाने में एकाधिपत्य के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर श्रम स्थिति को समाप्त करने में सरकार की कथित असफलता

२. हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन बसों को नियमित रूप में चलाने में हिमाचल प्रदेश प्रशासन की कथित असफलता

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९६१

राज्य-सभा से सन्देश ९६१

भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा-पटल पर रखा गया ९६२

सभा का कार्य ९६२

अफीम विधि (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया ९६२-६३

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--

स्वीकृत हुआ ९६३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश १९५७ के बारे में संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ९६३—७७

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

नवां प्रतिवेदन ९७७

मान्यता (देश के प्रति की गई सेवाओं के लिये) विधेयक पुरःस्थापित करने अनुमति देने के लिये प्रस्ताव ९७७--८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक:—पुरःस्थापित किया गया ९८०

प्रशिक्षण तथा रोजगार विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ९८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित किया गया ९८१

अखिल भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया ९८२

निर्धारक निरोध (निरसन) विधेयक-- पृष्ठ
पुरःस्थापित करने की अनुमति देने के लिये प्रस्ताव . . ६८२
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--
पुरःस्थापित किया गया ६८२
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
वापस लिया गया ६८३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव . ६८३
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव . ६८३–६३
दैनिक संक्षेपिका . . . ६६४–६७

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, १४ नवम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट का कोटा

*१२८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य सीमेन्ट के अपने पूरे कोटे को कारखानों से नहीं उठा पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ और १९५६-५७ में किन-किन राज्यों ने सीमेन्ट का अपना पूरा कोटा नहीं लिया; और

(ग) न लिये गये सीमेन्ट के इस कोटे को सरकार ने राज्यों को किस आधार पर पुनः वितरित किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कारखानों को आर्डर देने और अलाट किये गये कोटों का माल उठाने में देर होने की कुछ शिकायतें तो आयी हैं लेकिन ऐसे कोई खास मामले देखने में नहीं आये हैं जिनमें राज्यों ने अलाट किये गये पूरे कोटे का माल न उठाया हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने सीमेंट का बंटवारा हर स्टेट की पापुलेशन की बेसिस पर रखा है या उनकी आवश्यकता के अनुसार रखा है ?

श्री मनुभाई शाह : उनकी आवश्यकता और भूतकाल में वे कितना कोटा उठा रहे थे, उस मिक़दार को देखते हुए रखा गया है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार ने पबलिक सैक्टर में कितना रखा है और प्राइवेट सैक्टर के लिए कितना रखा है ?

श्री मनुभाई शाह : वह इस तरीके से नहीं बांटा जाता है बल्कि वह प्रोजेक्ट वाइज़ बांटा जाता है और ऐसी कोशिश की जाती है कि सब को कुछ मिले । पबलिक सैक्टर में वह तक़रीबन ७० परसेंट डिस्ट्रिब्यट होगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि आम जनता के खर्च के लिए सरकार कितने परसेंट सीमेंट का बंटवारा करती है ?

श्री मनुभाई शाह : उसकी परसेंटेज नहीं है लेकिन हर एक स्टेट को कंज्यूमर्स कोटा दिया गया है और सब मिलाकर वह क़रीब सालाना ६, ७ लाख का हो जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार इस बात का पता लगाती है कि जो सीमेंट की दरख्वास्तें कुएं वग़ैरह बनाने के लिए जेठ और असाढ़ के महीनों में दी जाती हैं उन पर आज तक भी विचार नहीं हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक कुएं वगैरह बनाने का ताल्लुक़ है, स्टेट्स गवर्नमेंट्स उनको देती हैं लेकिन हम यह कोशिश करते हैं कि एग्रीकलचरिस्ट्स को ज्यादा प्रीफ़ेंस दिया जाय और इस क़िस्म की हिदायत सब स्टेट्स गवर्नमेंट्स को दे दी गई है

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन हिदायतों का पालन भी होता है ?

श्री मनुभाई शाह : आमतौर पर पालन होता है लेकिन अगर कोई ऐसी तक़लीफ़ कहीं पर हुई हो तो मेम्बर साहबान हमारे नोटिस में लायें और हम ज़रूर उनके बारे में जांच करेंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** उपभोक्ताओं के लिये कोटा किन आधारों पर दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मैं बता चुका हूं कोटा जनसंख्या अथवा उत्पादन की मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि गत मात्रा, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और प्रत्येक राज्य की विकास परियोजनाओं को देखते हुए दिया जाता है ।

†**श्री तंगामणि :** मद्रास राज्य के लिये २६,००० टन प्रति मास कोटा आवंटित किया गया है । यह देखते हुए कि मद्रास राज्य में ७०,००० टन से अधिक उत्पादन होता है क्या मद्रास का कोटा बढ़ाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोटा बांटते समय यह नहीं देखा जाता कि इसके कारखाने कहां हैं । यदि इस प्रकार किया जाये तो देश में जितने सीमेंट का उत्पादन होता है वह सब कुछ एक राज्य ही ले जायेंगे । कोटा देते समय अन्य कई बातों के साथ यह भी देखा जाता है कि गत समय में वहां कितनी मात्रा इस्तेमाल होती रही है ।

†**श्री दामानी :** विक्रेताओं को जो कोटे दिये जाते हैं वे प्राय: चोर बाज़ार आदि में जा कर अधिक दामों पर बिकते हैं । क्या ऐसे कोई मामले पकड़े गये हैं और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभा को विदित है कि सीमेंट का नियन्त्रण विधि सम्मत है और यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है तो सम्बन्धित राज्य सरकारें उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करती हैं । वस्तुत: माल परमिट पर दिया जाता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ राज्यों को अपनी परियोजनाओं में सीमेंट की बड़ी कठिनाई हो रही है, और उन्होंने भारत सरकार के पास अपने अभ्यावेदन भेजे हैं, फिर भी उन कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यह ठीक ही होगा। क्योंकि इस समय सीमेंट की मांग उस के उत्पादन से कहीं अधिक है। हम जितना दे सकते हैं प्रत्येक राज्य की आवश्यकता उस से अधिक है। परन्तु जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, प्रत्येक राज्य की कठिनाई पहले से कम होती जा रही है।

नेपाल में सड़कें

†*१२९. { श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री १० सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, भारत और अमरीका की सरकारों में नेपाल में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में एक करार करने की जो प्रस्थापना रखी गई थी उस पर अन्तिम निर्णय हो गया है;

(ख) जो करार किया गया है वह किस प्रकार का है;

(ग) क्या सड़कों के निर्माण के लिये कोई निश्चित योजना और कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि अभी हाल में भारतवर्ष, अमरीका और नेपाल के साथ मिल करके वहां पर सड़कें बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य ने करार को अन्तिम रूप देने के बारे में पूछा है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

†श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीमेंट कब तक फाइनैलाइज़ होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जल्दी होगा ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तिम निर्णय कब होगा। इस करार के बारे में कई प्रारूप रखे जा चुके हैं और अब चौथे प्रारूप पर विचार किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि.........

†अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों से क्या लाभ होगा कि अन्तिम निर्णय कब होगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में

बर्मा में भारतीय

†*१३०. { श्री ी० चं० शर्मा :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री ५ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय राष्ट्रजनों को बर्मा में भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के फलस्वरूप प्रतिकर दिया गया और कितनों को नहीं क्या इस बारे में बर्मा सरकार से जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). ३०-९-५७ तक १६८ भारतीय राष्ट्रजनों को प्रतिकर दिया जा चुका था। उनकी संख्या अभी मालम नहीं, जिन्हें प्रतिकर नहीं दिया गया है, क्योंकि बर्मा में विभिन्न जिला प्रतिकर अधिकारियों से संगत जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी है।

†**श्री ी० चं० शर्मा** : किस दर से प्रतिकर दिया गया है और क्या भारतीय राष्ट्रजनों ने उस पर असन्तोष प्रकट नहीं किया और यदि हां, तो असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्री सादत अली खां** : प्रतिकर का भुगतान इस तरीके से किया जाता है। राष्ट्रीयकृत भूमि पर दिये जाने वाले प्रतिकर में २५०० क्यात नगद दिये जायेंगे। यदि कुल प्रतिकर २५०० से अधिक परन्तु २६०० क्यात से कम है तो कुछ अंश नगद दिया जायेगा। अवशेष प्रतिकर के लिये १००० क्यात, ५०० क्यात और १०० क्यात के बर्मा सरकार के ऋण पत्र दिये जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने इस का कोई प्रबन्ध किया है कि वहां कोई यह देखे कि लोगों को समय पर प्रतिकर मिल रहा है या नहीं और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री सादत अली खां** : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि वहाँ हमारा दूतावास है। और दूतावास वहां के भारतीय राष्ट्रजनों के हितों का ध्यान रखता है। इसके अतिरिक्त वहां एक चेट्टियार संसथा, रंगून में है जो दावों आदि सम्बन्धी आवेदन पत्र देने में सहायता कर रही है गैर-चेट्टियारों के हितों का भी ख्याल रख रही है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : उन भारतीय राष्ट्रजनों को, जिन से भूमि ले ली गई है, दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि कितनी है और अब तक उसमें से कितनी राशि दी जा चुकी है ?

†**श्री सादत अली खां** : हमें गैर-सरकारी तौर पर बताया गया है कि अभी तक १६८ भारतीय राष्ट्रजनों को २,७२,५२६ क्यात दिये गये हैं।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या हमारी सरकार ने बर्मा सरकार द्वारा पेश किये गये प्रतिकर को स्वीकार करने की अनुमति प्रकट कर दी है ? क्या उसे इस बात का सन्तोष है कि यह प्रतिकर न्यायपूर्ण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** इस बारे में क्या व्यवहार रहा है मैं यह बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या प्रतिकर के रूप में दिया गया धन विदेशी विनिमय के प्रतिबन्धों को न मानते हुए भारत में लाने की अनुमति दी गई है ?

†**श्री सादत अली खां :** राष्ट्रीयकृत भूमि के कुछ अभिकर्ताओं ने नगद प्रतिकर के लिये विनिमय की मांग करते हुए आवेदन पत्र भेजे हैं और रंगून में हमारे दूतावास ने उनकी सिफारिश की है । आशा है कि वहां के विदेशी विनिमय अधिकारी द्वारा उन आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच नहीं कि हाल ही में बर्मा के उत्प्रवासी और विदेशियों के पंजीयन अधिनियम में कोई संशोधन किये गये हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

सीमावर्ती छापे[1]

+

†*१३१. { **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान सीमा पर कितने छापे मारे;

(ख) सितम्बर, १९५७ के द्वितीय सप्ताह में पाकिस्तानी जिन तीन भारतीय राष्ट्रजनों को जिला बानुर (राजस्थान) में मिथलान गांव के निकट से उठा कर ले गये थे क्या उन्हें लौटाया गया है; और

(ग) उपरोक्त घटना में पाकिस्तानी कितने मवेशी ले गये थे ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) १-१-५७ से १५-१०-५७ तक पाकिस्तानी सैनिकों ने दो छापे मारे ।

(ख) 'मिथलान' और 'बानुर' जिले से शायद राजस्थान में बारमेढ़ जिले का गांव मिठदाओ अभिप्रेत है । इस गांव में सितम्बर, १९५७ के द्वितीय सप्ताह में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें तीन भारतीय राष्ट्रजनों को उठा कर ले जाया गया हो ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या यह सच है कि मंगल सिंह और बांवर सिंह दो डाकुओं ने सीमा के निकट पाकिस्तान में आश्रय ले रखा है और एक जत्था बना लिया है जो कि सीमा पर छापे मारता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह तो मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या पहले के कुछ छापों में, जिन में पाकिस्तानी सेना के भी कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Border Raids

लोग थे, कुछ मवेशी भी उठाये गये थे और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन मवेशियों का प्रतिकर मांगा था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जैसा कि पहले बताया जा चुका है, केवल दो छापे ऐसे थे जिन में पाकिस्तानी सशस्त्र बल के लोग भी शामिल थे; एक ८ मार्च, १९५७ को और दूसरा २८ अगस्त, १९५७.

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या सीमावर्ती छापों में कोई कमी अथवा वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सीमा की सुरक्षा केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है या कि राजस्थान सरकार का ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** दोनों का ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** सीमा पर गश्त लगाने में केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दे रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वहां राजस्थान सशस्त्र पुलिस है और सीमा को पाकिस्तानी छापों से बचाने के लिये राजस्थान सरकार जो कुछ मांगे उसे मिल सकता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या यह सच नहीं कि गत वर्षों से राजस्थान सरकार यही अभ्यावेदन कर रही है कि सीमा की सुरक्षा के लिये उसके हाथ और मजबूत किये जायें । यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस प्रश्न का उत्तर सभा में कई बार दिया जा चुका है, इस बारे में मझे और कोई नई बात नहीं बताना है ।

दण्डकारण्य योजना

†*१३२. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों का एक दल दण्डकारण्य योजना के लिये चने गये क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा; और

(ख) क्या इस दल में एक ऐसे विशेषज्ञ को शामिल करने का भी विचार है जो सरकार को इस क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के रीत्यनुसार संरक्षण और विकास के लिये मंत्रणा दे ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी हां ।

(ख) दल में एक वन विज्ञान विशेषज्ञ शामिल है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या यह सच है कि यह देखने के लिये कि वहां की भूमि उपयुक्त है या नहीं, विमान द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है ? यह कार्य कौन कर रहा है और कौन सा मंत्रालय खर्च वहन कर रहा है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** इस समय दण्डकारण्य का प्रशासन पुनर्वास मंत्रालय कर रहा है । हाल ही में एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नियुक्त किया गया है और हाल ही में एक दल सर्वेक्षण करने जायेगा ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** इसकी लागत में कौन सी सरकार सहयोग दे रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** भारत सरकार ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** कौन सा मंत्रालय ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** पुनर्वास मंत्रालय योजना को चला रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री पाणिग्रही

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या भारतीय सर्वेक्षण नहीं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** विशेषज्ञ दल द्वारा सर्वेक्षण से भारतीय सर्वेक्षण का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि अन्य माननीय सदस्य खड़े होकर प्रश्न पूछते जाते हैं तो मंत्रियों को उनका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैंने किसी दूसरे सदस्य से प्रश्न पूछने को कहा है। मैं नहीं चाहता कि एक ही सदस्य प्रश्न पूछता जाये और दूसरों को अवसर न मिले ।

†**श्री पाणिग्रही :** यह निश्चय किया गया था कि इस योजना से पूर्व एक अग्रिम योजना अमल में लाई जायेगी । यह निश्चय किया गया था कि ५०० शरणार्थी श्रमिक वहां ले जाकर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा । क्या वहां ५०० शरणार्थी श्रमिक गये हैं और उन्होंने अग्रिम योजना का काम आरम्भ कर दिया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** यह निश्चय किया गया है कि हम कुछ क्षेत्रों में कुछ अग्रिम योजनायें आरम्भ करेंगे । उदाहरणतः हम ने उनके लिये उड़ीसा राज्य के कोरापट और कोला-हांडी जिलों और उसके पड़ोस में मध्य प्रदेश के बस्तर जिलों को चुना है । शीघ्र ही सर्वेक्षण होने वाला है ।

†**श्री पाणिग्रही :** मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कृपया सीधा उत्तर दें । यदि अभी तक उन्हें वहां नहीं भेजा गया है तो वह ऐसा बता सकते हैं ।

†**श्री विमलघोष :** क्या विशेषज्ञों का दल वहां पहुंच गया है और सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है; दूसरे, क्या इन शरणार्थियों को उनके प्रतिवेदन देने के पश्चात् अथवा उस से भी पूर्व वहां भेजा जायेगा ।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** विशेषज्ञों के दल को इस मास के प्रारम्भ में जाना था परन्तु मौसम की खराबी के कारण वे नहीं जा सके । इस मास की समाप्ति तक वे चले जायेंगे । पहले

---

† मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण किया जायेगा। फिर यह देखा जायेगा कि क्षेत्र उपयुक्त है या नहीं। फिर शरणार्थियों को स्वयं भूमि का विकास करने के लिये ले जाया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इस दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे और वे जो प्रतिवेदन देंगे उसमें भूमि की उपयोगिता मुख्य विषयों में से एक होगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** विशेषज्ञ उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस बात की भी छानबीन की जायेगी कि भूमि उपयुक्त है या नहीं।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या सरकार ने इस सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिय कोई समय निश्चित किया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** विशेषज्ञ कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। उन्हें लगभग तीन चार सप्ताह लगेंगे।

नांगल उर्वरक कारखाना

\+

†*२३४. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेडा :
श्री शिवनंजप्पा :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नंगल उर्वरक तथा रसायन (प्राइवेट) लिमिटेड के निर्माण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** हां, श्रीमान। संयंत्र के कुछ भाग का आदेश प्रेषित करने में कुछ विलम्ब के अतिरिक्त परियोजना का शेष सब काम निश्चित समय के अनुसार हो रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या मुख्य कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** विद्युदंशक संयंत्र और उर्वरक संयंत्रों के संविदायें दी जा चुकी हैं। बिजली के सामान के जो टेंडर मिले थे उन पर विचार किया जा रहा है। इमारत आदि और रहने के लिये बस्ती का निर्माण हो रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या विदेशी विनिमय न मिलने के कारण इस परियोजना में विलम्ब नहीं होगा, यदि हां, तो कितना विलम्ब होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** विदेशी विनिमय की स्थिति के कारण इस परियोजना के सम्पन्न होने में किसी विलम्ब की सम्भावना नहीं है।

†**श्री कासलीवाल :** क्या भारी पानी के संयन्त्र के निर्माण के लिये कोई संविदायें दी गई हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : भारी पानी के संयंत्र के टेंडर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि कल है और आशा है कि संविदायें जनवरी में दी जायेंगी ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : यह कहा गया है कि सब काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है परन्तु जिन वस्तुओं के बारे में अतिरेक बताया गया है क्या उससे सारा कार्यक्रम भंग नहीं हो जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जो सार्थ इनका संभरण और निर्माण करेंगी उन्हें सारे काम की संविदायें दी गई हैं और यदि वे समय पर पूरा नहीं करते तो उन्हें दण्ड देने की भी शर्तें की गई हैं ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : संविदा पर हस्ताक्षर होने के कितना समय बाद कारखाने का इमारती सामान आना शुरू हो जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री नुरारजी देसाई)** : उसके तुरन्त पश्चात् ।

गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विनियोजन

†*१३५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा विदेशों से पूंजी वस्तुओं की खरीद में विनियोजन में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए अनुमानित राशि से अभी तक कोई वृद्धि दिखाई पड़ी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे विनियोजनों का (१) संयुक्त राज्य अमेरिका, (२) ब्रिटेन, (३) सोवियत रूस, (४) पश्चिम जर्मनी, (५) जापान से दूसरी योजनावधि में २५ अगस्त, १९५७ तक की खरीदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बात की गारंटी के लिए क्या कदम, यदि कोई हों, उठाये गये हैं कि गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पूंजी वस्तुओं की खरीद में विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि से अधिक व्यय न करे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभासचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(घ) सरकार आयात नियंत्रण द्वारा विदेशी मुद्रा निर्गमन पर कठोर नियंत्रण रखती है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री वें० प० नायर : १४ सितम्बर के स्टेट्समैन में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि जबकि समस्त योजनावधि के लिए गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र के लिए ७५० करोड़ रुपये के आयात का लक्ष्य निश्चित किया गया है, गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र का केवल इस वर्ष के अन्त तक का आयात ही लगभग ८२० करोड़ रुपये हो जायगा । क्या मैं यह समझूं कि वह विवरण गलत है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** माननीय सदस्य का कथन ठीक नहीं है । वास्तव में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा आयात के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, परन्तु अस्थाई रूप से यह अनुमान लगाया गया था कि गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र को लगभग ४५० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । उसमें से उन्होंने अभी तक लगभग २६७ करोड़ रुपये व्यय किये हैं । इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं केवल पूंजी मशीनों के आयात के संबंध में नहीं पूछ रहा था । मैं गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र के लिए अनुमत समस्त आयात का ब्यौरा पूछ रहा था ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र को अनुमत आयातों के सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहां निर्बाध सामान्य अनुज्ञप्ति प्रणाली चालू है जिसका नियंत्रण मुख्यतः निर्यात तथा आयात मुख्य-नियंत्रक द्वारा किया जाता है । तीन वर्षों से कम के समय में सही आंकड़े प्राप्त करना कठिन है क्योंकि बहुत से मामलों में लाईसेंस तीन वर्ष में परिपक्व होते हैं ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी :** तो फिर निर्यात तथा आयात मुख्य-नियंत्रक को रखने का लाभ क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य का प्रश्न, भाग (ब) पूंजी वस्तुओं के संबंध में है । अब वह समस्त वस्तुओं के संबंध में प्रश्न करना चाहते हैं ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं यह पूछ रहा था कि गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र में जो अधिक आयात हुआ है, जैसाकि स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है, उसमें से कितना गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र द्वारा पूंजी वस्तुओं के आयात के कारण है । मेरा प्रश्न निर्दिष्टतः पूंजी वस्तुओं से संबंधित था । मैं जानना चाहता था कि समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसका पूंजी मशीनों के आयात से क्या संबंध है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि माननीय मंत्री उस विशेष समाचार के संबंध में जांच करा चुके हैं । स्पष्टतः उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** दिये गये विवरण के अनुसार यह मालूम होता है कि गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र समस्त दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य का कम से कम ६० प्रतिशत १½ वर्षों मे व्यय कर चुका है—मेरा तात्पर्य विदेशी मुद्रा से है । ४५० करोड़ रुपए में से वे लगभग २६० करोड़ रुपये ले चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे सामने विदेशी मुद्रा की बहुत कठिनाई है, गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र को समस्त दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिए निश्चित विदेशी मुद्रा का ६० प्रतिशत प्रथम डेढ़ वर्ष मे ही क्यों खर्च कर लेने दिया गया ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र :** गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र ने निश्चय ही लगभग २६७ करोड़ रुपये खर्च कर लिये हैं और यह उनके लिये निश्चित लक्ष्य के अन्दर ही है। गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र ने अच्छा कार्य किया है। और जहां तक भविष्य के लिए नियंत्रण का संबंध है, विदेशी मुद्रा के स्रोतों के प्रयोग पर कठोर नियंत्रण रखा जा रहा है। उसके लिए अनेक युक्तियां निकाली गई हैं।

†**श्री वें० प० नायर :** विवरण से मालूम होता है कि अप्रैल, १९५६ से जून १९५७ तक ४८.९३ करोड़ रुपये की मोटर-गाड़ियों का आयात हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार की मोटर-गाड़ियां सम्मिलित की गई हैं; क्या वे केवल यात्री बसें और ठेले हैं अथवा उनका संबंध अन्य मोटर-गाड़ियों से भी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** वह सामान्य पदावली है, मशीनें और मोटर-गाड़ियां। उसमें से परिवहन का भाग अलग करना बहुत कठिन है।

†**श्री वें० प० नायर :** अर्थात् वे पूंजी वस्तुयें हैं।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** जी हां; अधिकांश में।

†**श्री विमल घोष :** क्या ये २६७ करोड़ रुपये वास्तविक आयात के हैं अथवा गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र के लिए पूंजी वस्तुओं के लिए लाईसेंसों के हैं ? यदि वे कुल आयात से संबंधित हैं तो गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र में आयात के लिए कितनी राशि के लाईसेंस जारी किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। जहां तक चालू वर्ष में पूंजी वस्तुओं का संबंध है, जिनके लिए माननीय सदस्य ने कुछ उत्सुकता दिखाई है, लगभग ११२ करोड़ रुपये की पूंजी वस्तुओं के लाईसेंस दिये गये हैं जिसमें से लगभग ६०.९ करोड़ रुपये अस्थगित भुगतान के अन्तर्गत हैं।

मध्यमवर्गीय परिवार आयव्ययक

†*१३६ { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **प्रधान मंत्री** २७ मई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार आयव्ययक सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उसके कब प्रारंभ होने की संभावना है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). योजना के ब्यौरे और उसकी वित्तीय उपलक्षणाओं के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों से परामर्श किया जाना था। अब योजना के संबंध में अंतिम निर्णय हो गया है और उसका अनुमोदन किया जा चुका है। सर्वेक्षण के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्र-कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इस सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित किये जायेंगे अथवा वह केवल शहरी क्षेत्रों अथवा शहरों तक ही केन्द्रित रहेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस समय तो केवल शहरी क्षेत्रों में ही सर्वेक्षण होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह कौन कौन से शहरों में प्रारंभ किया जायेगा ?

†**श्रीमत लक्ष्मी मेनन** : बहुत से हैं; लगभग ४५ शहर हैं । क्या मैं उन्हें पढ़ कर सुनाऊं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इन सब नमूना-सर्वेक्षणों में सैकड़ों स्थान चुने जाते हैं ताकि अच्छा समान औसत प्राप्त किया जा सके ।

दिल्ली से दफ्तरों का बाहर भेजा जाना

\+

†*१३८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कौन कौन से विभागों के दिल्ली से बाहर भेजे जाने की संभावना है;

(ख) इन विभागों के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के पत्र का किन किन राज्यों ने तथा क्या उत्तर दिया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). यद्यपि कुछ कार्यालयों को दिल्ली से हटाने के प्रस्ताव अवश्य हैं परन्तु अंतिम निर्णय अभी किये जाने हैं । कौन कौन से दफ़्तर हटाये जायेंगे तथा उनके लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी इससे संबंधित जानकारी कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों से हमने यह पूछा था कि उन शहरों में कितना स्थान फालतू हो जाने की संभावना है जो राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप १-११-१९५६ से राज्यों की राजधानियां नहीं रहे हैं, परन्तु नागपुर को छोड़कर, जिसके संबंध में बम्बई सरकार ने प्रस्ताव किया है, अन्य कहीं भी पर्याप्त स्थान का प्रस्ताव हमें प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य-सरकारों को क्या लिखा गया है ? जब तक कि केन्द्रीय सरकार यह नहीं जानती कि वह कितना स्थान चाहती है वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ? ऐसा मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया है कि कौन कौन से दफ्तरों को हटाया जाना है और कितने स्थान की आवश्यकता है ? इसलिए राज्य-सरकारों को जो कुछ लिखा गया क्या वह अनिश्चित भाषा में था अथवा उन्हें कोई निर्दिष्ट आवश्यकता बताई गई थी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके विपरीत भी हो सकता है ।

† **सरदार स्वर्ण सिंह :** हम तब तक यह निश्चित नहीं कर सकते कि कौन कौन से दफ्तर हटाये जायेंगे जब तक कि हम दिल्ली के बाहर इमारतें बनाने का निर्णय न कर लें ।

† **श्री तिम्मय्या :** कौन कौन से केन्द्रीय मंत्रालय दिल्ली से अन्यत्र जाने के लिए तैयार हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं माननीय सदस्य से प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा । जैसा कि मैं संकेत कर चुका हूं एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

† **श्री बी० चं० शर्मा :** जब दफ्तरों के दिल्ली से हटाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तो क्या इस संबंध में डलहौजी और शिमला का विचार किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वास्तव में, ऐसे किसी भी स्थान का विचार किया जायेगा जहां स्थान उपलब्ध हो । जहां तक शिमला का संबंध है, केन्द्रीय सरकार का एक बड़ा दफ्तर—पंजाब के महा-लेखापाल का दफ्तर—वहां है ही जो काफी स्थान घेरे हुए है । हम ने पंजाब सरकार से भी पूछा है । उसने बताया है कि शिमला में अधिक स्थान उपलब्ध नहीं है ।

डलहौजी में, मैं समझता हूं दफ्तर के लिए उपयुक्त कोई भी जगह उपलब्ध नहीं है । कुछ रहने के मकान भले ही हों परन्तु जहां तक दफ्तरों का संबंध है कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि विभिन्न विभागों से पूछताछ की जा रही है । क्या इसका यह अर्थ है कि जो दिल्ली से बाहर दफ्तर भेजने की पहली योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया है और अब नये सिरे से यह प्रश्न छेड़ा जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, उसे समाप्त नहीं किया गया है । यह उसी के कंटीन्युएशन (सिलसिले) में है ।

†**श्री नाथ पाई :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागपुर में उपयुक्त स्थान उपलब्ध है, क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को नागपुर भेजने के संबंध में विचार कर रही है और यदि हां, तो किस विभाग को ?

†**अध्यक्ष महोदय .** इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री नाथ पाई :** उन्होंने कहा कि स्थान उपलब्ध है । मैं पूछता हूं कि सरकार कौन कौन से विभागों को नागपुर भेजने का विचार कर रही है । क्या निर्णय कर लिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उसके संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है । परन्तु सरकार के एक या दो दफ्तर पहले ही नागपुर पहुंच गये हैं । मैं समझता हूं कि बीमा नियंत्रक और राष्ट्रीय बचत आयुक्त के दफ्तर नागपुर पहुंच चुके हैं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** क्या यह सच नहीं है कि बंगलौर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है और क्या सरकार दफ्तरों को वहां भेजने का विचार रखती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि बंगलौर में स्थान उपलब्ध हो तो मैं उसे काम में लाना बहुत पसंद करूंगा । मैं समझता हूं कि बंगलौर की यह शिकायत है कि वहां हम ने बहुत से दफ्तर खोल दिये हैं । जब कभी भी मैं वहां गया मैसूर की सरकार ने ऐसा ही रुख दिखाया ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : और हैदराबाद की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्री

*१३९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** १० दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में जब से तिब्बत के संबंध में भारत व चीन की सरकारों के बीच समझौता हुआ है, तब से प्रतिवर्ष अब तक कितने भारतीयों ने कैलाश-मानसरोवर की यात्रा की है;

(ख) उन तीर्थयात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के संबंध में चीन सरकार से जो बातचीत चल रही थी, उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त समझौते की शर्तों के अनुसार चीन की सरकार ने भारतीय तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिये अब तक कौन कौन से कार्य किये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) चीन-भारत क़रार हो जाने के बाद जिन तीर्थयात्रियों के कैलाश और मानसरोवर की यात्रा की, उनकी संख्या इस प्रकार है :

१९५४	११८३
१९५५	४१६
१९५६	३८४
१९५७	२३८

(ख) तथा (ग). बातचीत के फलस्वरूप, चीन सरकार ने पीकिंग में हमारे राजदूतावास को सूचना दी कि भारत से आने वाले तीर्थयात्री एक रास्ते से होकर तिब्बत में दाखिल हो सकते हैं और दूसरे से वापस जा सकते हैं और यह कि तीर्थयात्री एक से अधिक बार तीर्थ स्थानों पर जा सकते हैं । चीन सरकार ने तिब्बत के स्थानीय अधिकारियों को भी कहा है कि वे यात्रियों की जांच-पड़ताल करने के तरीक़े को आसान बनाएं । हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछले साल से काफी तरक्की हुई है और इस साल यात्रियों की शिकायतें कम रही हैं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय उप-मंत्रिणी जी ने अभी जो आंकड़े दिये हैं, उन से यह स्पष्ट है कि सन् १९५४ से अब तक प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या घटती चली जा रही है, जब कि चीन सरकार यह कह रही है कि उन्हें अधिकाधिक सुविधायें दी जा रही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह संख्या क्यों घट रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह तो अभी माननीय सदस्य ने जवाब में सुना कि पहले शिकायतें थीं और शिकायतों को चीनी सरकार के सामने रखा गया था और उस में अब तरक्की हुई है । इस में कोई शक नहीं कि पहले ११०० लोग गये थे और अब २५०, ३०० तक पहुंच गये हैं । इन आंकड़ों को देखते हुए इस में कोई शक नहीं कि कुछ दिक्कतें होंगी, तभी यह कमी हुई । हम ने इस बारे में कोशिश की और हम से कहा गया है कि अब वे दिक्कतें हट गई हैं । चीनी सरकार ने तो कहा ही है, लेकिन वहां हमारे जो नुमायंदे हैं, उन्होंने भी कहा है कि रास्ता अब पहले से आसान हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : भारत की सीमा के इस ओर भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश की सरकार सड़कों और विश्रामगृहों के सुधार में काफ़ी अच्छा प्रयत्न कर रही है, जब कि दूसरी ओर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई खास कार्यवाही नहीं की गई है क्या में जान सकता हूं कि हमारे जो अधिकारी वहां हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट दी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस सम्बन्ध में ?

श्री भक्त दर्शन : विश्रामगृहों और सड़कों के बारे में ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्य किस तरफ़ की बात कह रहे हैं—हिन्दुस्तान की तरफ़ या चीन की तरफ़ ?

श्री भक्त दर्शन : मेरा मतलब यह है कि हिमालय के इस ओर—भारत की ओर—तो काफ़ी सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से काफ़ी सुधार किया है, लेकिन दूसरी ओर अभी भी सड़कों की हालत अच्छी नहीं है और रैस्ट-हाउस (विश्राम-गृह) नहीं बनाये गये हैं, जो कि एग्रीमेंट (करार) में एक खास शर्त थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक बात मैं माननीय सदस्य से कह दूं । वह आंकड़ों का ज़िक्र कर रहे थे कि सन् १९५४ में ज्यादा लोग गये थे, लेकिन सन् १९५४ एक बहुत खास साल था—एक मेले का साल था, इस लिए भी ज्यादा लोग गये थे । लेकिन ग़ालिबन यह सही बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने रैस्ट हाउसिज़ वग़ैरह का ज्यादा प्रबन्ध किया है और उधर कम हुआ है । कुछ उधर भी हुआ है । ज़ाहिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस की ज्यादा फ़िक्र है बनिस्बत चीनी सरकार के ।

श्री भक्त दर्शन : क्या अगला यात्रा सीज़न आने से पहले—१९५८ की गर्मियों से पहले जो थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, वे दूर कर दी जायेंगी ? क्या इस बारे में फिर चीन सरकार पर ज़ोर दिया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस का जवाब तो दे चुका हूं ।

प्रादेशिक संग्रहालय

†*१४०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी प्रदेशों के लिए प्रस्तावित औद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण के समस्त अथवा कोई प्रादेशिक संग्राहलय दूसरी पंच वर्षीय योजना में स्थापित कर दिए जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए व्यय का अनुमान क्या है ;

(ग) केन्द्रीय श्रम संस्थान के साथ उनका समन्वय किस प्रकार का होगा ;

(घ) क्या उसमें प्रशिक्षण सुविधायें भी रहेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो किस के लिए ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सब, उपकरण की उपलब्धता के अधीनस्थ।

(ख) ३० लाख रुपए (भूमि की लागत को छोड़कर)।

(ग) ये संग्रहालय अपने संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषोपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तथा केन्द्रीय श्रम संस्थान सुनियोजित कार्यक्रम का केन्द्र रहेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के समस्त पहलुओं को सम्मिलित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे। उद्योग, श्रम और सरकारी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की कल्पना की जा रही है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या ये संग्रहालय बम्बई स्थित केन्द्रीय श्रम संस्थान के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहेंगे?

†श्री आबिद अली : वह कारखानों के मुख्य परामर्शदाता के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत रहेंगे।

†श्री स० चं० सामन्त: क्या सरकारी विभाग के श्रम अधिकारी भी उनमें रहेंगे अथवा केवल साधारण श्रमिकों को ही सुविधायें दी जायेंगी?

†श्री आबिद अली : श्रमिक और श्रम अधिकारी दोनों और सरकारी श्रम अधिकारी भी।

†श्री बर्मन : खनन उद्योग में कौन कौन से मुख्य खतरे हैं जिनके लिए इन संग्रहालयों में शिक्षा-प्रद प्रदर्शन-वस्तुयें रखी जायेंगी और क्या सरकार इन संग्रहालयों की पूर्ण योजना सभा-पटल पर रखेगी ?

†श्री आबिद अली : वे मुख्यत: कारखानों के कर्मचारियों के लिए होंगे। अन्य का विचार भी बाद में किया जायगा जब विस्तृत कार्यक्रम संभव हो। जो कार्य किया जाएगा उससे संबंधित जानकारी परिचलित प्रतिवेदन में प्रकाशित की जा चुकी है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या राज्य सरकारों ने वह भूमि दे दी है जिसकी मंत्रालय को आवश्यकता है?

†श्री आबिद अली : बम्बई सरकार वह भूमि दे चुकी है। कोयम्बटूर में जो भूमि मांगी गई है वह भी हमें निकट भविष्य में दे दिए जाने की संभावना है। कलकत्ता और कानपुर में भमि को प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

मेसर्स अतुल इन्डस्ट्रीज बलसार

+

†*१४२. श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलसार के मेसर्स अतुल इन्डस्ट्रीज़ को अभी तक कुल कितना ऋण और अथवा वित्तीय सहायता दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस व्यापार संस्था को और अधिक ऋण अथवा वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सरकार ने मेसर्स अतुल प्रोडक्टस को अपने विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए ३ करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। अभी तक उन्होंने इस ऋण में से १·३२ करोड़ रुपए लिए हैं।

†श्री मुरारका : क्या सरकार ने हाल में इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज के साथ रंगाई के सामान के निर्माण के लिए एक करार किया है और उस प्रयोजन के लिए उन्होंने सरकार से एक बड़े ऋण के लिए प्रार्थना की है।

†श्री मनुभाई शाह : सरकार ने हाल में कुछ चीजों, जैसे रंग[1], एसिड[2], आदि, के लिए करार किया है। उन्होंने अभी तक हम से कोई अतिरिक्त ऋण नहीं मांगा है ?

†श्री मुरारका : क्या सरकार ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित की है कि गैर सरकारी उद्योग-क्षेत्र के किसी एक उद्योग को अधिक से अधिक कितना ऋण दिया जा सकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह प्रत्येक उद्योग में भिन्न भिन्न है। उदाहरणार्थ, लोहा तथा इस्पात उद्योग को हमने लगभग १०–१५ करोड़ रुपए और रसायन उद्योगों को ४–५ करोड़ रुपए तक दिए हैं। सामान्यतः एक ही पक्ष द्वारा नियंत्रित इकाइयों को ३ करोड़ रुपए से अधिक नहीं दिए जाते हैं, यही सामान्य सीमा है।

†श्री मुरारका : यह ऋण किन शर्तों पर मंजूर किया गया था?

†श्री मनुभाई शाह : उसका पुनर्भुगतान ११ वर्षों में किया जाना था और ब्याज की दर ४·५ प्रतिशत वार्षिक थी।

†श्री फीरोज गांधी : उन्होंने अभी कहा कि लोहा तथा इस्पात उद्योग को १० करोड़ रुपए दिए गए थे। क्या यह सच है कि इस उद्योग और सरकार के बीच हुए करार में ऋण के पुनर्भुगतान की किसी निश्चित तिथि और ब्याज की दर का कोई उल्लेख नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह करार, बिल्कुल पूरा है। उस उद्योग के विकास के कार्यक्रम की अनिश्चितता को दृष्टि में रख कर ही ब्याज की दर और ऋण वापिस करने की तिथि कुछ अस्पष्ट रूप में ही छोड़ दी गयी थी। परन्तु यह बात स्पष्टतया इसी बोध से की गयी थी कि अन्त में इस सम्बन्ध में सरकार का जो भी निर्णय होगा, वह दूसरी पार्टी को पूर्णतया मान्य होगा।

†श्री फीरोज गांधी : मैं तो वास्तव में यह कहना चाहता था कि इस करार में ऐसा निश्चित नहीं किया गया है कि यह ऋण किस तिथि तक वापिस कर दिया जाये और इसमें न हीं कोई ब्याज निश्चित किया गया है। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इसे ऋण क्यों कहते हैं? इसे सीधे भुगतान ही क्यों नहीं कहा जाता ?

†श्री मनुभाई शाह : इसमें कुछ अन्तर है। सरकारी ऋण की वापसी की अवधि सामान्यतया पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होती और इन सभी ऋणों पर ब्याज लगा ही करता है। क्योंकि हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dey intermediates

[2]Vat Co ours

[3]Bon Acid

निश्चत रूप यह ज्ञात न था कि यह विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ होगा, इसलिये हमें इस बात को अस्पष्ट रूप ही मे छोड़ देना पड़ा और इसीलिये हमने ब्याज की दर के सम्बन्ध में तथा ब्याज की पहली किस्त वापिस करने की तिथि के संबन्ध में कोई निश्चित उपबन्ध नहीं बनाया था। परन्तु यह बात तो स्पष्टतया इसी बोध से की गयी थी कि विकास कार्यक्रम देखने के बाद इस सम्बन्ध में सरकार जो कुछ भी निर्णय करेगी, वह उस पार्टी को मान्य होगा। हम निश्चित तिथि पर न ही ब्याज छोड़ने वाले हैं और न ही ऋण की राशियों की वसूली को।

†श्री त्रि० ना० सिंह : जबकि सरकार ने उधार देने के बहुत से अन्य अभिकरण स्थापित कर रखे हैं तो फिर सीधे ही सरकार द्वारा ऋणों के रूप में सहायता देने की इस नीति का अनुसरण क्यों किया जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस सम्बन्ध में कई प्रकार के ऋण दिये जाते हैं। कई ऋण इतने बड़े होते हैं कि देश की उधार देने वाली कोई भी संस्था, इतनी अधिक राशि नहीं दे सकती। अब भी कोई ऋण एक करोड़ रुपये से अधिक राशि का होता है, तो उसके लिये भारतीय वित्त आयोग को सरकार की शरण में आना पड़ता है और उसके लिये मंजूरी लेनी पड़ती है। जब किसी ऋण की राशि तीन करोड़ रुपये से अधिक होती है तो वह ऋण भारतीय वित्त निगम नहीं दे सकता। ऐसे ऋणों के बारे में सरकार स्वयं ही यह विचार करती है कि क्या वह निकाय मितव्ययी एकक होगा, क्या वह एकक उतना ऋण लेने का अधिकारी है और क्या उतना ऋण देना राष्ट्र के हित में होगा।

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति निर्धारित की हुई है जिसके आधार पर अलग अलग उद्योगों को ऋण देने के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है ? क्या भारत की संचित निधि में से उस प्रकार से धन देने से पूर्व इस सभा से मंजूरी ली जायेगी?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, यह तो एक उच्चतम निकाय है; आयव्ययक इसी सभा में प्रस्तुत होता है और यही सभा धन आवंटन के बारे में मार्ग प्रदर्शन करती है। यह सभा सदा सरकार को निदेश भी दे सकती है। मैं समझता हूं कि उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों और ऋण देने के उपायों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित नीति तथा कई नियम विद्यमान हैं। केवल अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को ही ऐसे ऋण दिये जाते हैं।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : ऐसी कितनी कैमिकल फर्म हैं जिन्हें सरकार ने ऋण के रूप में तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक मुझे ज्ञात है, एक तो फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल त्रावनकोर है, और दूसरा अतुल इन्डस्ट्रीज है। इन दो सार्थों को ३ करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण दिया गया है। जहां तक एक करोड़ रुपये से कम राशि के ऋण का सम्बन्ध है, वे ऋण भारतीय वित्त निगम द्वारा दिये जाते हैं। भारतीय वित्त निगम द्वारा बहुत सी कैमिकल फर्मों को ऐसे ऋण दिये गये हैं।

†श्री फीरोज गांधी : जिस अतुल इन्डस्ट्रीज को ३ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, उसकी कुल पुंजी कितनी है ?

†श्री मनुभाई शाह : उसकी इस समय प्रधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपये है, और प्रदत्त पूंजी लगभग २ करोड़ रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्जेंनटाइना को कपड़े का निर्यात

†*१४३. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेनिज्यूलन टैक्सटाईल इन्डस्ट्री ने अर्जेंनटाइना को भेजे जाने वाले विदेशी कपड़े पर अधिक प्रशुल्क मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां भेजे जाने वाले भारतीय कपड़े की क्या स्थिति है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं। तो भी, प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि वेनिज्यूलन टैक्सटाईल इन्डस्ट्रीज़ विदेशी कपड़े को किसी और देश अर्थात अर्जनटाईना को भेजने पर अधिक प्रशुल्क कैसे मांग सकता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** पिछले वर्ष वेनिज्यूला को कुल कितना कपड़ा भेजा गया था ?

†**श्री कानूनगो :** पिछले वर्ष तो वेनिज्यूला को जरा भी कपड़ा नहीं भेजा गया था। मेरा ख्याल है कि १९५४ में किसी समय ३० हज़ार गज़ कपड़ा वहां भेजा गया था।

निष्क्राम्य सम्पत्ति

+

†*१४५. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निष्क्राम्य व्यक्तियों द्वारा भारत म अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के पास रखी हुई अपनी व्यक्तिगत सम्पतियों तथा घरेलु वस्तुओं को यहां से ले जाने अथवा बेच देने की तिथि अब बढ़ा दी है ;

(ख) इस तिथि को बढ़ा देने के क्या विशेष कारण थे; और

(ग) इस नियम के अधीन गत छः मास में भारत से कुल कितनी राशि के जेवरात पाकिस्तान भेजे गये हैं?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी, हां। ३१ दिसम्बर, १९५७ तक।

(ख) ताकि उन विस्थापित व्यक्तियों को भी एक और अवसर दिया जा सके जिन्होंने अभी तक अपनी व्यक्तिगत सम्पति तथा घरेलु वस्तुओं को अपने अधिकार में नहीं लिया था।

(ग) यह रियायत अब भारत में मित्रों तथा सम्बन्धियों के पास छोड़े हुए जेवरात पर लागू नहीं होती। इस प्रकार के जेवरात पर१ जनवरी, १९५७ से सामान्य सीमा शुल्क विनियम लागू होते हैं।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या यह तिथि इस से पहले भी कई बार बढ़ाई जा चकी है; और यदि हां, तो कितनी बार ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जी, हां। इस से पहले यह तिथि समय समय पर कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इस बार हमने इसे ३१ दिसम्बर, १९५७ तक बढ़ाया है। अब इसे और अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री बहादुर सिंह :** उपरोक्त अवधि में पाकिस्तान से कितनी राशि के जेवरात प्राप्त हुए हैं?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मैं पाकिस्तान से भारत आने वाले जेवरात की कीमत के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं दे सकता।

अल्यूमीनियम उद्योग

†*१४७. { **श्री सें० वें० रामस्वामी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ जुलाई १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलम जिले में शेवाराय हिल्स[1] में बॉक्साइट निक्षेपों के सम्बन्ध में किये जा रहे अनुसंधान अब पूरे हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मेट्टूर बांध पर एक अल्यूमीनियम का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) यह तो बौक्साइट निक्षेपों के बारे में किये जा रहे अध्ययन के परिणाम तथा विदेशों से संतोष जनक आधार पर प्रविधिक तथा वित्तीय सहयोग की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उस अनुसंधान को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक अनुसंधान का सम्बन्ध है, हमें पूरा विश्वास है कि कारखाने का स्थान अच्छा है। अब तो वित्तीय मामलों पर ही बात चीत करना रह गया है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कई देशों, जैसे अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, तथा अन्य देशों को कई नमूने भेजे गये थे। क्या उनके बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** उनमें से कुछ प्रतिवेदन तो प्राप्त हो गये हैं, परन्तु बौक्साइट के सम्बन्ध में इस देश में ही किये गये अनुसंधानों से यह प्रकट होता है कि यह बढ़िया किस्म का है।

†**श्री तंगामणि :** क्या इस अल्यूमीनियम कारखाने को मेटटूर में स्थापित करने के लिये मद्रास सरकार ने कोई प्रस्थापना भेजी थी, अथवा इस सम्बन्ध में कोई और प्रस्थापना भी है?

†**श्री मनुभाई शाह :** राज्य सरकार से इस बारे में कोई भी प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु जैसा कि मैंने सभा में उस दिन बताया था, जब भी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये स्थान चुने जाते हैं, सम्बन्धित राज्य सरकारों से सलाह ले ली जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Shevaray Hills.

†**श्री बीरेन राय** : क्या सरकार इस नये प्रस्तावित कारखाने में उयूरेल्यूमिन की चादरें तैयार करने का विचार रखती है?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी भी एक प्रस्थापना है।

पश्चिमी पाकिस्तान से आय विस्थापित व्यक्ति

+

†१४८. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि उससे बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले प्रव्रजकों तथा विस्थापित व्यक्तियों को कोई भी सहायता अथवा पुनर्वास सम्बन्धी कोई भी सुविधा नहीं दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां; सिवाय उन व्यक्तियों के जो इस समय लाहौर कैम्प में हैं।

(ख) उसके कारण १ सितम्बर, १९५७ के एक प्रेस नोट में बताये गये हैं जिसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रख दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]**

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस समय पश्चिमी पंजाब में ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति शेष बच गये हैं, जो यहां आना चाहते हैं?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह एक पृथक प्रश्न है जो कि अलग रूप से पूछा जाये। वहां कोई बहुत ज्यादा शरणार्थी नहीं है, संभव है कि लाहौर कैम्प में थोड़े से व्यक्ति हों। मैं तो इस सम्बन्ध में यही बता सकता हूं कि वहां पर चार व्यक्ति हैं।

आन्ध्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†*१४९. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ शास्त्रियों तथा इंजीनियरों के एक केन्द्रीय अनुसंधान दल ने, जो कि जुलाई १९५५ में स्थापित किया गया था, आन्ध्र प्रदेश के छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थिति के बारे में कोई क्रमबद्ध अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने आन्ध्र प्रदेश के किन्हीं ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में सिफारिश की है कि उन्हें १९५५–५६ में तैयार की गयी भारत राज्य बैंक की 'अग्रिम योजना' के अन्तर्गत उस बैंक से उधार सम्बन्धी सुविधाएं दी जा सकती हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) दल ने यह सिफारिश की है कि हैदराबाद के बाईसिकल तथा उसके कल पुर्जों के उद्योग को भारत के राज्य बैंक से उधार सम्बन्धी सुविधायें दी जायें । इसके अतिरिक्त राज्य बैंक तथा उस दल द्वारा सम्मिलित रूप से किये गये अनुसंधानों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित उद्योगों में संलग्न एककों को भी राज्य बैंक की ओर से ऋण दिये गये हैं :—

कृषि उपकरण तथा औजारों, तम्बाकू सुखाने की भट्टियों, मशीनों के कल पुर्जे, सड़कों पर बिजली लगाने के फिक्श्चर्स, पुलियों, इस्पात के ट्रंकों, कपड़ा सीने की मशीनों, इस्पात की केबनिट, गुड़ियों, फॉऊंटेन पैन, कांच के वैज्ञानिक-उपकरणों, घरेलु बर्तन, और टायर 'टायर रिट्रिडिंग' के उद्योग ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : राजामुन्द्री के वर्तमान फाँऊंटेन पैन उद्योग को कौन सी विशेष सहायता देने पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राजामुन्द्री राज्य बैंक योजना में सम्मिलित नहीं है । राज्य बैंक द्वारा आन्ध्रप्रदेश मे विजयवाड़ा, अडोनी, हैदराबाद तथा विशाखापटनम् केवल ये ही चार स्थान चुने हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई योजना है, और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत के राज्य बैंक की योजना के लिये हमने सारे देश में ३४ केन्द्रों का सर्वेक्षण किया है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : राजामुन्द्री में एक फाऊंटेन पैन उद्योग चल रहा है जो कि कई वर्षों से कार्य कर रहा है। मैं नहीं जानता कि उसे केन्द्रीय योजना, आन्ध्र राज्य तथा अन्य संस्थाओं ने क्यों नहीं चुना है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस दल का मुख्य उद्देश्य इन स्थानों को विशेष उद्योगों की दृष्टि से चुनना नहीं था अपितु इस दृष्टि से चुनना था कि किसी भी शहरी क्षेत्र के अधिक से अधिक छोटे पैमाने के उद्योगों को इस अग्रिम योजना से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, और इसीलिये प्रत्येक राज्य में कुछ केंद्र चुने गये हैं । सारे देश में केवल ३४ केन्द्र हैं । आन्ध्र में ४ केन्द्र चुने गये हैं जिनमें राजामुन्द्री सम्मिलित नहीं है । तो भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि राजामुन्द्री का फाऊंटेन पैन उद्योग कोई सहायता चाहता है तो आन्ध्र के राज्य उद्योग अधिनियम तथा छोटे उद्योगों के लिये केन्द्रीय सहायता के अधीन इस उद्योग को उधार सम्बन्धी सुविधाएँ दी जा सकती हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : भारत के राज्य बैंक द्वारा अग्रिम योजना के अधीन मद्रास राज्य में विजयवाड़ा, कोयम्बटूर तथा मद्रास के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कुल कितनी राशि दी गयी है?

†**श्री मनुभाई शाह** : विजयवाड़ा तो आन्ध्र में है और कोयम्बटूर मद्रास में है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मेरा तात्पर्य राज्य बैंक के मद्रास सर्कल से है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहाँ तक इसका संबंध है, इस प्रकार का कोई सर्कल है ही नहीं । इस अग्रिम योजना के अधीन आँध्र राज्य के लिये ५,६७,००० रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन

+

†*१५०. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ अक्तूबर, १९५७ को ढाका में भारतीय उपउच्चायुक्त के कार्यालय के सामने खाकसार प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किये थे और भारत के विरुद्ध गन्दी भाषा का प्रयोग किया था और धमकियों से भरे हुये भाषण दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार के पास कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(ग) उस विरोध-पत्र के संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण :** क्या ये प्रदर्शनकारी वे ही हैं अथवा इनका उनसे कोई संबंध है जिन्होंने पहले यह नोटिस दिया था कि उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों और वहां की सरकार में क्या संबंध है ?

श्री राधा रमण : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या इन प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान सरकार को दिये गये उस पूर्ववर्ती नोटिस से कोई संबंध है कि वे भारत की सीमा में बलात प्रवेश करना चाहते हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : माननीय सदस्य संभवतः अल्लामा मशरकी नामक व्यक्ति की ओर निर्देश कर रहे हैं। विभिन्न लोगों के पारस्परिक संबंधों के बारे में हम निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है कि वह अभी भी जेल में हैं, वह उड़कर तो वहां पहुंच नहीं सकते। जैसा मैंने पहले भी इस सभा में कहा था, उनकी महान उपाधि के बावजूद मुझे उनके स्वस्थ-चित्त व्यक्ति होने में सन्देह है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या पाकिस्तान सरकार ने वहां के प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उन्हें जेल भेज दिया गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं यह पूछना चाहता था कि क्या पाकिस्तान सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : अल्लामा को फिर पकड़ लिया गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त लाहौर तथा स्यालकोट के जिलाधीशों ने आर्डर जारी किये हैं जिनके अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान के सीमान्त क्षेत्र में कैम्प लगाने, जलूस निकालने और सैनिक रूप से ड्रिल करने तथा भारत-पाक सीमा की ओर सामूहिक रूप से जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह भी सूचना मिली है कि पुलिस ने सीमावर्ती जिलों के कैम्पों को समाप्त कर दिया है।

†डा० राम सुभग सिंह : वह अल्लामा का उल्लेख नहीं कर रहे, वह तो ढाका के प्रदर्शनकारियों का उल्लेख कर रहे हैं।

†श्री सादत अली खां : मैं इस बात पर भी आ रहा हूं। ऐसी सूचना मिली है कि अन्य जिलों जैसे कि मौंटगुमरी, हैदराबाद तथा शेखूपुरा में रजाकारों ने स्वेच्छा से ही अपने कैम्प समाप्त कर दिये हैं। इन कार्यवाहियों का पूर्वी पाकिस्तान के संघटनों पर भी प्रभाव होना चाहिये।

कच्ची फिल्में*

†*१५२. { श्री बीरेन राय :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में जुलाई से दिसम्बर तक की अवधि के लिये कितने फुट कच्ची फिल्म के आयात की अनुमति दी गई है ;

(ख) इस आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) देश में कच्ची फिल्म के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). कच्ची फ़िल्मों के आयात लाइसेंस, फुट के आधार पर नहीं बल्कि मूल्य के आधार पर दिये जाते हैं। १-७-५७ से २-११-५७ के लिये ७६ लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस दिये गये हैं।

(ग) सिनेमा की फ़िल्मों, एक्सरे की फ़िल्मों तथा फोटो के कागजों के निर्माण के लिये प्राप्त हुये कुछ अस्थायी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

†श्री बीरेन राय : क्या यह सच नहीं है कि भारत में १९४८ से प्रति वर्ष औसत से लगभग ३०० रूपक फ़िल्में तैयार की जाती हैं और कच्ची फ़िल्म के उद्योग को प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने से इस देश को लगभग १५ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : देश में कच्ची फ़िल्म के उद्योग को स्थापित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। प्रविधिक जानकारी कुछ विदेशी समवायों के ही पास है। बातचीत की जा रही है और देश में उद्योग को स्थापित करने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

†श्री बीरेन राय : क्या यह सच है कि १९४८—४९ में, जबकि पश्चिमी जर्मनी में यह उद्योग आज के स्तर तक नहीं पहुंचा था उस समय जर्मनी के इस उद्योग से भली भांति परिचित प्रविधिज्ञ बहुत ही कम कीमत पर प्राप्य थे और भारत में कच्ची सामग्री प्राप्य होने के कारण प्रथम पंच वर्षीय योजना में आज से कहीं कम कीमत पर कारखाने को सम्मिलित किया जा सकता था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Raw films

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : १९४९ में क्या कुछ किया जा सकता था उसे कहने का कोई लाभ नहीं है। यह सत्य है कि ऐसा किया नहीं गया था।

†**श्री गोरे** : क्या यह सत्य नहीं है कि इसमें ९ वर्ष लगेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : ढलाई के रंग में ४॥ वर्ष लगेंगे और सांचे तथा सभी प्रकार की कच्ची फिल्में बनाने में ९ वर्ष लगेंगे ।

राज्य व्यापार निगम

†*१५३. **श्री विमल घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस आयात के लिये रुपयों में अदायगी की जाती है क्या उसके लिये राज्य व्यापार निगम कोई कमीशन लेता है ; और

(ख) यदि हां, तो कमीशन किस दर से लिया जाता है और इस प्रकार का कमीशन लेने के लिये निगम द्वारा क्या सेवायें प्रदान की जाती हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). जब कभी भी निगम की सेवाओं की मांग की जाती है तब राज्य व्यापार निगम खरीदने वालों अथवा बेचने वालों को प्रदान की गई सेवाओं के लिये फ़ीस लेता है। यह राशि सदैव सौदों के स्वरूप तथा मात्रा के अनुसार भिन्न होती है। राज्य व्यापार निगम का अपने ग्राहकों से संबंध विश्वासाश्रित प्रकार का होता है। आम तौर पर व्यापार में लिये जाने वाले कमीशन की दरों का अथवा की गई सेवाओं का ब्यौरा बताया नहीं जाता है। ऐसी किसी बात को प्रकट करने से इसका राज्य व्यापार निगम के कारोबारी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

†**श्री विमल घोष** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जिन आयातों के लिये रुपयों में भुगतान किया जाता है और जिनके संबंध में राज्य व्यापार निगम द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है उनके संबंध में भी केवल इसलिये कमीशन लिया जाता है कि भुगतान रुपयों में किया गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करे कि कमीशन न लिया जाये, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिये कीमतें बढ़ जाती हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जब तक कोई विशिष्ट सेवा प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई कमीशन नहीं लिया जाता ।

†**श्री विमल घोष** : क्या माननीय मंत्री इस संबंध में जांच करेंगे ? मैं औषधियों के संबंध में कह सकता हूं कि राज्य व्यापार निगम कोई सेवा प्रदान नहीं करता है : गैर सरकारी पक्ष आयात करते हैं। परन्तु रुपयों में भुगतान किये जाने के कारण कमीशन लिया जाता है। क्या माननीय मंत्री इस विषय में जांच करेंगे ।

†**श्री कानूनगो** : यदि विशिष्ट मामलों को मेरी जानकारी में लाया जाये तो मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रि० कु० चौधरी :** प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह था कि आयात के जिन मामलों में रुपयों में भुगतान किया जाता है क्या उनके संबंध में कोई कमीशन लिया जाता है ?

श्री विमल घोष : क्या मैं माननीय मंत्री को समझा सकता हूं ? यदि आयात की अदायगी विदेशी मुद्रा में की गई होती तो कोई कमीशन न लिया जाता । केवल इसलिये कि भुगतान रुपयों में किया जाता है, कमीशन लिया जाता है ।

†**श्री कानूनगो :** मैं बता चुका हूं कि जब कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती तब कोई कमीशन नहीं लिया जाता है । यदि मुझे कोई मामला बता दिया जाये तो मैं जांच करूंगा ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरार जी देसाई) :** यदि ऐसा है तो हम स्वयं जांच पड़ताल करेंगे ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि लौहा अयस्क तथा मेंगनीज़ का निर्यात यदि किसी गैर-सरकारी पक्ष द्वारा किया गया हो तो उनके संबंध में भी राज्य व्यापार निगम बिना किसी सेवा के ७।। प्रतिशत की दर से कमीशन लेता है ।

†**श्री कानूनगो :** वह सेवा प्रदान करता है । यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये तो मैं प्रदान की गई सेवा की जांच करूंगा ।

हथकरघे का कपड़ा

\+

*१५४ { **श्री जाधव :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार १ दिसम्बर, १९५७ से हथकरघा उत्पादों पर छट की रकम कम कर रही है ;

(ख) छट की रकम में कमी करने का कारण क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस कमी के संबंध में हथकरघा बुनकरों के कड़े विरोध का ज्ञान है ; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप हथकरघे का कपड़ा मिल में बने कपड़े के मुकाबले में टिक न सकेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस बात को देखते हुये कि हथकरघा उद्योग से अन्य विकास योजनाओं पर अधिक धन खर्च करना अत्यावश्यक है, छट की दर में कमी करना आवश्यक समझा गया है ।

(ग) सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें छट की दर में कमी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है ।

(घ) सरकार की यह राय नहीं है कि इस कमी से हथकरघा उद्योग को किसी प्रकार की गम्भीर असुविधा होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव** : क्या अगले वर्ष इसे बिल्कुल खत्म कर दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : हम इस पर विचार करेंगे । फिलहाल हमने इसे कम किया है । विचार यह है कि इसे धीरे-धीरे कम किया जाये और पूर्णतः खत्म किया जाये ।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने कहा है कि विभिन्न दिशाओं से विरोध प्राप्त हुये हैं । विशेष रूप से मद्रास राज्य ने विरोध प्रकट किया है जहां सहकारी समितियों के अधीन लगभग २००,००० करघे हैं । बहुत सी संस्थाओं ने यह विरोध प्रकट किया है कि यदि इस छूट को १।। आने से कम करके ६ नये पैसे किया गया तो इसका कारबार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । इन विरोधों को देखते हुये क्या सरकार छूट की इस कटौती में परिवर्तन करने की बात पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं बता चुका हूं कि विरोध प्रकट किये गये हैं परन्तु हम आशा करते हैं कि छूट में कमी करने से उत्पादन अथवा बिक्री में अधिक कमी न होगी, क्योंकि विकास संबंधी गतिविधियां, आदि जो अन्य कार्यवाहियां हमने की हैं उनके जोर पकड़ते ही अधिक सुविधायें प्राप्त होंगी ।

†**श्री तंगामणि** : : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि मद्रास राज्य विधान सभा में उद्योग मंत्री ने कहा था कि उन्हें मालम नहीं है कि इस छूट में कटौती क्यों की गई है ? क्या माननीय मंत्री को यह भी मालूम है कि कई सदस्यों ने छूट में कटौती पर यह चिन्ता प्रकट की थी कि इस से अन्ततः बाजारों में प्राप्त हथकरघा वस्तुओं में कमी होगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं अन्तिम पुर्वानुमान से सहमत नहीं हूं । मैं जानता हूं कि आपत्तियां की गई हैं और विरोध प्रकट किये गये हैं । जैसा कि मैंने कहा है, हम आशा करते हैं कि विकास संबंधी गतिविधियों पर अधिक बल देने से उत्पादन अथवा बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : हथकरघा उद्योग को जो छूट दी जाती है, क्या उसमें कमी के कारण मिल के कपड़े पर करों में भी कोई कमी होगी ?

†**श्री कानूनगो** : इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री शंकरय्या** : क्या छूट में कमी की सिफारिश इस कारण की गई है कि उत्पादन केन्द्रों से वित्तीय सहायता देने के लिये कहा गया है ?

†**श्री कानूनगो** : यह जरूरी नहीं है । वित्तीय सहायता, अनुदान तथा ऋण अत्याधिक मात्रा में दिये जा रहे हैं और परिणामस्वरूप इस छूट की तुलना में इनसे अधिक पर्याप्त सहायता होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मकान के किराये

*१३३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के मकानों के लिये नियत किये गये किराये हाल ही में कम कर दिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने प्रतिशत कमी की गई है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं, केवल कुछ दुकानों के किराये कम किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) का अखबारी कागज का कारखाना

*१३७. **श्री त० ब० विट् ल राव** :
श्री हेडा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) का अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के संबंध में सहकारिता के उचित निबन्धन प्राप्त करने के लिये अब बातचीत पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का परिणाम क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). विदेशी सहकारिता के संतोषजनक निबन्धन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

लंका में भारतीय

†*१४१. **श्री महन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका से भारतीयों के निर्वासन में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है, और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) इसका अंशत: कारण चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में भारत से लंका के अवैध आप्रवास में वृद्धि होना है और अंशत: कारण यह भी है कि जो व्यक्ति अपने अस्थायी निवास अनुज्ञाओं में उल्लिखित अवधि से अधिक ठहर चुके हैं उन्हें द्वीप से निर्वासित करने के लिये लंका सरकार ने कार्यवाहियां कठोर कर दी ह ।

लंका में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा जिनका एक प्रतिनिधि तालैमन्नार में भी रहता है, प्रत्येक मामले में, गिरफ्तारी के बाद, निरोध की अवधि को यथासंभव न्यूनतम सीमा तक कम करने के लिये प्रबन्ध किया जाता है और अस्थायी निवास अनुज्ञाधारियों के कई मामलों के संबंध में उन्होंने उन व्यक्तियों के वहां ठहरने की अवधि बढ़ाने में, ताकि वे अपना कामकाज समाप्त कर लें, सफल प्रयत्न किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाराणसी में आयात किये गये रेशम का वितरण

†*१४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कानपुर की उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संस्था को आयात रेशम दे रही है ताकि वह उसे वाराणसी (बनारस) में वितरित करे ; और

(ख) यदि हां, तो वितरण का ढंग क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संस्था रेशम के व्यापारियों की सन्थाओं, सहकारी समितियों, आदि के द्वारा, पंजीबद्ध रेशम बुनकरों में आयात किये गये कच्चे रेशम को वितरित करती है । यह वितरण वाराणसी के जिला सम्भरण अधिकारी की हिदायतों के अनुसार किया जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरण के प्रयोजन से स्थापित रेशम धागा वितरण मंत्रणा समिति द्वारा इस अधिकारी का मार्ग दर्शन किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का केन्द्र

†*१४६. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई रेडियो स्टेशन है जहां से किसी भी उपयुक्त प्रकार का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम प्रसारित किया जाता हो ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और प्रतिदिन कितने घंटे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का द्वितीय योजना में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के भीतर एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). आकाशवाणी का नागपुर स्टेशन छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिये प्राप्त उपयुक्त सामग्री की सीमा तक लोक कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है । छत्तीसगढ़ अब इन्दौर-भोपाल स्टेशनों के कार्यक्रम जोन में है, परन्तु नागपुर स्टेशन से भी कुछ कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे ।

(ग) जी, नहीं परन्तु भोपाल में दस किलोवाट का जो शार्ट वेव ट्रांसमीटर निर्मित किया जा रहा है वह छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी पर्याप्त रूप से लाभ पहुंचाएगा ।

विदेशी मुद्रा

†*१५१. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात पर पाबन्दियों द्वारा अगले छः मास में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में संयंत्रों तथा मशीनों और औद्योगिक कच्ची सामग्री के आयात के लिये यदि आस्थगित भगतानों के संबंध में कोई प्रबन्ध किये गये हैं तो वे किस सीमा तक किये गये हैं ;

(ग) विदेश में ब्याज की बढ़ती हुई दरों के कारण इस प्रकार की देनगियों की मात्रा कहां तक बढ़ेगी ; और

(घ) इसी छः मास की अवधि में बचे हुये आयात लाइसेंसों के उपभोग में कितनी विदेशी मुद्रा सन्निहित है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) लोहा तथा इस्पात के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक अनुज्ञापन के संबंध में अर्द्ध-वार्षिक आधार पर लगभग ७० करोड़ रुपये की बचत होगी। अगली छमाही में समस्त बचत होने की आशा नहीं है परन्तु अनुज्ञप्तियों के उपभोग पर निर्भर रहते हुये यह बचत एक दीर्घावधि में होगी।

(ख) तथा (ग). अगली छमाही में आस्थगित भुगतान निबन्धनों पर अनुज्ञापन की सीमा तथा ब्याज की जिस दर पर आस्थगित भुगतान प्राप्त किया जायेगा, उस दर का पुर्वानुमान करना संभव नहीं है।

(घ) अगली छमाही में बचे हुये आयात लाइसेंसों के संभाव्य उपयोग का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

भारतीय सद्भावना मिशन

†*१५५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य पूर्वी देशों में गये भारतीय सद्भावना मिशन की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है ;

(ख) क्या व्यापार में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) लोक-सभा में २० दिसम्बर १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाया जाता है। मिशन की जिन मुख्य सिफ़ारिशों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था उन का सम्बन्ध पश्चिम एशियाई देशों में प्रदर्शन-कोष्ठों को स्थापित करने और प्रदर्शनियों का आयोजन करने से था। इन्हें प्राप्य वित्तीय संसाधनों के भीतर यथासम्भव सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। इंजीनियरी उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएं, चमड़े का सामान, तम्बाकू तथा रेशमी और रेयन के कपड़ों जैसी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये परिषदें भी स्थापित की गई हैं।

(ख) तथा (ग). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में इन देशों के साथ व्यापार सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-जापान व्यापार करार

†*१५६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक भारत-जापान व्यापार करार करने के सम्बन्ध में हाल ही की बातचीत का परिणाम क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जापान के साथ एक व्यापार करार करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है और दोनों सरकारों में इस सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है ।

अल्जीरिया

†*१५७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** २१ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के बारहवें नियमित सत्र की कार्यावलि में अल्जीरिया के प्रश्न को भी सम्मिलित किया गया है और इस प्रश्न पर वादविवाद किया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के चालू सत्र की कार्यावलि में अल्जीरिया के प्रश्न को भी सम्मिलित किया गया है । आशा है कि राजनीतिक समिति में इस प्रश्न पर वादविवाद प्रारम्भ होगा ।

दिल्ली के लिये आवंटन समिति

*१५८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये एक नई आवंटन समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का गठन किस आधार पर किया गया है ;

(ग) इस में कितने संसद् सदस्य सम्मिलित किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (घ). दिल्ली में मकानों आदि को एलाटमेंट का काम जब पुनर्वास मंत्रालय ने फरवरी १९५७ में लिया था, तब भूतपूर्व दिल्ली राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एलाटमेंट कमेटी खत्म हो गई । क्योंकि दिल्ली में शरणार्थियों के लिये बनाये गये मकानों/टेनेमेंट्स/दुकानों की एलाटमेंट का काम काफी समाप्त हो चुका था, इसलिये केवल पांच सरकारी सदस्यों की एक छोटी सी कमेटी बना ली गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर की कपड़ा मिलें

†*१५९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५७ में कानपुर की कपड़ा मिलों में सूती कपड़े का अत्याधिक स्टाक अनबिका पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ; और

(ग) उन कारखानों में अब सूती कपड़े के स्टाक की स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) तथा (ख). सितम्बर, १९५७ के अन्त में कानपुर की कपड़ा मिलों में कपड़े की कुल ६३,७५३ गांठों का स्टाक बिना बिके पड़ा था। यह स्टाक इसलिये भी ज्यादा था कि अपक्रय कम हुआ था और मांग तथा प्राप्यता के बीच सामान्य असंतुलन था ।

(ग) स्कन्ध स्थिति न्यूनाधिक वैसी ही है ।

काजू

†*१६०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६-५७ में पिछले वर्षों की तुलना में काजू के निर्यात से अधिक डॉलर अर्जित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितना अधिक अर्जन हुआ है ; और

(ग) यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी तो कितनी दी गई थी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १९५३-५४ से १९५६-५७ तक के वर्षों में काजू के निर्यात से अर्जित डॉलर दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ग) मई, १९५५ में काजू तथा मिर्च निर्यात संवर्द्धन परिषद् स्थापित की गई थी और तब से इस परिषद् को सहायक अनुदानों के रूप में ७८,००० रुपये दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋण भी दिये जाते हैं ताकि राज्य सरकारें काजू की खेती वाले प्रत्येक अतिरिक्त एकड़ के लिये १५० रुपये की दर से ग़ैर-सरकारी उत्पादकों को पेशगियां दे सकें। इस कार्य के लिये १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में राज्यों को २०,४१,९५,२०० रुपये आवंटित किये जा चुके हैं ।

प्रैस परिषद् विधेयक

*१६१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस परिषद् विधेयक को पुनः संसद् के समक्ष लाने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जैसाकि १४ अगस्त, १९५७ के प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था, सरकार प्रैस कौंसिल बिल पेश करने का विचार रखती है बशर्ते कि अख़बारी दुनिया के विभिन्न दलों में इस बारे में आपसी मतभेद कम हो जावें। चूंकि समाचार पत्र इधर दूसरे ज्यादा ज़रूरी कामों में व्यस्त रहे, इस की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि विधेयक कब दोबारा पेश किये जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*१६२. **श्री मुरारका** :
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम जिन परियोजनाओं की जांच कर रहा है उन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या किसी परियोजना को विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सहयोग करने वाले विदेशियों के नाम क्या हैं और यह सहयोग किस प्रकार का होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). इरादा यह है कि जितनी परियोजनाओं के बारे में जांच की जा रही है उन सभी के लिये विदेशों की उपयुक्त फर्मों का सहयोग प्राप्त किया जाये और इस बात की काफ़ी संभावना है कि काफ़ी परियोजनाओं के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त हो जायेगा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की अधिकांश योजनाओं के प्रविधिक पहलुओं और परियोजना ब्यौरों को प्रायः अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है। प्रविधिक सहयोग के अलावा संयंत्र और मशीनों के लिये विदेशी पूंजी या दीर्घकालीन भुगतान की उपयुक्त सुविधाओं का भी बहुत महत्व होता है और इस के लिये सक्रिय रूप से बातचीत जारी है।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी

†*१६३. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोएक्सियल और स्विचबोर्ड केबल बनाने के लिये रूपनारायणपुर हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी में एक अतिरिक्त संयंत्र की स्थापना के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के कब तक आ जाने की आशा है और उस की प्राक्कलित लागत कितनी होगी ; और

(ग) क्या इस संयंत्र को चलाने के लिये लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कोएक्सियल केबल बनाने के लिये जिन अतिरिक्त संयंत्रों की आवश्यकता है उन के लिये आर्डर दिया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस फैक्टरी में स्विज बोर्ड केबल बनाने का कार्यक्रम अभी आरम्भ नहीं किया गया है, और इस प्रयोजन के लिये किसी भी संयंत्र का आर्डर नहीं दिया गया है ।

(ख) आशा है कि कोएक्सियल केबल के लिये अतिरिक्त संयंत्र सितम्बर, १९५८ तक ब्रिटेन से भेज दिया जायेगा और उस की प्राक्कलित लागत २७ लाख रुपये है । वह अप्रैल, १९५९ में उत्पादन आरम्भ करेगा ।

(ग) जी हां ।

जलाभेद्य कपड़ा[७] (वाटर प्रूफ फैब्रिक)

†*१६४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जलाभेद्य कपड़े का उत्पादन मांग के अनुरूप है ;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने कपड़े का आयात किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों में जलाभेद्य कपड़े का आयात नगण्य ही रहा ।

(ग) ऊपर भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोजे-बनियान आदि का उद्योग[८]

†*१६५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मोजे बनियान आदि के उद्योग को एशिया के अनेक देशों में जापान के कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस उद्योग को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिस से वह इस मुकाबले का सामना कर सके ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी हां । भारत के मोजा बनियान आदि के उद्योग को केवल जापान से ही नहीं वरन् हांगकांग से भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह जानकारी दी हुई है । **देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[७]Water proof fabrics.
[८]Hosiery Industry.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

†*१६६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में मुख्य सिफारिशें दी हुई हैं **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ग) जी हां ।

(घ) सिफारिशों को ध्यान में रख लिया गया है ।

निर्माण कार्यों में सीमेंट की बचत

†*१६७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण कार्यों में सीमेंट की बचत सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया और प्रभावकारी पाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** क्योंकि यह प्रतिवेदन ३० जून, १९५७ को विभिन्न राज्य-सरकारों और अन्य लोगों को भेजा गया था, इसलिये अभी यह अनुमान लगाने का समय नहीं आया है कि सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया और प्रभावकारी समझा गया है । लेकिन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अधिकांश सिफारिशों को मान कर उन्हें लाभ-प्रद ढंग से अपने निर्माण कार्यक्रम में लागू कर दिया है ।

काजुओं की मींगियों का निर्यात

†*१६८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से तैयार काजू की मींगियों के दानों का निर्यात करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या फैक्टरियों को आयात किये गये कच्चे काजू उचित दामों पर दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ख) क्योंकि फैक्टरियों को कच्चे काजू उचित भाव पर मिल रहे हैं इसलिये अभी कुछ भी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ।

मूल अंग्रेजी में

मोटर परिवहन श्रमिक

*१६९. {**श्री भक्त दर्शन :**
श्री ईश्वर अय्यर :

†**क्या श्रम और रोजगार** मंत्री ९ अगस्त, १९५७: के तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर परिवहन श्रमिकों के मोटर चलाने के घंटे नियत करने के बारे में जो त्रिपक्षीय समिति विचार कर रही थी, क्या उस ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) मोटर ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के बारे में कानून बनाने के सवाल पर जो समिति विचार कर रही थी उस ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, लेकिन अभी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठते ।

काजू और मिर्च सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†**१७८. श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि काजू और मिर्च सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन परिषद् के लिये जिन लोगों को चुना गया है उन के नाम क्या हैं, वे किस का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सम्बन्धित उत्पादन, व्यापार अथवा उद्योग से उन का क्या सम्बन्ध है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई):** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में सरकार द्वारा नामजद सरकारी प्रतिनिधियों और काजू तथा मिर्च उद्योग द्वारा चुने गये सदस्यों का ब्यौरा दिया हुआ है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५**]

लौह-अयस्क और अभ्रक का निर्यात

†**१७९. श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन बड़े बन्दरगाहों, अर्थात्, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से लौह-अयस्क और अभ्रक के निर्यात में अगस्त, १९५७ में पिछले महीनों की तुलना में भारी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रजी में

कपड़े और सूत का उत्पादन

†१८०. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े और सूत के उत्पादन को अगस्त, १९५७ में पिछले महीनों की तुलना में गहरा धक्का पहुंचा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) कपड़े और सूत के उत्पादन में अगस्त, १९५७ में पिछले महीने के उत्पादन की तुलना में कुछ कमी नजर आई थी । उत्पादन के आंकड़े निम्न लिखित हैं :

	सूती कपड़ा (करोड़ गज़)	सूत (करोड़ पौंड)
जुलाई, १९५७ . .	४५.८८	१५.०२
अगस्त, १९५७	४२.०५	१४.४१

(ख) अगस्त, १९५७ में कपड़े और सूत के उत्पादन में इस थोड़ी सी कमी का कारण यह बताया जा सकता है कि १५ और १६ अगस्त, १९५७ की दो अतिरिक्त छुट्टियां पड़ गई थीं ।

अम्बर चरखा योजना

†१८१. **श्री बे० च० मलिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अम्बर चरखा योजना के लागू किये जाने के दिन से उस की क्रियान्विति के लिये उड़ीसा सरकार को अनुदानों और ऋणों के रूप में कितनी राशियां दी गई हैं ;

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ग) क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के ज़रिये से अनुदानों और ऋणों के रूप में उड़ीसा राज्य की संस्थाओं, समितियों आदि को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

	१९५६-५७	१९५७-५८ (५-११-५७ को)
अनुदान	१,५३,९५० रु०	१,०५,००० रु०
ऋण	१,९८,५६० रु०	१,५४,००० रु०

(ख) उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई राशि और संस्थाओं द्वारा उस में से वास्तव में काम में ली गई राशियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से मिली सूचनाओं के आधार पर यह बताया गया है कि अब तक क्या फल प्राप्त हुआ है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और सामुदायिक परियोजनायें

†१८२. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और सामुदायिक परियोजनाओं में विकास कार्यों की प्रगति की जांच करने के लिये कोई मूल्यांकन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) उसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी हां । पंजाब में दो परियोजना-अफसर काम कर रहे हैं—एक बटाला में और दूसरा सोनीपत में । वे सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं ।

(ख) और (ग). परियोजना मूल्यांकन पदाधिकारियों के प्रतिवेदन नियमित रूप से मिलते रहते हैं और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करते समय इनका ध्यान रखा जाता है । वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद्-सदस्यों को भेज दी जाती हैं और सभा के पुस्तकालय में भी मिल सकती हैं । प्रत्येक परियोजना के प्रतिवेदन भी अलग अलग पुस्तकाकार प्रकाशित किये जाते हैं । और ये भी सभा के पुस्तकालय में मिल सकते हैं ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१८३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राजकीय उपक्रमों, राज्य सरकारों, सरकारी वित्त पाने वाले गैर-सरकारी समवायों, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य मालिकों ने अब तक किस सीमा तक काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवाओं का उपयोग किया है; और

(ख) क्या इस बात की व्यवस्था के लिये, कि ये सभी प्राधिकार कर्मचारीवृन्द की अपनी आवश्यकताओं के लिये इन दफ्तरों की सेवाओं का पूरा पूरा उपयोग करें, कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) अक्तूबर, १९५६ से सितम्बर, १९५७ तक के १२ महीनों में विभिन्न श्रेणियों के प्रतिष्ठानों ने काम दिलाऊ दफ्तरों को जिन रिक्त स्थानों की सूचना दी उनकी औसत संख्या नीचे दी जाती है :

केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	७,६७३
राज्य सरकारों के प्रतिष्ठान	१०,२७२
अर्द्ध-सरकारी प्रतिष्ठान और स्थानीय निकाय	२,४४३
अन्य प्रतिष्ठान	३,९६१
कुल जोड़	२४,३४९

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि काम दिलाऊ दफ्तरों का पूरा पूरा उपयोग किया जाये, संबन्धित अधिकारियों से बार-बार कहा जाता है ।

आणविक गवेषणा

†१८४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु-शक्ति विभाग और अन्य देशों के इसी प्रकार के निकायों के बीच कोई सम्पर्क है; और

(ख) यदि हां, तो उन-देशों के नाम क्या हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अणु-शक्ति विभाग आणविक गवेषणा के क्षेत्र में अनेक अन्य देशों के उसी प्रकार के निकायों के साथ निकट सहयोग कर रहा है और उनमें से कुछ के साथ तो उसका औपचारिक करार भी है । वैज्ञानिकों तथा प्रविधिक जानकारी के विनिमय द्वारा सम्पर्क कायम रखा जाता है ।

(ख) इन देशों में कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं ।

पाकिस्तान में भारतीय

†१८५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि कितने भारतीय पाकिस्तान में अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सरकार को यह जानकारी नहीं है ।

नाभिकीय विज्ञान में गवेषणा

†१८६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नाभिकीय विज्ञान में आधारभूत गवेषणा करने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में अब तक कितनी राशि दी गयी है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नाभिकीय विज्ञान में आधारभूत गवेषणा के लिये अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक भारतीय विश्वविद्यालयों को ४,५३,८१८ रुपये की वित्तीय सहायात दी गयी है ।

अम्बर चरखा कार्यक्रम

†१८७. श्री केशव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चरखा कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) चरखों के संभरण, उन्हें चलाने के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण और १९५७ में अब तक तैयार किये गये सूत के सम्बन्ध में सब से हाल की स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई): (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि अम्बर चरखा कार्यक्रम की क्रियान्विति में ३० सितम्बर, १९५७ तक कितनी प्रगति हुई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७] इस विवरण में चरखों के संभरण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सूत-उत्पादन सम्बन्धी ताजी स्थिति भी बतायी गयी है।

चाय उद्योग

†१८८. { श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग में उत्पादन व्यय सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिये किसी निदेशालय की स्थापना की गयी है; और

(ख) यदि हां तो उसने क्या मुख्य और सानुपातिक व्यय सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये हैं?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ते में ट्रांसमिटर

†१८९. { श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते में १०० किलोवाट का ट्रांसमिटर लगाने में कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : द्विती पंचवर्षिय योजना के दौरान म कलकत्ते में १०० किलोवाट का ट्रांसमिटर लगाने की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली में निष्क्रान्त व्यक्तियों के घर

१९०. श्री नवल प्रभाकर : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन के नियंत्रण में जो मकान हैं, वे बहुत बुरी हालत में हैं;

(ख) उनमें से कितने मकान गिर गये हैं;

(ग) पिछले दस सालों में कितने मकानों की मरम्मत की गई है; और

(घ) गिरे हुये मकानों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये कहां-कहां जगह की व्यवस्था की गई है?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) सब मकान नहीं, लेकिन कुछ बेमरम्मत हालत में हैं।

(ख) २१३ मकान।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ७,००० मकानों को मरम्मत कराने की मंजूरी दी गयी थी ।

(घ) यद्यपि सरकार ऐसे सब लोगों को मकान देने की जिम्मेदारी नहीं लेती, फिर भी अत्यन्त पात्र शरणार्थियों को दूसरी जगह मकान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

दिल्ली में मकान-कर

१९१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाये गये मकानों पर मकान-कर के रूप में कितना रुपया लिया जा रहा है ;

(ख) उस धन-राशि में से प्रत्येक नगरपालिका को कितना धन दिया गया ; और

(ग) कितना देना बाकी है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा को मेज़ पर रख दी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्त्तगाल का मामला

†१९२. **श्री केशव :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हेग के न्यायालय में गोआ सम्बन्धी मुकदमे की पैरवी करने में भारत के महाधिवक्ता[१] की सहायता करने के लिये भारत सरकार ने जिन विदेशी वकीलों को नियुक्त किया है उनके नाम क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : विदेशी वकीलों के नाम ये हैं :

१. ब्रिटेन के भूतपूर्व एटर्नी-जनरल सर फ्रैन्क सौसिक्स ।

२. आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्राध्यापक श्री सी० एच एम० वाल्डोक ।

३. जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्राध्यापक श्री गरोनहीम ।

४. लन्दन के बैरिस्टर श्री गाडफ्रे ले क्वेंन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Advocate General of India

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१९३. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद हलियास :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों का इस समय सरकार द्वारा फर से बसाये जाने की जरूरत है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को पुनर्वास की सुविधा पश्चिमी बंगाल में फौरन ही मिल सकती है;

(ग) कितने व्यक्तियों को ऐसी सुविधायें पश्चिमी बंगाल में बाहर के राज्यों में फौरन मिल सकती हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य तथा अन्य योजनाओं के पूरे होने तक ठहरना पड़ेगा ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]

नरसिंह गिरजी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, शोलापुर

†१९४. श्री त० ब० विठ्ठल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंह गिरजी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, शोलापुर सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजाभट चाय बागान में हड़ताल

१९५. श्री बोस : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल के राजाभट चाय बागान में पिछली २६ अगस्त, १९५७ से मजदूरों की हड़ताल चल रही है ;

(ख) हड़ताल में कितने मजदूर शामिल हैं ;

(ग) इतनी लम्बी हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(घ) विवाद को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हड़ताल २३ सितम्बर, १९५७ को समाप्त कर दी गयी थी।

(ख) ९००।

(ग) अनेक बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली, मजूरी और भत्ते निश्चित करने आदि की मजदूरों की कुछ मांगें, प्रबन्धकों ने स्वीकार नहीं की थीं, इसीलिये मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर यह विवाद अन्तिम रूप से सुलझ सका था। कुछ मांगों को न्यायनिर्णयन के लिये एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था। राज्य सरकार इस विवाद से सम्बन्धित कुछ और प्रश्नों को न्यायनिर्णयन के लिये एक न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

आकाशवाणी के पदाधिकारी

१९६. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के अनेकों राजपत्रित पदाधिकारी अब भी अस्थायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पदाधिकारियों को स्थायी बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) आकाशवाणी के ३०० राजपत्रित पदाधिकारियों में से २१७ पदाधिकारियों को या तो अपने वर्तमान पदों पर ही या किसी निचले पद पर स्थायी बनाया जा चुका है।

(ख) आकाशवाणी के दीर्घकालीन अस्थायी पदों में से ६० प्रतिशत को ३१ अक्तूबर, १९५६ से स्थायी बना दिया गया था और इनमें से अधिकांश पदों के पदाधिकारियों को स्थायी किया जा चुका है। जब तक कोई स्थायी पद रिक्त न हो तो किसी पदाधिकारियों को स्थायी बनाना संभव नहीं होता। और भी अस्थायी पदों को स्थायी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

†**१९७. श्री स० म० बनर्जी :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कितनी संख्या है; और

(ख) क्या उन सब का पुनर्वास कर दिया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नायर) :** (क) ६,०००।

(ख) ४,००० व्यक्तियों को नैनीताल तराई क्षेत्र की सरकार निर्मित कोलोनी में बसा दिया गया है। शेष २,००० व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक ही राज्य में बस गये हैं और जब तथा जिस प्रकार वे पुनर्वास सम्बन्धी सहायता की मांग करते हैं तो उस पर विचार किया जाता है।

कर्मणियत कोयले के कारखाने[१०]

†**१९८. श्री स० र० अरुमुगम् :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कर्मणियत कोयले के कारखाने कितने चल रहे हैं और उनमें से कितने मद्रास राज्य में हैं ;

(ख) इन कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१०] Actuated Charcoal Plants

(ग) कर्मण्यित चारकोल की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) भारत में दो कारखाने चल रहे हैं उन में से एक मद्रास राज्य में है ।

(ख) माहवारी २५ टन ।

(ग) वार्षिक ३०० टन ।

काबुल में राजदूतावास भवन

१९९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार काबुल में भारतीय राजदूतावास तथा उसके कर्मचारियों के लिये निवास की व्यवस्था करने के हेतु अपना निजी भवन बनाने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

२००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच आयात तथा निर्यात के व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : एक विवरण साथ में नत्थी है जिसमें १९५५-५६ और १९५६-५७ के वर्षों तथा अप्रैल १९५७ के महीने में अफगानिस्तान को हुये निर्यात और वहां से हुये आयात के आंकड़े दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९]

आकाशवाणी में मनीपुरी कार्यक्रम

†२०१. श्री ले० अचौ सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के गौहाटी स्टेशन से मनीपुर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये निर्धारित समय में वद्धि करने के लिये मनीपुर के श्रोताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या समाचार प्रसारण के समय में प्रतिदिन कम से कम पांच मिनट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) आकाशवाणी के गौहाटी स्टेशन से संवाद, संगीत, वार्ता, ड्रामा आदि का मिलाजुला कार्यक्रम मनीपुरी में १५ मिनट तक प्रसारित किया जाता है । यद्यपि इस कार्यक्रम में समाचारों के लिये औसत समय ३ मिनट है यह मनीपुर म श्रोताओं के लिये रुचिस्पद संवादों की उपलब्धि पर निर्भर है । मनीपुर में कार्यक्रम के विस्तार की वर्तमान में कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि इसे अनेक आदिम जातियों द्वारा प्रयक्त भाषाओं को प्रयुक्त करना पड़ता है तथा उपलब्ध समय अत्यन्त सीमित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृत्रिम हीरों का कारखाना (मेत्तुपलयम) मद्रास[11]

†२०२. **श्री राम शंकर लाल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेत्तुपलयम (मद्रास) का कृत्रिम हीरों का कारखाना कब निर्माण कार्य आरम्भ कर देगा ;

(ख) इसका सम्भावित उत्पादन कितना है; और

(ग) इससे कितनी सीमा तक देश की आवश्यकता पूर्ति होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**: (क) कारखाने में ५ अक्तूबर, १९५७ से उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है ।

(ख) एक महीने अथवा इसके लगभग अवधि में फैक्टरी में प्रतिदिन ४० किलोग्राम उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

(ग) इस फैक्टरी में जितने उत्पादन की आशा की गई थी उसके अनुसार देश की लगभग ६० से ७० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति इससे हो जायेगी ।

रेशों की चटाइयां[12]

†२०३. **श्री मणियंगाडन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "थाम फाइबर वर्क्स, कोट्टयम" नामक संस्था ने अनन्नास की पत्तियों के रेशों से चटाइयां बनाने की योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या सरकार ने योजना का परीक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). योजना विचाराधीन है ।

औद्योगिक विकास के लिये सहायता

†२०४. **श्री सुगंधि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री वर्ष १९५७–५८ की अनुदानों की मांगें, जिल्द १ के पृष्ठ १३ पर उल्लिखित 'गैर-सरकारी पक्षों को औद्योगिक अनुदान' सम्बन्धी मांग संख्या २ के सम्बन्ध में एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पक्ष को दी गई रकम और पक्ष के नाम, राज्य-वार, दिये गये हों ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[11]Synthetic Gem Factory.

[12]Fibre Mats.

कर्नाटक खादी बोर्ड

†२०५. **श्री सुगंधि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कर्नाटक खादी बोर्ड के बारे में १० सितम्बर, १९५७ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें मांगी गई जानकारी अब एकत्रित कर ली गई है और पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) क्या सम्पूर्ण नवीन मैसूर राज्य के लिये खादी और ग्राम उद्योगों के लिये केवल एक ही बोर्ड है ; और

(ग) प्रत्येक जोन की ब्रांच के लिये कितने हेडक्वार्टर्स हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मैसूर राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है, की कोई जोन ब्रांचें नहीं हैं । तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक परिमंडलीय कार्यालय मैसूर राज्य के लिये धारवाड़ में स्थित है ।

राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन

†२०६. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लघु उद्योगों के विकास के लिये हाल ही में दिल्ली में राज्यों के उद्योग-मंत्रियों की कान्फ्रेंस के सिलसिले में भारत सरकार द्वारा उठाये गये खर्च की सम्पूर्ण राशि व्यक्त करने की कृपा करेंगे ?

† **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : लघु उद्योगों की विकास सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा के लिये नई दिल्ली में राज्यों के उद्योग मंत्रियों की हाल ही में कोई कान्फ्रेंस नहीं हुई । किन्तु लघु उद्योग बोर्ड की नवीं मीटिंग २८ और २९ सितम्बर, १९५७ को नई दिल्ली में हुई थी । इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास के लिये कुछ कार्यवाही करना था । मीटिंग में उपस्थित होने वाले बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय राज्यों के उद्योग मंत्री भी विशेष आमंत्रण पर इसमें सम्मिलित हुए थे । उनके यात्रा भत्ते तथा मंहगाई भत्ते का भार सम्बन्धित राज्य सरकारें वहन करती हैं ।

दिल्ली से बाहर से आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के यात्रा और मंहगाई भत्ते और गैर-सरकारी सदस्यों और भारत सरकार द्वारा किये गये खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । कुछ बातों पर भारत सरकार के ७०६ रुपये खर्च हुए हैं ।

केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा स्टेशन, बरहामपुर

†२०७. **श्री त्रि० कु० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल की केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र के डायरेक्टर के पद की शर्तें और अवस्थाएं क्या हैं ;

(ख) क्या डायरेक्टर पद के वर्तमान अधिकारी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) गवेषणा निदेशक के पद की सृष्टि दिसम्बर, १९५६ में की गई थी और लोक-हित की दृष्टि से यह उचित नहीं समझा गया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरती तक इसे रिक्त ही रखा जाये । अतः अन्तरिम व्यवस्था के रूप में पश्चिमी बंगाल सरकार के उद्योग (रेशम कृमि पालन) के तत्कालीन उपनिदेशक जो उस समय तक के केन्द्रीय रेशम कृमि पालन केन्द्र के प्रभारी भी थे, उस पद पर नियुक्त कर दिये गये । और संघ लोक सेवा आयोग से उपयुक्त उम्मीदवार के चयन की प्रार्थना कर दी गयी थी ।

सूती वस्त्र मिल, दिल्ली

२०८. रा० क० वर्मा : : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना निकाली थी कि राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों को १६ अगस्त, १९५७ की छुट्टी दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली की सूती वस्त्रों की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को उस राष्ट्रीय दिवस पर छुट्टी दी गई थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सूती कपड़े की मिलों का बन्द होना

†**२०९. श्री रामेश्वर टांटिया** : : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सूती कपड़े की बंद मिलों की कितनी संख्या है ;

(ख) मिलें बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) विगत एक वर्ष में चौदह ।

(ख) १५,५३९ ।

(ग) अधिकांश मिलें वित्तीय कठिनाइयों अथवा अलाभपूर्ण संचालन के कारण बन्द हो गई थीं । इस प्रकार के मामलों में सरकार प्रायः निम्न कार्यवाही करती है :

---

†मूल अंग्रेजी में

१. भविष्य में मितव्ययतायुक्त कार्य संचालन की प्रतिभूति के साथ पुनर्वास के लिये वित्त की आवश्यकता वाली मिलों को, सूती वस्त्र आयुक्त के अधीन काम करने वाले एक विशेष दल द्वारा आवश्यक जांच के पश्चात् राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम से ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस ऋण को अविलम्बनीय उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा सक्रिय कार्यवाही की जा रही है ।

२. जब भी किसी मिल की अव्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो समवाय विधि के उपयुक्त उपबंधों अथवा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत जहां भी सम्भव हो मिल के कार्यों में सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी जांच के लिये समुचित कार्यवाही को जाती है ।

३. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों के अन्तर्गत रोजगार न रहने पर प्रतिकर के रूप में श्रमिकों के लिये कुछ सहायता का उपबन्ध किया जाता है। इन उपबन्धों से सामान्यतया मिलो के बन्द न होने में भी सहायता मिलती है ।

कपड़ा मिलें

†२१०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कपड़ा मिलें स्थापित करने के लाइसेंसों के लिये १९५६ और १९५७ में आवेदन देने वाली सहकारी संस्थाओं के नाम और संख्या क्या हैं ; और

(ख) जिन संस्थाओं के लाइसेंस अस्वीकृत कर दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं और अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

हथकरघा उद्योग

†२११. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के विकास की कोई नवीन योजनाएं हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त योजनाओं के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत रकम, राज्य-वार और प्रत्येक योजना के लिये पृथक् पृथक्, कितनी है ?

मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) और (ख). सहायता सम्बन्धी स्वीकृत प्रारूप से पृथक् हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कोई नवीन योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं की गई हैं । १ अप्रैल से ३१ अगस्त, १९५७ तक की अवधि में स्वीकृत सम्पूर्ण योजनाओं का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]

नंगल उर्वरक कारखाना

†२१२. { श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से अक्तूबर १९५७ के अंत तक नंगल उर्वरक कारखाने में तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों के बाहर कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : ३०१ ।

कार्यालयों को शिमला स्थानान्तरित करना

२१३. श्री पद्मदेव : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और बीमा निगम के कार्यालय शिमला से नागपुर स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि दिल्ली में जगह की बहुत कमी है ; और

(ग) कुछ कार्यालयों को शिमला स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं । जो कार्यालय शिमला से नागपुर स्थानान्तरित किया गया है वह राष्ट्रीय बचत कमिश्नर का कार्यालय है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

रेडियो संगीत सम्मेलन

२१४. श्री वाजपेयी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हाल ही में आकाशवाणी द्वारा आयोजित "रेडियो संगीत सम्मेलन" पर कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आयोजित सम्मेलन की क्या विशेषता थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी द्वारा आयोजित रेडियो संगीत सम्मेलन पर खर्च हुई लागत का ठीक ठीक ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि यह लागत उस कुल खर्च का अंश है जो विभिन्न केन्द्रों ने अपने समस्त कार्यक्रमों पर किया ।

(ख) (१) कर्नाटक संगीत विभाग में कुछ कार्यक्रम तिरूची और विजयवाड़ा स्टेशनों से प्रसारित किये गये, जबकि गत वर्ष इस विभाग के सारे कार्यक्रम मद्रास से प्रसारित हुए थे ।

(२) संगीत गोष्ठियों के लिये, अनुभवी कलाकारों के अतिरिक्त, युवा और होनहार कलाकारों को अधिक संख्या में बुलाया गया ।

मध्य प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†२१५. **श्री वाजपेयी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर खर्च करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान तथा ऋण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई योजना की विस्तृत रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४**]

रेडियो और कांटों का निर्माण

†२१६. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के कुछ औद्योगिकों ने रेडियो और मोटर कारों के निर्माण एवं विक्रय के लिये सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं :

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लौह अयस्क का निर्यात

†२१७. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्लारी जिले से हुबली होकर लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये पश्चिमी तट पर कारवाड़ पत्तन का प्रयोग किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सितम्बर और अक्तूबर, १९५७ में कारवाड़ पत्तन होकर कितने टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया था ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में औसतन कितने वेगन प्रतिदिन प्रयुक्त किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). कारवाड़ पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क का कोई निर्यात नहीं किया गया है ।

(ग) होसपेट से कारवाड़ पत्तन के लिये लौह अयस्क को भेजने का कार्य २० अक्तूबर १९५७ से प्रारम्भ हुआ था । २० अक्तूबर से ३१ अक्तूबर, १९५७ की अवधि में प्रतिदिन औसतन २३ वैगन (३८८ टन लौह अयस्क) का प्रयोग किया गया ।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का आगमन

†२१८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५७ से शिविरों में भेजे गये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) बंगाल के बाहर शिविरों में भेजे जाने वाले व्यक्ति कितनी संख्या में हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ४६९८ व्यक्ति ।

(ख) ४३१९ व्यक्ति ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

†२१९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी जिन्हें अभी तक प्रतिकर दिया जा चुका है ;

(ख) अभी तक कुल कितना प्रतिकर दिया गया है ; और

(ग) सम्पूर्ण दावा धारियों में से इस वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** (क) २,२५,७७१—सितम्बर १९५७ के अंत तक ।

(ख) ६८.४७ लाख रुपये—सितम्बर १९५७ के अंत तक

(ग) लगभग १,००,००० रुपये ।

मैडागास्कर में भारतीय

†*२२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैडागास्कर में भारतीयों की कुल कितनी संख्या है

मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे भारतीय कितनी संख्या में हैं जिन्होंने उक्त द्वीप की नागरिकता धारण कर ली है ;

(ग) क्या सरकार को दुर्व्यवहार अथवा जातीय भेदभाव की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अनुमान है कि मैडागास्कर में भारतीयों की कुल संख्या १४,००० है ।

(ख) १९५४ की सांख्यकी के अनुसार, १३६६ भारतीयों ने फ्रांसीसी नागरिकता के अधिकार प्राप्त किये थे ।

(ग) और (घ). मैडागास्कर में भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार अथवा भेदभाव की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । फिर भी आप्रवास नीति के कठोर अनुपालन से उन्हें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस विषय पर सरकार ध्यान दे रही है ।

पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†२२१. सरदार इकबाल सिंह : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत मात्ररूपेण विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई बस्तियों की संख्या और नाम क्या हैं ?

†पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

स्थानीय विकास कार्य

†२२२. सरदार इकबाल सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में स्थानीय विकास कार्यों के लिये पंजाब राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं पर कुल व्यय कितना अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में आवंटित सम्पूर्ण राशि का पूरा प्रयोग कर लिया गया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) पंजाब राज्य में १९५६-५७ में अनुमोदित स्थानीय विकास कार्यों द्वारा की गयी कुल लागत ३७,७९,४०३ रुपये है ।

(ख) १९५६-५७ में पंजाब के लिये २२,३५० लाख रुपये के आवंटन को छोड़कर प्रयुक्त की जाने वाली केन्द्रीय अनुदान की राशि ५ लाख ५ हजार रुपये है ।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

†२२३. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५७ के पश्चात् इस देश में अभी तक कितने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल आ चुके हैं ; और

---

†पूल अंग्रेजी में

(ख) यदि सरकारी स्तर पर कोई समझौते सम्पन्न हो चुके हैं तो वे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५**]

चलचित्र संगीत

†२२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के लिये चलचित्र संगीत के चुनाव के लिये किसी समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये समितियां कितनी हैं और किन किन भाषाओं के लिये हैं ;

(ग) रेकार्डों के चुनाव का क्या आधार है ;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों का क्या स्वरूप है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) १२ समितियां, हिन्दी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तामिल, कन्नड़, मलयालम, आसामी, उड़िया, पंजाबी । (हिन्दी के लिये दो समितियां हैं)

(ग) विषय, तथा संगीत-गुणों की दृष्टि से उपयुक्त समझे जाने वाले गीतों को प्रसारण के लिये चुना जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता है ।

अपरिष्कृत ऊन

†२२५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में अपरिष्कृत ऊन का कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इसका आन्तरिक उपभोग कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) १९५२ और उसके पश्चात्वर्ती अवधि में अपरिष्कृत ऊन का उत्पादन ५०० से ६०० लाख पौण्ड वार्षिक है ।

मूल अंग्रेजी में

(ख) संगठित मिल उद्योग क्षेत्र में इसकी खपत १९५५ और उसके बाद इस प्रकार है :—

१९५५	. . . . .	६६ लाख पौण्ड
१९५६	. . . . .	६८ लाख २० हजार पौण्ड
१९५७	. . (जनवरी से जून) .	३६ लाख ५० हजार पौण्ड

इस ऊन की कुटीर उद्योग और कालीन बनाने के क्षेत्र में कितनी खपत होती है यह बताने के लिये विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं । फिर भी अनुमान है कि यह १६० लाख पौण्ड के आसपास है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

द्वितीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं संविधान के अनुच्छेद २८१ के अनुसरण में दूसरे वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्यवाही के एक व्याख्यात्मक विवरण सहित सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ३४१/५७**]

लोक ऋण नियम

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अब तक संशोधित रूप में लोक ऋण नियम, १९४६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ३४२/५७**]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : श्री मेहर चन्द खन्ना जी की ओर से मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ अगस्त, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५१५/आर/अमेंडमेंट/१७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ३४३/५७**]

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०६२/आर/अमेंडमेंट/१८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ३४४/५७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियम में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २८ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० ३०५१ ।

(२) दिनांक १९ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० ३३३३ ।

(३) दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० ३५३६ ।

[पुस्तकालय म रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३४५/५७]

रबड़ नियमों में संशोधन

†**श्री कानूनगो** : मैं रबड़ अधिनियम १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़-नियम १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १९ अक्तूबर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३३२९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय मे रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३४६/५७]**

आंध्र प्रदेश मद्रास सीमा संबंधी विवाद पर पाटस्कर प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं मद्रास–आन्ध्र सीमा सम्बन्धी विवाद के बारे में १२ सितम्बर, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या १७२४ के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद पर श्री एच० वी० पाटस्कर के दो प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३४७/५७]**

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ ी उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के संचालक मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ निगम के ३१ दिसम्बर, १९५६ तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३४८/५७]**

कोयला खान विनियम

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक २४ अक्तूबर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४१९ में प्रकाशित कोयला खान विनियम, १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३४९/५७]**

भारतीय श्रम सम्मेलन की कार्यवाही का सारांश

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं जुलाई, १९५७ में नई दिल्ली में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३५०/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र-सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० रंगत)** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ५ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३१४१ ।

(२) दिनांक ५ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३१४२ जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (जिप जंजीरें) नियम, १९५७ दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३५१/५७]

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विजयवाड़ा-मद्रास सेक्शन में रेलवे लाइनों का टूट जाना

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (तेलगोर) : श्रीमान् नियम १९७ के अधीन मैं रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दक्षिण रेलवे के विजयवाड़ा-मद्रास सेक्शन में रेलवे लाइनों के टूट जाने से उत्पन्न होने वाली स्थिति"

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं दक्षिण रेलवे के मद्रास-गुडूर सेक्शन पर रेलवे लाइनों के टूट जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेगी । अब श्री वें० प० नायर बोलेंगे । मैं विचार करने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखता हूं ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : कल माननीय मंत्री के तर्क सुनकर मुझे मोटर-गाड़ी उद्योग के संरक्षण की बात समझ में नहीं आयी । यदि विदेशों के बड़े बड़े कारखानेदार प्रतियोगिता करते हों तब तो स्वदेशी उद्योग के संरक्षण की बात ठीक होती है ।

जब हम किसी उद्योग को संरक्षण दें तो हमें देखना चाहिये कि उसने किन कारणों से प्रगति नहीं की है और उसे संरक्षण देना क्यों आवश्यक है ।

मोटरगाड़ी उद्योग भारत में १९४४ में आरंभ हुआ परन्तु हालत अब तक यह है कि आज भी एक भी कारखाना ऐसा नहीं जो स्वतः मोटरों के पुर्जे जोड़कर मोटरें बनाता हो या स्वतः निर्माण कार्य करता हो । सब में बड़े विदेशी पूंजीपतियों का सांझ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान मोटर्स में स्टुडबेकर तथा मारिस दल का सांझा है । इन संस्थाओं के साथ इनके करार हैं । प्रशुल्क आयोग ने भी यह देखने का कष्ट नहीं किया कि अब तक आगे प्रगति क्यों नहीं की गयी । करारों के अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स वालों के छोटे से छोटे पुर्जों की स्वीकृति भी मारिस समवाय से करानी पड़ती है । महेन्द्रा तथा प्रीमियर वालें का भी यही हाल है ।

जब तक करारों में ऐसी रुकावटें रहेंगी तब तक हमारा उद्योग प्रगति नहीं कर सकता । जब यह समवाय बने थे तब तो इन समवायों को साथ मिलाना ठीक था किन्तु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं । अभी तक उन करारों में यथोचित रूपभेद करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी । हालांकि यह उद्योग हमारे देश के लिये महत्वपूर्ण है ।

यद्यपि इस उद्योग को आरम्भ हुए १३ वर्ष बीत चुके हैं लेकिन हमें अब तक भी ५० करोड़ मूल्य की मोटर गाड़ियां इत्यादि बाहर से मंगानी पड़ी हैं । हम ने बसों तथा मोटरों के निर्माण को कभी प्राथमिकता नहीं दी । आप देखेंगे केवल कारें यहां बनती हैं ।

पहले पहल हिन्दुस्तान मोटर्स में १० हौर्स-पावर की गाड़ी बनी बाद में बढ़ती बढ़ती १६ हौर्स-पावर तक की गाड़ी भी बनी । इस के अतिरिक्त स्टुडबेकर चेम्पियन भी यहां तैयार की जाती है । जब मुख्य उद्योग इतना शीघ्र अपने नमूने बदलते हैं तब सहायक उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 'इंडिया पिस्टन्ज़' के साथ भी ऐसा ही हुआ । उन्हों ने देश की आवश्यकता का लगभग ४०/५० प्रतिशत भाग पूरा किया—यह भी अच्छा है किन्तु कठिनाई तो हुई । क्या वह सारे पिस्टन तैयार कर सकते हैं ? नहीं ! वास्तव में किसी भी उद्योग को ठीक ढंग से चलाने के लिये ज्यादा उत्पादन करना पड़ता है । आज देश में जो मोटरें बनती हैं उन की कीमत तो देखें । फिर सरकार ने ऐसी उपयुक्त नीति नहीं अपनाई जिस से हम वह गाड़ियां प्राप्त कर सकते जिन की लोगों को जरूरत है । प्रशुल्क आयोग ने भी इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया है । वास्तव में वह टेकनिकल परीक्षण भी नहीं कर सका है । इस विषय का परीक्षण प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से होना चाहिये था । इस बात को प्रशुल्क आयोग ने स्वतः स्वीकार किया है ।

प्रशुल्क आयोग के एक सदस्य श्री सी० रामशुभन ने इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, इटली आदि देशों के मोटर गाड़ी उद्योगों का दौरा किया । मेरा ख्याल था कि वह ही इस सम्बन्ध में जानते होंगे किन्तु मुझे पता लगा कि श्री रामशुभन बैंक के निवृत्त पदाधिकारी हैं और उन्हों ने संगीत तथा सामाजिक विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं । भला ऐसे व्यक्तियों से हम ऐसे टैकनिकल विषय पर क्या आशा कर सकते हैं । तब संरक्षण कैसे दिया जा सकता है ? मैं समझता हूं कि सरकार की मोटर-गाड़ी सम्बन्धी समस्त नीति ही गलत रही है ।

यदि सरकार को देश की आवश्यकताओं का थोड़ा बहुत भी पता होता तो वह योंही मनोरंजक कारें बनाने को प्राथमिकता न देती । यहां प्लीमथ कारें बनाई जाने लगी हैं जब कि आवश्यकता है हमें ट्रकों की जिन से माल का यातायात किया जा सके तथा बसों की जिन में यात्री यात्रा कर सकें । आज हम प्रति वर्ष ५० करोड़ रुपये की वाणिज्यिक गाड़ियों का आयात कर लेते हैं । उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ यह मांग और भी बढ़ेगी । यदि सरकार यह योजना बनाती तो समस्याओं का हल शीघ्र ही हो जाता ।

मैं सुझाव देता हूं कि हमें केवल एक नमूने की एक छोटी कार तैयार करानी चाहिये । कई नमूने की कारें जो अब तैयार हो रही हैं नहीं होनी चाहियें । हमें वास्तव में शेष संसाधनों से ३ टन

[श्री वें० प० नायर]

भारी पेट्रोल ट्रक तथा ५ टन भारी डीजल गाड़ी बनानी चाहिये जिस से हमारी आवश्यकतायें पूरी हों ।

हमारे विदेशी साथी भी हमको सारा ज्ञान नहीं देते । उन के साथ रह कर हम बड़े पैमाने पर गाड़ियों का निर्माण नहीं कर सकते और न ही कीमतें कम हो सकती हैं । एक किताब में मैं ने पढ़ा कि डे ट्रायर में जो काम होता है वह बड़े ही भिन्न ढंग का तथा बचत से होता है अर्थात् वहां पर एक घटे में ९० मोटर बलाक विशेष प्रकार के टेकनिकल ढंग से तैयार कर दिये जाते हैं । अब मैंने यहां प्रीमियर उद्योग को भी देखा है । वहां कोई ऐसी क्रिया नहीं देखी । उसी पुराने ढंग से वहां का काम चल रहा था । कहा जाता है यहां मांग भी नहीं है । जिन चीजों की मांग है वह पहले तैयार होनी चाहियें । माननीय मंत्री को कारों के बारे में भूल जाना चाहिये—हमें माल ढोने के लिये ट्रकों की जरूरत है ।

मैं कह रहा था कि पहले तो प्रशुल्क आयोग ने इस उद्योग का प्रौद्योगिकीय परीक्षण ही नहीं किया है दूसरे १९५३ में जो सिफारिशें आयोग ने की थीं उन का सरकार ने उल्लंघन कर दिया क्योंकि उस प्रतिवेदन में कहा गया था कि यहां जीपों के एकत्रण की आज्ञा न दी जाये किन्तु सरकार ने महिन्द्र महिन्द्रा समवाय को यह आज्ञा दी । सरकार की गलत नीति के कारण कोई भी कारखाना लक्ष्यपूर्ति नहीं कर सका है । इसलिये मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इन सब कारखानों को मिला दिया जाये ताकि वह मिल कर देशहित के लिये कार्य कर सकें ।

उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है किन्तु कारखानों वाले नवीनतम तरीके अपना नहीं सकते न ही वे पुर्जे सस्ते बना सकते हैं इसलिये अच्छी बात यही होगी यदि हम इन सब को मिला दें और फिर योजानुसार उत्पादन करायें । विदेशी सहायता की हमें इस मामले में क्या जरूरत है ।

मैं संरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि उसे अपना नीति बदल लेनी चाहिये । हमें योजनाओं व ध्यान रख कर हमारी आवश्यकता की चीजें ही बनवानी चाहियें । सरकार को अन्ततोगत्व । नियंत्रण भी इन पर करना चाहिये ताकि एक दूसरे के ज्ञान से हम उन्नति कर सकें । यदि हम मिल कर काम कर सकेंगे तो हमारी प्रगति ठोस ढंग पर होगी । मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री इन सुझावों पर ध्यान दें ।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार-रक्षित–अनुसूचित जातियां): मैं इस का पूर्णतया समर्थन करता हूं कि हमें अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य को गैर सरकारी उद्योगों की वृद्धि कर के पूरा करना चाहिये परन्तु साथ ही साथ मेरा विचार है कि हमें प्रत्येक उद्योग का कम से कम एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में बनाना चाहिये । इस के दो कारण हैं । एक तो यह कि अब बहुत से उद्योगपति यह सोचते हैं कि पुर्जे बाहर से मंगाने सस्ते रहते हैं इसलिये वह यहां बनाने में रुपया ही नहीं लगाते । इस स्थिति से तो हम कभी विकास नहीं कर सकते । केवल हिन्दुस्तान वाले ही कतिपय पुर्जे यहां बनाते हैं । इसलिये हमें एक कारखाना तो कम से कम सरकारी क्षेत्र में लगाना ही चाहिये ।

मैं इस सिद्धान्त का समर्थन करता कि हमें दस वर्ष की अवधि के लिये तो उद्योग को संरक्षण देना ही चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उद्योग लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही यह काम करता है। अब सरकार ने यह कहा है कि जब कारखाने वाले नई कीमत लेना चाहें तो एक मास पूर्व सरकार को समस्त सूचना दें। सरकार क्या इस सब काम की जांच कर सकती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऐसी दो प्रार्थनायें सरकार गत ६ मास में जांच करने के बाद रद्द कर चुकी है।

†**श्री बर्मन** : मुझे इस बात को जान कर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने जांच की। किन्तु सरकार के पास सदैव ऐसी सक्षम व्यवस्था बनी रहनी चाहिये ताकि जांच का कार्य शीघ्र होता रहे। इस से उपभोक्ताओं तथा खरीदारों के हितों का भी संरक्षण होगा और उसी के साथ साथ उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

एक बात और भी है हम जिन कर्मचारियों को सरकारी उद्योगों में प्रशिक्षण देते हैं वे गैर-सरकारी उद्योगों के पास चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा वेतन मिल जाता है। इस प्रकार सरकार को हानि रहती है और दूसरे क्षेत्र को लाभ। इसलिये सरकार को यह भी देखना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र वाले अपने संस्थापन पर कितना व्यय कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कतिपय नियम आदि बना दिये जायें या गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से किसी प्रकार का करार आदि किया जाये ताकि प्रशिक्षित व्यक्ति इतनी आसानी से दूसरे क्षेत्र में न जा सकें।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी औपचारिकता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे आज्ञा लेनी पड़ती है।

†**श्री बर्मन** : किन्तु मुझे पता लगा है कि सरकारी क्षेत्र छोड़ने में कोई रुकावट नहीं है।

†**श्री मनुभाई शाह** : वैधानिक रुकावट तो नहीं है किन्तु दलों को अवगत कराया ही जाता है।

†**श्री बर्मन** : मैं अभी बंगलौर में कुछ व्यापारिक संस्थाओं के पास गया और वहां मुझे बताया गया कि गैर सरकारी क्षेत्र में जाने पर कोई रुकावट नहीं है। इसलिये जब हम लागत के मूल्य का निरीक्षण करें तो यह भी देखें कि क्या मूल्य इस कारण भी बढ़ा है कि इस में संस्थापन का अतिशय व्यय सहम्मिलित है या नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार को सावधानी से काम लेना चाहिये।

स्वदेशी उत्पादन के बारे में मैं यह कहूंगा कि जैसे सरकारी क्षेत्र में एक अवधि तक निर्दिष्ट चीजें बनाने के लक्ष्य रखे गये हैं वैसे ही गैर सरकारी क्षेत्र में भी लक्ष्य रखे जायें। उन लक्ष्यों के अनुसार ही काम किया जाय।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : जैसाकि श्री वें० प० नायर ने कहा है कि हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं किन्तु १९५३ के कार्यक्रम को किसी भी उद्योग ने पूरा नहीं किया और न ही माननीय मंत्री ने इस के कारण बताये हैं। अब देखिये प्रीमियर आटो-मोबाइल का कार्यक्रम इस कारण पूरा नहीं हो सका कि नक्शों आदि का अनुवाद इटालियन से अंग्रेजी में करने के लिये देर लगी और मशीनिंग विभाग के काम में भी देर हुई। जब एक बार कार्यक्रम बना लिया जाये तो फिर उसे न पूरा करना बड़ी ही विचित्र बात है। सरकार भी उन्हें ठीक रास्ते पर लाने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है।

व्यापारी लोग बाहर से पुर्जों का आयात करना आसान समझते हैं। सरकार ने सिम्पसन एण्ड को० वालों को आयात करने की आज्ञा न दी थी और उन्हें यहीं पर कार्य पूरा करना पड़ा था। इसी प्रकार दूसरों से भी ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिमल घोष]

दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य के लिये भी कोई विकास कार्यक्रम है। यदि कोई है तो उस का ब्यौरा हमें बता दिया जाय। क्या मुख्य पुर्जे हम यहां बनवायेंगे या सदैव उन का आयात ही करते रहेंगे ?

प्रतिवेदन के अनुसार सारी कठिनाई तो इस बात की है कि सरकार ने बहुत से कारखानो को काम करने की आज्ञा दे दी और इसी कारण उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। द्वितीय योजना के अन्त तक भी हम ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते। ६ या ७ प्रकार की कारें हमारे यहां बनती हैं। हिन्दुस्तान वाले स्टुडबेकर बनाते हैं .

†**श्री मनुभाई शाह** : वह १९५७ से बन्द हो चुकी है। मेरा विचार था कि मैं ने सारी जानकारी दे दी है किन्तु अब देखता हूं कि शायद ऐसा न हो। हिन्दुस्तान वाले अब केवल लैण्डमास्टर पर ही ध्यान दे रहे हैं। जहां तक फीयट का सम्बन्ध है केवल फीयट ११०० बनती है और स्टैंडर्ड वैनगार्ड भी तैयार होती है। स्टैंडर्ड १० छोटी कार है और हम बेबी हिन्दुस्तान या फीयट की आज्ञा नहीं दे रहे हैं यद्यपि हम ऐसा चाहते हैं। इसलिये तीन यात्री कारें हैं। बेबी हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति दे दी गई है। मैं ने यही बात कल भी बताई थी। इस समय हम तीन कारें बनाने के लिये कोशिश करवा रहे हैं—हिन्दुस्तान लैण्डमास्टर (एम्बेसेडर), फीयट ११०० तथा स्टैंडर्ड वैनगार्ड। हम बेबी कारें बनाने का विचार अभी तक रखते हैं क्योंकि सस्ती कारों से अन्ततोगत्वा यात्रियों को लाभ पहुंच सकता है।

†**श्री बिमल घोष** : यदि तीन एकक हैं तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। उन्हें ठीक ढंग से चलाया जा सकता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विदेशियों से हुए करारों की त्रुटियों को भी ठीक कराना चाहती है या नहीं। प्रतिवेदन में इन के सम्बन्ध में भी उल्लेख है।

जहां तक दूसरे उद्योगों का सम्बन्ध है उन के बारे में भी सरकार की समान नीति नहीं है। कभी सरकार यह कह देती है कि उत्पादन शुल्क बढ़ाया नहीं जायगा क्योंकि आयात पर रुकावटें लगा रखी हैं किन्तु कई मामलों में हम देखते हैं कि शुल्क में वृद्धि भी कर दी गई है।

लैम्प होल्डर उद्योग से संरक्षण उठाया जा रहा है और काटन वेल्डिंग उद्योग से नहीं। खैर इस में मुझे कोई दुख नहीं कि कॉटन वेल्डिंग को संरक्षण दिया जाय किन्तु उसी तरह लैम्प होल्डर उद्योग पर भी तो हम यह संरक्षण जारी रख सकते थे। यह कार्य छोटे छोटे कारखाने कर रहे हैं इसलिये इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसे उद्योगों से संरक्षण हटा लेने से क्या लाभ होगा ?

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह प्रशुल्क आयोग से इस आशय का प्रतिवेदन भी ले कि इस अवधि में उत्पादन तथा लागत में क्या क्या परिवर्तन हुए। आरम्भ में लागत क्या थी तथा अन्त में कितनी ? वास्तव में मैं यह चाहता हूं कि संरक्षित उद्योगों के माल की कीमत शनैः शनैः कम होती रहें। अभी तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार हमें संरक्षित उद्योगों द्वारा की जाने वाली प्रगति का भी पता चलता रहेगा। हमें जहां उद्योगों का ध्यान रखना है वहां खरीदारों का भी ध्यान रखना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मेरे से पूर्व जिन मित्रों ने भाषण दिये हैं उन्हों ने मोटर गाड़ी उद्योग के सम्बन्ध में विस्तार से कहा है। परन्तु उन्हों ने एक दो बातों का उल्लेख नहीं किया।

सब से पूर्व मैं कीमतों के निर्धारित करने के प्रश्न की ओर आता हूं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि संरक्षण शुल्क का भार भी तो अन्त में उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है और उन के हितों की रक्षा भी आवश्यक है। साथ ही यह भी देखना है कि रक्षित उद्योग समुचित ढंग से चलता रहे। यद्यपि प्रशुल्क आयोग से मोटरों आदि की ठीक कीमत निर्धारित करने को कहा गया था। परन्तु उन्हों ने इस मामले में अपनी कठिनाई प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले को उद्योग की ईमानदारी पर ही छोड़ दिया जाता है। मंत्री महोदय का कहना है कि कीमतें ठीक हैं परन्तु आयोग के प्रतिवेदन से यह बात प्रकट नहीं होती। आयोग का कहना है कि इस सम्बन्ध में न कोई प्रश्न ही उठाया गया और न ही उस की जांच हुई। कीमत निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई हिसाब किताब नहीं किया और अब यह मामला उद्योग पर ही छोड़ दिया गया है।

प्रविधिक कठिनाइयां कुछ भी हों, सरकार को कीमतें निर्धारित करने से पूर्व समुचित जांच तो करनी ही चाहिये। यदि तत्सम्बन्धी विषय का कोई कानून न भी हो तब भी तो सरकार के पास ऐसा करने के अधिकार होते ही हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उद्योगपतियों से कहेंगे कि वे अपनी लागत को ठीक ढंग से रख कर समुचित कीमतें निर्धारित करें। मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि उत्पादन बढ़ा है, परन्तु यह बात नहीं है कि प्रगति भी काफी हुई है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार बहुत से कारखाने अपनी लक्ष्य पूर्ति में असफल रहे हैं। यह प्रगति का द्योतक नहीं कहा जा सकता। आयोग द्वारा इस असफलता का कारण यह बताया गया है कि एक कारखाना कई तरह की गाड़ियों का निर्माण करने लग गया है। इस प्रकार उन का ध्यान बंट गया। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कोई दो तीन तरह से अधिक प्रकार की गाड़ियों को बनाने का प्रयत्न न करे।

आयोग ने यह भी सिफारिश की कि निर्माण का कार्य चार प्रकार की मुसाफिर गाड़ियों और चार प्रकार की व्यापार गाड़ियों तक सीमित रहना चाहिये। इसका जो निर्वचन मंत्री महोदय ने किया है मैं उस से सहमत नहीं हूं। उन का कहना है कि चार किस्मों का अर्थ, बेबी, छोटी, मध्यम और भारी से है। मेरा मत यह है कि इस का यह अर्थ नहीं। उन का आशय यह है कि जितनी किस्में कम हों उतना ही अच्छा है। इस बार भी उन्हों ने यही सिफारिश की है। परन्तु सरकार ने आठ किस्म की मुसाफिर गाड़ियां बनाने की अनुमति दी है। अच्छा है कि बड़ी कारें न बनाने का निश्चय हुआ है। छोटी और बेबी कारें बनाई जानी चाहियें। छोटी गाड़ियां भी दो तीन तरह की ही होनी चाहियें। बड़ी कारों का मामला तो छोड़ ही देना चाहिये।

प्रशुल्क आयोग ने उद्योग पर कुछ दायित्व भी डाले हैं। पता नहीं सरकार कैसे उन्हें कार्यान्वित करायेगी। पुस्तिका के पृष्ठ १२ पर कहा है कि हिन्दुस्तान मोटर्ज़ को मशीनरी और कारखानों के निरीक्षण को तीव्र करना चाहिये और पुर्जों की बड़ी सचेत छानबीन करनी चाहिये ताकि उन की ढलाई में सुधार किया जा सके। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि सम्बद्ध उद्योग इस बात का अवश्य पालन करे।

श्री बर्मन ने प्रशिक्षण योजना की बात की है। यह तो मोटर गाड़ी उद्योग के लिये ही नहीं, प्रत्युत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के लिये भी आवश्यक है। सभी इकाइयों को प्रविधिक विद्यालयों के द्वारा प्रशिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिये। सभी प्रविधिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त होनी चाहिये और प्रत्येक सरकारी औद्योगिक इकाई में ऐसा एक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

अन्य उद्योगों ने भी अच्छी प्रगति की है, परन्तु उत्पादन उन की क्षमता के अनुसार नहीं हो पाया है। हमें उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये कहना चाहिये, अर्थात् कम से कम इतना उत्पादन तो वहां अवश्य ही हो कि जिस से हमारी आन्तरिक मांग तो पूरी हो सके। यदि संभव हो सके तो निर्यात की भी व्यवस्था करनी चाहिये ।

रूई अथवा बालों के पट्टे बनाने के उद्योग के सम्बन्ध में भी प्रशुल्क आयोग ने कुछ विशेष सिफारिशें की हैं। एक यह कि उन के संघ को एक प्रतिनिधि-संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिये। यह उद्योग अधिकतर कलकत्ता के आसपास है, और पता नहीं कि संघ को तोड़ने के लिये क्यों कहा गया है ।

पीतल के बने हुए बिजली के होल्डरों के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह एक कुटीर उद्योग है । दिसम्बर १९५७ से संरक्षण हटाने की बातें हो रही हैं । यह उद्योग देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा है । इस से बड़े उद्योगों को शिक्षा लेनी चाहिये। इस कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस के बने माल के निर्यात के बारे में सरकार की नीति क्या होगी ? क्या निर्यात बिल्कुल बन्द होगा अथवा उत्पादन शुल्क के स्थान पर राजस्व शुल्क लगाया जायेगा ? यदि यह कुटीर उद्योग विकसित हो जाये तो इस के लिये ऐसे स्थान ढूंढने का प्रयास करना चाहिये जहां पर हम इस के बने माल को निर्यात कर सकें ।

यद्यपि इस विधेयक द्वारा मुख्यतः आन्तरिक खपत के लिये उद्योगों को संरक्षण देना ही अभिप्रेत है परन्तु एक समय आयेगा जब हम निर्यात भी कर सकेंगे । जिन उद्योगों को गत दस बारह वर्षों से संरक्षण प्राप्त हो रहा है उन्हें अब देश के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के योग्य होना चाहिये था । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय २५, ३० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम कुछ निर्यात भी कर सकें ।

मोटर गाड़ी उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग ने यह भी कहा है कि असैनिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समन्वय भी होना चाहिये । मुझे विश्वास है, कि मंत्रालय इस बात का प्रयत्न करेगा कि बड़े ट्रकों इत्यादि की आवश्यकतायें भी आन्तरिक उत्पादन से पूरी की जा सकें। ट्रकों और बसों के निर्माण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये ।

इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मोटर कार उद्योग को दिया जा रहा दस वर्षों का संरक्षण किसी हालत में भी उचित नहीं कहा जा सकता । मंत्री महोदय द्वारा कही गई सब बातें ठीक हैं परन्तु इतने लम्बे संरक्षण के सम्बन्ध में उन की बात युक्तियुक्त मालूम नहीं पड़ी । दस वर्ष का समय तो आधी पीढ़ी के बराबर होता है। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यूरोप में जहां नगरों को बम्बों से नष्ट कर दिया था, वहां भी दस वर्षों में सभी उद्योगों को पुनः जीवित कर दिया गया है और आज वह वहां माल का निर्माण कर के उसे निर्यात कर रहे हैं, परन्तु हम दस वर्ष की बात कर रहे हैं जबकि सभी प्रविधिक वस्तुयें हम ने आयात करनी हैं । यदि उद्योगपति को यह पता हो कि दस वर्ष में काम समाप्त करना है तो वह इस से पहले क्यों काम समाप्त करेगा ।

मंत्री महोदय कहते हैं कि मोटरकार उद्योग की कम से कम तीन अवस्थायें हैं और प्रत्येक के लिये तीन चार साल लगने ही चाहियें। यह कोई औचित्य की बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि संरक्षण तीन वर्ष से अधिक नहीं दिया जाना चाहिये। तीन वर्षों के पश्चात् स्थिति पर पुनः विचार

†मूल अंग्रेजी में

कर सदन द्वारा आगे संरक्षण देना चाहिये। मंत्री महोदय का कहना है कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत सरकार उद्योगों की प्रगति के अनुसार रक्षण शुल्क कम कर सकती है। परन्तु उद्योगों की प्रगति के सम्बन्ध में निर्णय करने के अधिकार से इस सदन को दस वर्ष के लिये वंचित क्यों किया जा रहा है ? क्या यह लोकतंत्र को चलाने का ढंग है ?

स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि आयात की रुकावटें और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण यह संरक्षण आवश्यक है, परन्तु यदि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां रहेंगी तो क्या संरक्षण भी चलता ही रहेगा ? इसलिये इतने लम्बे अर्से के संरक्षण की बात का क्या अर्थ हो सकता है ? क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि दस वर्ष के पश्चात् क्या होने वाला है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, किन्तु अब बात सामने आ गई है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि दस वर्ष का समय अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया है, परन्तु प्रत्येक तीसरे वर्ष स्थिति का पुनरीक्षण, नियमों के अन्तर्गत हो सकता है। जब तक प्रत्येक पुनरीक्षण के पश्चात् संरक्षण की अवधि बढ़ाई न जाये, अपने आप किसी उद्योग को दस वर्ष का समय प्राप्त नहीं हो सकता। शब्द 'दस वर्ष' को शायद गलत समझ लिया गया है। यह समय अधिकतम है। इससे अधिक और समय नहीं दिया जाता। इस बीच प्रत्येक तीन वर्ष के बाद और आवश्यकता हो तो इससे भी पूर्व प्रशुल्क आयोग उद्योग की जांच कर सकता है और यह निश्चय कर सकता है कि संरक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं। यह संरक्षण इसलिये नहीं है कि विदेशों से कोई मुकाबला है। बल्कि इसलिये कि जब तक उत्पादन का स्तर इतना न हो जाय कि कीमतें देश में मुकाबले की रहे तब तक संरक्षण देना ही पड़ता है। इसमें योग्यता तथा विदेशी वस्तुओं का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि जब तक देश में मांग बढ़ न जाय और उसके अनुसार हमारे जैसे पिछड़े हुये देश में उत्पादन सस्ता न हो तो बड़े बड़े विदेशी समवायों से मुकाबला असम्भव होता है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : कई सदस्यों ने उपभोक्ताओं के हित की बात कही है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उपभोक्ताओं का एक विशेष प्रतिनिधि भी प्रशुल्क आयोग में होना चाहिये और प्रत्येक तीन वर्ष बाद मामले का पुनरीक्षण करके निर्णय करने का अधिकार इस सदन का ही रहना चाहिये।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : दस वर्ष के संरक्षण के संबंध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ १०७ पर कहा गया है कि उद्योगों को दस वर्ष तक संरक्षण देना चाहिये, परन्तु संरक्षण शुल्क की दरों का मुनासिब समय के पश्चात् पुनरीक्षण करना चाहिये। यह बड़ी स्पष्ट बात है कि यह संरक्षण तीन वर्ष का नहीं दस वर्ष का है। मंत्री महोदय ने मोटरकार उद्योग की सारी स्थिति के संबंध में आज तक की जानकारी भी नहीं दी। इस पक्ष के लोग एक वर्ष पुराने प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही बोलते रहे हैं।

बेबी कारों के निर्माण का मामला लीजिये, इस के संबंध में प्रशुल्क आयोग का कहना है कि इसके लिये 'हिन्दुस्तान मोटरज़' को अनुमति दी गयी थी। और पृष्ठ ३० पर कहा गया है इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप १९५८ तक दिया जायेगा। यद्यपि इसकी निर्माण गति सन्तोषजनक नहीं परन्तु वह बेबीकारों में लैंडमास्टर का इंजिन लगाना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

एक असाधारण बात यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि 'हिन्दुस्तान बेबीकार' और 'स्टैंडर्ड १०' कारों का निर्माण नहीं होगा। इस संबंध में क्या स्थिति है ? मेरा विनम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय को मोटर गाड़ी उद्योग की वर्तमान स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी सदन के समक्ष रखनी चाहिये थी। अब कुछ कहना उचित जान नहीं पड़ता।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने तो वही कहा है जो कुछ कि कल अपने भाषण में सदन के समक्ष रखा था। मैंने केवल इस वर्ष के अक्तूबर के अन्त तक की स्थिति प्रस्तुत की है। उसमें कुछ बढ़ाया नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जानकारी एक वर्ष पुरानी हो गयी है। और कुछ जानकारी भी सदस्यों को पुस्तिका द्वारा दी जानी चाहिये थी।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस पर विचार करूंगा।

†**श्री कासलीवाल** : बहुत से सदस्यों ने 'बेबीकारों' के निर्माण के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं, परन्तु अब कहा गया है कि उसके निर्माण के लिये कोई अनुमति ही नहीं दी गयी। इस संबंध में प्रशुल्क आयोग का कहना है कि मोटरकार उद्योग का भारत में जिस प्रकार विकास हुआ है, उसके अनुसार भारी संख्या में बेबीकारों का निर्माण असंभव है। मैं कह नहीं सकता कि इसके लिये किसे दोष दिया जाय। दस वर्ष के लम्बे संरक्षण की बात भी मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि इसे इस से भी अधिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। परन्तु प्रश्न तो यह है कि स्वयं सरकार ने प्रशुल्क आयोग को लिखा कि मोटर गाड़ियों की कीमतें बहुत अधिक हैं, इसलिये उन्हें इस मामले में जांच करनी चाहिये ताकि कीमतें नीचे आ सकें। उद्योग की ओर से भी आयोग को कहा गया कि सब ओर कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिये गाड़ियों की कीमतों की जांच की जानी चाहिये।

जांच के समय आयोग को पता चला कि कीमतें लगाने का कोई समुचित ढंग नहीं है। हमें पता ही नहीं कि एक गाड़ी के निर्माण का खर्चा क्या है। 'हिन्दुस्तान मोटरज़' का कहना है कि वह 'हिन्दुस्तान लैंडमास्टर' अपनी लागत से कम पर बेच रहे हैं। परन्तु वह यह बता नहीं सकते कि कैसे उनकी लागत से कीमत कम है। इस मामले में आयोग का कहना है कि किसी के पास भी पूरा रिकार्ड नहीं, जिससे अच्छी प्रकार लागत का अन्दाजा लगाया जा सके इसलिये विभिन्न पुर्जों की लागत का निश्चय करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो निर्माण-कार्य में बहुत आगे बढ़ गये हैं उनका मामला तो और भी कठिन है। इसलिये आयोग ने कहा है कि निर्माताओं को वह सब सामग्री ठीक ढंग से सुरक्षित रखनी चाहिये जिससे बड़ी सरलता से गाड़ियों और अलग अलग पुर्जों की लागत का पता लगाया जा सके।

मुझे आशा है कि यह बात मंत्री महोदय उद्योग वालों को बता देंगे, ताकि उनके अपने ही कहने के अनुसार तीन वर्ष बाद जब संरक्षण के संबंध में उनका पुनरीक्षण हुआ तो मामला उनके विरुद्ध जायेगा। दूसरी बात यह है कि उद्योग में समुचित समन्वय नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर कई निर्माताओं ने तो अपने काम का अच्छा समन्वय कर रखा है पर सामूहिक तौर पर इसकी अवस्था अच्छी नहीं। कुछ पुर्जे तो सभी बना रहे हैं, और कोई ऐसे हैं कि कोई उन्हें नहीं बना रहा। इस कारण उद्योग का सामूहिक समन्वित कार्य-क्रम नहीं चल रहा। बहुत से पुर्जे आयात किये जाते हैं, ऐसी स्थिति यदि रहे तो संरक्षण देने का क्या लाभ है। माननीय मंत्री को उद्योगपतियों के प्रति कड़े होकर उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि इतने समय में इतनी तरह के पुर्जे बनाने होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैलशियम लेक्टेट उद्योग को भी संरक्षण दिया जा रहा है। तीन कारखाने इस कार्य को कर रहे थे। दो ने तो उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया है। आयोग ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सरकार भी इस मामले में चुप है। यह तो अच्छा उद्योग है और आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त निर्यात भी किया जा सकता है। एक कारखाना जहां काम हो रहा है उससे तो देश की आधी मांग भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिये इसे संरक्षण देने का क्या लाभ है?

सुरमा अच्छा खनिज पदार्थ है, और हमारे यहां नहीं होता, और अधिकतर चीन से आता है। आयोग की सिफारिश है कि इसका सारा व्यापार राज्य व्यापार निगम के सुपुर्द कर देना चाहिये। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : देश की आवश्यकताओं को देखते हुये जो कार्यक्रम इस उद्योग के संबंध में बनाया गया है, उसका पुनरीक्षण करना ही पड़ेगा। पता नहीं उसके प्रति सरकार काफी सचेत क्यों नहीं रही। सरकार को एक 'बेबी' को छोड़ कर बाकी छोटी गाड़ियों के निर्माण पर रोक नहीं लगानी चाहिये। बल्कि इसे तो कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिये था क्योंकि इससे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को लाभ पहुंच सकता था। इस मामले में हमें कुछ करना ही होगा।

श्री घोष का कहना ठीक है कि इस बात का हर संभव प्रयत्न करना चाहिये कि पुर्जों का आयात न किया जाय। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन पुर्जों के बनाने के संबंध में गैर-सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या पग उठाये हैं। इस संबंध में प्रगति सन्तोषजनक नहीं। सरकार को इसके लिये कुछ और भी करना होगा और इसे बिलकुल गैर सरकारी हाथों में नहीं छोड़ना चाहिये। और मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कुछ करने का इरादा रखती है।

श्री बर्मन ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात की है, इस काम में सरकारी और गैर-सरकारी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। सभी को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। मैं लम्बे काल के संरक्षण के भी पक्ष में नहीं हूं, इससे काम में ढील आ जाती है। सरकार को लागत का अन्दाजा लगा कर समुचित कीमतें भी निर्धारित कर देनी चाहिये। और इस मामले को और स्थगित नहीं करना चाहिये और जिन उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया उन्हें भी उस सूची में लाया जायेगा।

इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री मनुभाई शाह** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं, उनसे पता चलता है कि माननीय सदस्य देश के विभिन्न उद्योगों के विकास में काफी रुचि प्रकट कर रहे हैं। अच्छा होता कि आज जो सदस्य बोले हैं वे कल उस समय उपस्थित होते जब मैंने इन उद्योगों के संबंध में अपने विचार प्रकट किये थे। मैंने काफी लम्बा भाषण दिया था और साथ ही मैंने जितने भी सम्भवतः तथ्य प्रस्तुत कर सकता था, किये थे, भाषणों से यही पता चलता है कि सरकार की नीति का सभी सदस्यों ने समर्थन किया ही है। अर्थात् जितना शीघ्र संभव हो इस देश में मोटर गाड़ियां तैयार होनी चाहियें, चाहे वह मुसाफिर गाड़ियां हों अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये हों सब की संभव संख्या बढ़नी चाहिये। कल मैंने सदन में जो आश्वासन दिया था उसे मैं पुनः दोहराता हूं कि योजना काल से पूर्व ही सभी गाड़ियों और ट्रकों में प्रयोग होने वाले पुर्जे देश में तैयार होने लगेंगे। यह छोटी सी सफलता नहीं है। पश्चिमी देश और अमेरिका भी ८५, ८५ प्रतिशत से अधिक देशीय पुर्जों का दावा नहीं कर सकते। कई तरह की चीजें संसार में हर निर्माता को बाहर से आयात करनी ही पड़ती हैं।

मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

इन दस वर्षों के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है। मेरे विचार में कल जब मैं बोला था तो श्री भरूचा शायद सदन में नहीं थे। मोटरगाड़ी उद्योग जैसे उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी विधेयक में यह काल दस वर्ष रखा गया है। यह काल संविहित नहीं है। गैर सरकारी कोई व्यक्ति भी इस प्रकार के मोटर गाड़ी उद्योग जैसे करोड़ों के उद्योग में पैसा नहीं लगायेगा जब तक कि उसे कोई संरक्षण प्राप्त न हो। जैसे कि मैंने कल बताया था कि इसमें ५० करोड़ की पूंजी विनियोजित की गयी है क्योंकि इसमें विदेशों से मुकाबले का डर रहता है। परन्तु सदन को पता है कि किसी भी उद्योग को जरूरत से अधिक संरक्षण नहीं दिया गया। कल मैं ने बताया था कि हम तो शीघ्र से शीघ्र इस संरक्षण को वापिस लेने के पक्षपाती हैं। तीन वर्ष का भी कोई प्रश्न नहीं। यदि हमें यह विश्वास हो जाये कि कोई उद्योग एक वर्ष में ठीक स्तर पर चलने लगेगा और उसे संरक्षण की आवश्यकता नहीं तो सरकार को इससे बहुत प्रसन्नता होगी और संरक्षण वापिस ले लिया जायेगा। यह संरक्षण की मात्रा शनैः कम होती जायेगी। एक उद्योग को जो संरक्षण प्रारम्भ में प्राप्त होता है, कुछ वर्षों के पश्चात् आयात शुल्क अथवा राजस्व शुल्कों तथा विदेशी विनिमय नियन्त्रण तथा अन्य वित्तीय कठिनाइयों का इस प्रकार समन्वय होता है कि संरक्षण कम होता जाता है। और उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि हो जाता है। मैं, इसलिये सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मोटर गाड़ी उद्योग हो अथवा विधेयक के अन्तर्गत आने वाला कोई और उद्योग अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों के कोई अन्य रक्षित उद्योग हों, सरकार जरूरत से अधिक किसी को एक दिन का भी संरक्षण नहीं देगी। इस संरक्षण की मात्रा भी उतनी ही होगी जितनी कि कम से कम अपेक्षित है। वास्तव में, नीति के तौर पर हम बहुत अधिक संरक्षण देने के हमेशा विरुद्ध रहे हैं। इससे ढीलेपन के साथ साथ प्रविधिकता के विकास में भी बाधा पड़ती है।

जैसे कि मेरे मित्र श्री नायर ने कहा है मोटरगाड़ी उद्योग सम्बन्धी नीति के लिये मैं यह कहूंगा कि हमें सारे हालात पर विचार करना पड़ेगा। जब देश स्वतन्त्र हुआ, तो भी यहां पुर्जे इकट्ठे करने से मोटर बनाने का कार्य देश में चलता ही था। यह बात नहीं कि इस उद्योग को हमने ही आरम्भ किया है। १९५२-५३ के अन्त में जब कि वास्तव में उद्योग चालू हुआ, तो भी यह चार वर्ष पुराना ही कहा जा सकता है। इससे पहले कई करारों से निर्धारित कार्यक्रमों को उतने ठीक ढंग से नहीं चलाया जा सका जितना कि अब हम चार पांच वर्षों से चला रहे हैं।

इसलिये यद्यपि ५० प्रतिशत देशी पुर्जों की बात की गयी थी, परन्तु हमने प्रत्येक पुर्जे के लिये समय निर्धारित नहीं किया। मुझे विश्वास है कि सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी, और शायद बहुत से सदस्यों को पता भी है कि हम ने यह कार्यक्रम क्रमशः लाग किया है। और इसको थोड़े थोड़े क्रम से सिलसिलेवार किया जायगा। उस हमारे कार्यक्रम के अनुसार न केवल मोटरकार उद्योग ही प्रत्युत हर उस उद्योग में, चाहे वह रक्षित हो अथवा न, और वह विदेशी चीजों की सहायता से चल रहा हो उसे कुछ प्रतिशत पुर्जे देश में निर्माण करने होंगे। और शनैः शनैः उस में देशी तत्व को सम्मिलित करते जान वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। जैसा कि मैं ने कल भी कहा था कि जो समवाय इस स्वदेशीकरण के कार्यक्रम पर कटिबद्ध रहेंगे वे उनके मुकाबले में प्राथमिकता प्राप्त करेंगे।

यह प्रश्न ठीक ही पूछा जाता है कि कुछ समवाय दूसरों के मुकाबले में असफल क्यों हुये? मैं इतना कह सकता हूं कि जैसा मेरे मित्र जिन्होंने मोटरगाड़ी उद्योग का विस्तार से अध्ययन किया है, जानते हैं, यह एक बहुत पेचीदा और प्रविधिक उद्योग है। ऐसी बात तो है नहीं कि किसी सरल प्रकार का यंत्र तैयार किया जा रहा है। मैं श्री वें० प० नायर को आश्वासन दिला सकता हूं कि इन करारों में कोई गम्भीर प्रतिबन्धात्मक बातें नहीं हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि हम विदेशी सहायकों को देश में बनने वाले सभी पुर्जे अवश्य दिखायें। अमरीका और यूरोप में गत ५० वर्षों

से इस उद्योग में गवेषणा हो रही है पर हमारे देश के लिये यह उद्योग बिल्कुल नया है और इस उद्योग को देश के लिये लाभप्रद बनाने में १० वर्ष लग जायेंगे अतः हमें जल्दी जल्दी पुर्जों के निर्माण म परिवर्तन नहीं करना चाहिये। मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे देश में किसी भी कारखाने ने पुर्जों के निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हां, उद्योग के विकास के साथ कुछ पुर्जों के नाम अवश्य बदल गये हैं। पुर्जों के निर्माण की सामग्री, उनकी डिजाइन और उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन करारों का बहुत सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है और उनमें ऐसे कोई भी खण्ड नहीं रहने दिये जाते जो हमारे देश की आर्थिक नीति के लिये हानिकारक सिद्ध हों।

कार्यक्रमों की बात कहते हुये श्री कासलीवाल ने कहा कि हम बेबी कारों के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। जैसा कि हमने उनको उस समय बताया था कि गत १० वर्षों के अनुभव के आधार पर और प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने सिर्फ तीन प्रकार की छोटी कारों के निर्माण की अनुमति दी है। ये तीनों हैं फीयेट ११००, हिन्दुस्तान लैण्ड मास्टर जिसे अब अम्बेसेडर कहते हैं और स्टैण्डर्ड वैंगार्ड।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं ने जो कुछ कहा था वह इस आधार पर था कि हिन्दुस्तान मोटर्स ने कहा था कि उसने एसोशियेटेड ब्रिटिश मोटर कारपोरेशन द्वारा बताये गये परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है क्योंकि यदि वे ऐसा न करते तो वे उन्हें कुछ आवश्यक पुर्जों का संभरण न करते।

†**श्री मरुभाई शाह** : यह बात ठीक है पर यह करार का अंग नहीं है। जब आप किसी देश की टेकनिकल सहायता से पुर्जों को मिला कर कारों के बनाने का कार्य कर रहे हैं तो यह बात उचित नहीं होगी कि कोई भी किसी प्रकार के पुर्जे बना कर उसे उस गाड़ी में लगाये। फिर यह करार का कोई भाग नहीं है। कल को यदि हिन्दुस्तान मोटर्स कोई विशेष पुर्जा या माडल बनाना शुरू कर दे तो उसे कोई रोक नहीं है। पर यह उचित तथा बुद्धिमत्ता का काम नहीं है कि किसी भी विशेष प्रकार की कार तो बनाई नहीं गयी और रोज तरह-तरह के पुर्जे बनाये जाय।

मैं मोटर उद्योग के कार्यक्रम की रूपरेखा का वर्णन कर रहा था। मैं ने बताया कि फीयट ११००, हिन्दुस्तान अम्बेसेडर तथा स्टैण्डर्ड वैंगार्ड तीन छोटी प्रकार की गाड़ियों पर ही हम सारा ध्यान लगा रहे हैं। गत दो वर्षों में हमारे पास नई प्रकार की कारों के बनाने के कई प्रस्ताव कई कारखानों की ओर से आये पर हमने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम इन तीन माडलों को ही रखेंगे और जब तक हमारे देश में इन गाड़ियों की मांग काफी बढ़ नहीं जाती तब तक नये प्रकार की गाड़ियों का बनाना शुरू करना ठीक नहीं होगा।

बेबीकारों की बात लीजिये। स्टैण्डर्ड १० एक ऐसी गाड़ी है जो एक बेबीकार तथा छोटी कार के बीच की गाड़ी है। स्टैण्डर्ड १० हमारे देश में बनाई जा रही है। हम स्टैण्डर्ड १० के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं ने जो कुछ कहा था वह बेबी फीयट तथा बेबी हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में था। क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि हिन्दुस्तान मोटर्स या प्रीमियर आटोमोबाइल्स अब फीयट ११०० तथा हिन्दुस्तान अम्बेसेडर को छोड़कर अन्य कारों का काम अपने हाथ में लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। हम सावधानीपूर्वक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और यदि हम देखेंगे कि देश में बने पुर्जों का इस्तेमाल करते हुये, मूल्यों में भी कमी करते हुये तथा अच्छी किस्म की कारों को तैयार करते हुये भी यदि इन कारों का निर्माण शुरू करना उचित दिखाई देगा तो हम विचार करके इन्हें भी शुरू करेंगे। जहां तक लाइसेंसों का सम्बन्ध है उनमें दोनों सम्मिलित हैं। केवल लाइसेंस देने का मतलब यह नहीं होता कि वे कारखाने उत्पादन शुरू कर दें। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ज्यों ही हिन्दुस्तान मोटर्स या प्रीमियर आटोमोबाइल्स बेबी हिन्दुस्तान या बेबी फियट बनाने योग्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

हो जायेंगे हम उन्हें इन कारों के बनाने की अनुमति दे देंगे। पर मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि हमें पुरानी गलती को फिर नहीं दुहराना चाहिये जैसा कि हमने स्वतन्त्रता मिलते समय किया था कि अनेक चीज़ों का उत्पादन अनेक नामों से बढ़ाते गये ।

जैसा कि मैं ने कल बताया था कि सवारी कारों के ३६ माडल हमारे देश में थे और कुल १५० प्रकार की अच्छी गाड़ियां थीं। पर धीरे धीरे करके हमने उनकी संख्या कम करके ३ कर दी है। मैं श्री नायर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सवारी कार केवल एक ही माडल की होनी चाहिये। कई प्रकार के टेकनिकल विकास हो रहे हैं। इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। हमने एक परम्परागत ढंग का ही विकास किया है और हमारे यहां तीन कारखाने हैं। यदि हम इन्हीं ३ कारखानों को, यह जानकर कि अगले ३ से ५ वर्षों में तीनों प्रकार की ५००० से ७००० कारों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक तरह से चलाते रहेंगे तो अच्छा ही है ।

मूल्यों के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि यद्यपि गत ८ वर्षों में, जब से संसार म मुद्रास्फीत बढ़ा है और यद्यपि कारों के पुर्जों तथा उनके निर्माण में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य ४० से ४५ प्रतिशत तक बढ़ हैं पर भारतीय कारों के दाम ९ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़े हैं। यदि आप इस उद्योग के लिये अपेक्षित जटिल प्रक्रिया और कुशल तथा साधारण श्रम की समस्या पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के लिये इतनी प्रगति बहुत काफी है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि लागत-लेखा का काम नहीं किया जा रहा है, यह बात गलत है। प्रशुल्क आयोग ने भी कहा है कि संसार के अनेक विकसित देशों में विभिन्न पुर्जों के लागत-लेखा का काम होता है पर हमारे देश में यह परिपाटी अभी विकसित नहीं हुई है। यह बात केवल मोटर उद्योग के सम्बन्ध में ही नहीं है। देश के सरकारी और गैर सरकारी समवायों के पास ऐसी सुविधायें नहीं हैं कि वे प्रत्येक पुर्जे के उत्पादन की लागत तथा उसके लाभ व हानि का पूरा हिसाब रखें पर इस प्रशुल्क आयोग की इस सिफारिश पर भी विचार कर रहे हैं। जब पिछली बार पहले विधेयक के बारे में मैं बोल रहा था तो मैं ने सभा को आश्वासन दिलाया था कि कैल-शियम-कारबाइड, बिजली के तांबे के होल्डर तथा कुछ अन्य उद्योगों में लागत-लेखा प्रणाली शुरू कर दी जायेगी। हम चाहते हैं कि मोटर उद्योग में भी सभी पुर्जों के लिये लागत-लेखा को शीघ्र से शीघ्र लागू करने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री बर्मन ने प्रविधिक प्रशिक्षण की बात कही। वहां इन उद्योगों में जो प्रविधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है वह सरकारी उद्योगों की व्यवस्था से कहीं अच्छी व ज्यादा है। वहां ऐसे प्रशिक्षण के लिये अनेक कालेज व संस्थायें हैं। वहां अन्य उद्योगों तथा मोटर उद्योग में भी १० या १५ प्रति-शत विद्यार्थी होते हैं जो वहां प्रशिक्षण लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि इन उद्योगों के सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में काफी प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकें ।

अब मैं श्री वें० प० नायर द्वारा कही गयी इस बात को लूगा कि इन समवायों को एक में मिला दिया जाये। यह विचार इस सभा के सामने कई बार पहले भी रखा जा चुका है। पर इन समवायों को एक में विलय करना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं । मेरा तथा अन्य विशेषज्ञों का, जिनका परामर्श इस विलय के प्रश्न पर लिया गया है, मत है कि विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणाली, उत्पादन तथा कार्यव्यवस्था वाले समवायों के विलय से कार्यकुशलता तथा लाभ दोनों में कोई भी वृद्धि नहीं होगी बल्कि काम खराब होगा और घाटा भी होगा। चूंकि प्रत्येक

मांडल तथा ढंग की कार के उत्पादन का एक विशेष ढंग है अतः विभिन्न प्रकार की कारों के निर्माण-समवायों को मिलाने से अधिक कार्यकुशलता, अधिक वैज्ञानिकन या मूल्यों में कमी होने की कोई आशा नहीं है ।

मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में श्री अ० चं० गुह ने एक बात उठाई थी । मैं उनसे सहमत हूं कि इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये । प्रशुल्क आयोग तथा सभा और सरकार सभी लोग उपभोक्ताओं का हित चाहते हैं । उद्योग उपभोक्ताओं के हित का केवल उपोत्पाद मात्र है प्रोद्योग तथा विज्ञान भी देश की जनता की सेवा करते हैं । जब भी कोई उद्योग मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार से मांग करता है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है । मूल्यों का विनियमन कराने के लिये सरकार के पास अनेक उपाय हैं । मोटर उद्योग के सम्बन्ध में हमारे पास दो ऐसे मामले आये जिनमें कारों का मूल्य बढाने की मांग की गयी थी पर हमने उन्हें अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इस सम्बन्ध में राय देने के लिये हमारे पास बहुत योग्य पदाधिकारी हैं । कोई यह न समझे कि सरकार योग्य पदाधिकारियों की राय लिये बिना ही काम कर रही है । इस मंत्रालय में एक विकास पार्श्व है जिसमें बहुत योग्य पदाधिकारी हैं जिनके मुकाबिले के योग्य पदाधिकारी देश या संसार के अनेक भागों में उपलब्ध नहीं हैं । विशेषज्ञ हर बात की ठीक जांच करते हैं और मुख्य मुख्य वस्तुओं के उचित मूल्य तथा लागत के प्रश्न को भी देखते हैं । जब हम सभी इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि संरक्षण प्राप्त उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो तो हम बिना अच्छी तरह छानबीन या पूर्वसूचना के किसी भी उद्योग में मूल्य नहीं बढ़ने देंगे ।

मैं सभा के सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस समय उन्होंने जो कुछ कहा है या पहले वे जो कुछ कह चुके हैं उन्हें केवल मोटरगाड़ी उद्योग की या अन्य छः उद्योगों की, जिनके संरक्षण की मांग इस विधेयक द्वारा की गयी है, नीति निर्धारित करने में ही नहीं बल्कि सरकार की औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीति के निर्धारण में हमेशा उचित महत्व दिया जायेगा ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस सभा ने इस विधान का स्वागत किया है और समुचित संरक्षण, सावधानी तथा मार्गदर्शन में यह उद्योग उत्पादन की मात्रा तथा विशेषता में ठीक मार्ग पर चल कर काफी उन्नति करेंगे ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हम इंजीनियरिंग माल के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही न हो जायें बल्कि काफी मात्रा में इन चीज़ों का निर्यात भी कर सकें । हमारे देश में इस्पात तथा खनिज ईंधनों की काफी बहुतायत है । हमारे यहां एसी भी धातुयें मिली हैं, जिनसे हम अलौह धातुओं का निर्माण सस्ते दामों पर कर सकेंगे । इन सभी सुविधाओं तथा उचित सहायता, मार्ग दर्शन तथा देखभाल के पथ पर हमारे देश का औद्योगिक विकास काफी उन्नति कर सकेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हरिश्चन्द्र माथुर का एक संशोधन है पर वह अनुपस्थित हैं अतः उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । माननीय मंत्री भी इस बात का ध्यान रखें कि अब यह स्वीकृत प्रक्रिया बन गई है कि अधिनियम के अन्तर्गत बनें नियमों को संसद् के सामने अवश्य रखा जाये । अतः वे इस बात का ध्यान रखेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री विमल घोष :** इस संशोधन का क्या हुआ जिसे आपने स्वीकार करने को कहा था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हां, उसे स्वीकार किया जा सकता है पर मैं ने उसे इसी समय स्वीकार करने की बात तो नहीं कही थी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने माननीय सदस्य से उस संशोधन के सम्बन्ध में बात की थी । अगले संशोधन विधेयक में हम उनका संशोधन स्वीकार करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**श्री वें० प० नायर :** एक बात के सम्बन्ध में मेरा और माननीय मंत्री का विरोध था । मैं ने कहा था कि इन करारों के प्रभाव हमारे उद्योग के विकास में रुकावट डालेंगे । प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठ ६४ पर ऐसा ही कहा गया है और मैं उसी के आधार पर बात कह रहा हूं । माननीय मंत्री यह भी बतायें कि जब आयोग ने कहा था कि जीप गाड़ियों के तैयार करने का काम स्टैंडर्ड मोटर्स को दिया जाये तो यह काम महेन्द्र एण्ड महेन्द्र को क्यों दिया गया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । जहां तक जीप गाड़ियों के तैयार करने का सवाल है इस सवाल पर सरकार ने अच्छी तरह विचार कर के देखा कि १९५३ और १९५४ में स्टैण्डर्ड मोटर्स, प्रीमियर आटोमोबाइल्स तथा हिन्दुस्तान के पास काफी काम है उस पर जीपों के निर्माण का काम डालना ठीक नहीं है । मुझे प्रसन्नता है कि जीपों के लिये सरकार ने एक उचित संस्था महेन्द्र एण्ड महेन्द्र को चुना है और मोटरगाड़ी उद्योग में इस संस्था का सब से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है ।

†**श्री वें० प० नायर :** अभी भी हमें १६,००० रु० देने पड़ते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** पुर्जों के दामों में ४७ प्रतिशत की वृद्धि हो गई है । एक दो वर्ष में वह अधिकतम सीमा तक पहुंच जायेगा और हमें विदेशी विनिमय से बहुत लाभ होगा ।

रुकावट डालने वाली बातों के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार किसी भी उद्योग में रुकावट डालने वाले करारों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती । पर इन करारों को सम्पन्न करते समय ऐतिहासकि तथ्यों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकी । निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्धों की बातों को हम हटा रहे हैं और भविष्य में जो करार होंगे उनमें हम कोशिश करेंगे कि हम विदेशी सहायकों के अधिक प्रतिबन्धों को न मानें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी नौकरी (निवास सम्बंधी अपेक्षा) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान के अनुच्छेद १६ के खण्ड (३) के अनुसरण में, कुछ क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में निवास विषयक अपेक्षा के लिये विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी नौकरियों के लिये अपेक्षित निवास सम्बन्धी शर्त को दूर कराना है ।

हमें विदित है कि जब हमारा संविधान बना था तो उसके अनुच्छेद १६(१) और १६(२) में उपबन्ध किया गया था कि सरकारी नौकरी के मामलों में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा और इन अनुच्छेदों में वर्णित किसी शर्त के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा । इस समय हमारा जो संगत विषय है वह निवास सम्बन्धी शर्त है ।

संविधान के लागू होने के पूर्व अनेक राज्यों या प्रान्तों में यह नियम था कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद के लिये आवेदन पत्र देता था तो उसे इस बात का भी एक प्रमाण पत्र देना पड़ता था कि वह अमुक राज्य या प्रान्त में निर्धारित वर्षों की अवधि तक रह चुका है । यह अवधि प्राय: ३ वर्ष की होती थी पर कभी कभी तो १५ वर्ष तक की होती थी जिससे बहुत से ऐसे लोग जो किसी राज्य या प्रान्त में आकर बस जाते थे, अपने निवास की अवधि का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते थे ।

निवास संबंधी अपेक्षा की यह शर्त बहुत अनुचित समझी जाती थी । इसी कारण संविधान में व्यवस्था की गयी कि भारत में इकहरी नागरिकता ही रहेगी और किसी भी राज्य के निवासी के साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा सबके लिये समान अवसर रहेगा । ऐसे आधारों में, जिन पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये, निवास की भी शर्त है । अत: आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद १६ के खंड (१) और (२) में दी गयी शर्तों में यह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है ।

उस समय हमें संविधान का निर्माण करते समय उस समय की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ा था । अत: दो उपबन्ध रखे गये थे । एक, अनुच्छेद १६ के खंड ३ में और दूसरा अनुच्छेद ३५ में । इनके संबंध में केवल संसद् को ही, राज्य सरकारों को नहीं, नियम बनाने का अधिकार दिया गया था । संसद् को यह भी अधिकार दिया गया था कि कुछ विशेष जातियों के लिये, कुछ विशेष सुविधा की व्यवस्था के लिये भी कानून बना सके ।

यह भी तय हुआ कि विभिन्न राज्यों या प्रांतों में जो वर्तमान अधिनियम या नियम है वह तब तक चालू रहेंगे जब तक कि संसद् उनमें रूपभेद न कर दे या उन्हें प्रभावशून्य न बना दे । इस प्रकार संविधान में ये शर्तें रखी गयी थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

अतः प्रश्न पैदा हुआ कि संसद् इस संबंध में विधान क्यों न बनावे । उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा उसने राज्यों के पुनर्गठन संबंधी अनेक बातों के बारे में अपनी सिफारिशें पेश कीं । आयोग ने अपनी सिफारिश में यह बताया कि निवास संबंधी अपेक्षा की शर्त को शीघ्रातिशीघ्र हटा दिया जाये । उनके प्रतिवेदन के पैरा ७८६, ७८७ और ७८८ में उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिये निवास संबंधी शर्त को शीघ्रातिशीघ्र हटा दिया जाये ।

उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि इन भेदभाव संबंधी कानूनों को रद्द करने के लिये तथा सभी भारतीयों को, चाहे वे किसी भी प्रदेश या राज्य के निवासी हों, सरकारी नौकरी के लिये अर्ह बनाने के लिये सरकार तुरन्त कार्यवाही करे । अतः सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से इस विषय पर विचार किया ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित किया गया तो भाषा संबंधी अनेक सुरक्षाओं पर विचार किया गया और इन विचारों को राज्य सरकारों के पास भेजा गया । इस संबंध में जो परिपत्र सभा पटल पर रखा गया था उसमें हमने इच्छा प्रकट की थी कि सरकार चाहती है कि भाषा संबंधी सुरक्षाओं की दृष्टि से सभी राज्य सरकारें समान रहें ।

४-९-५७ को वह परिपत्र सभा पटल पर रखा गया था । उसके पैरा १४ में निवास संबंधी अपेक्षा का एक विशेष उल्लेख किया गया है । इसके बाद अनुच्छेद १६(३) का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि सरकार यह बिल्कुल आवश्यक नहीं समझती कि राज्य की किसी भी नौकरी के लिये निवास संबंधी अपेक्षा की शर्त आवश्यक हो । पैरा १५ में आगे कहा गया है कि दिये गये कुछ वचनों तथा कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ विशेष वर्ग की सेवाओं को, विशेषतया अधीनस्थ सेवाओं को, इससे अलग रखा जाये ।

दिये गये वचनों का प्रश्न इस प्रकार आता है कि जब राज्य पुनर्गठन विधेयक पर विचार हो रहा था तो वर्तमान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना भाग तथा आंध्र भाग के नेताओं के बीच एक करार हुआ था । इस करार को भी सभा पटल पर रखा गया था । उसमें कहा गया है कि पांच वर्ष की अवधि के लिये सेवाओं में तैलंगाना क्षेत्र के लोगों को अन्य लोगों के सामने प्राथमिकता दी जाये । अर्थात् कुछ अधीनस्थ सेवाओं में तैलंगाना क्षेत्र में निवास की अपेक्षा की शर्त रखी जाये । तैलंगाना क्षेत्र के सुरक्षाओं के संबंध में भी एक खंड उस करार में रखा गया था । इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इन सुरक्षाओं की एक प्रति भी १०-८-५७ को सभा पटल पर रखी गयी थी । पैरा (ख) में स्पष्ट उल्लेख है कि ५ वर्ष की अवधि के लिये कुछ विशेष सेवाओं में तैलंगाना के लोगों को निवास की अपेक्षा की शर्त की सुविधा दी जायेगी । इन सेवाओं में जो स्थान होंगे उनको वर्तमान हैदराबाद नियमों के, जिन्हें मुल्की नियम कहते हैं, अधीन निवास संबंधी शर्त पूरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही भरा जायेगा ।

इस बात को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया । सरकार ने राज्य सरकारों से दो बार परामर्श किया । एक बार तो तब परामर्श किया गया था जब राज्य सरकारों के पास वह परिपत्र भेजा गया था जिसमें इस विशेष सुरक्षा का भी जिक्र था और अब जब सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है तो इस विधेयक की प्रतियां भी राज्य सरकारों के पास भेजी गई हैं और उनसे कहा गया है कि यदि इस विधेयक के उपबन्धों के संबंध में उन्हें कुछ कहना हो तो जल्दी से केन्द्रीय सरकार को सूचित करें । किसी भी राज्य सरकार ने हमारे पास कोई आपत्ति नहीं भेजी है । अतः गृह-कार्य मंत्रालय ने यह मान लिया है कि गत वर्ष हमने जो परिपत्र भेजा था उससे और इस विधेयक से भी राज्य सरकारें सहमत हैं ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद १६(१) और १६(३) के अनुसार सभी राज्यों को समान स्तर पर लाने का यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी बातों पर विचार कर लेने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक का दोहरा प्रयोजन है। एक, केवल संसद ही, राज्य सरकारें नहीं, नियम तथा कानून बना सकती है। यही बात संविधान के अनुच्छेद ३५ में कही गयी है। अतः इस विधेयक का एक उद्देश्य उन सभी प्रचलित कानूनों को रद्द करना है जो राज्यों में निवास संबंधी अपेक्षा को कुछ सेवाओं की सेवाओं के लिये आवश्यक बनाते हैं और दूसरा उद्देश्य यह भी है कि कुछ स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये। स्थानीय आवश्यकताओं के मामले को २ भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक, आंध्र प्रदेश के तैलंगाना भाग की आवश्यकता। तैलंगाना के लोग इस बात के लिये इच्छुक थे कि उनको ऐसी कुछ सुविधा अवश्य मिले जो उन्हें तब उपलब्ध थी जब वे हैदराबाद राज्य के भाग में थे।

इस संबंध में मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के पैरा ३७८ का जिक्र करना चाहता हूं। इस पैरा में यह सवाल उठाया गया था। उसमें कहा गया है कि विशाल आंध्र प्रदेश के निर्माण के विरोध का एक मुख्य कारण यह भी था कि तैलंगाना क्षेत्र के लोग, जो हैदराबाद राज्य का एक भाग था, इस बात से भयभीत थे कि इस प्रकार आंध्र में उनके मिल जाने से सरकारी नौकरियों का सारा काम आंध्र के लोग ही उठायेंगे और तैलंगाना के लोग उससे वंचित रह जायेंगे क्योंकि तैलंगाना शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है।

इसी आधार पर पूर्व आंध्र तथा तैलंगाना क्षेत्र के नेताओं के बीच एक करार हुआ था उसे भी मानना आवश्यक है।

दूसरे, जहां तक राज्य क्षेत्रों का संबंध है कुछ राज्य क्षेत्र सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और उनकी अवस्था काफी पिछड़ी हुई है अतः उन क्षेत्रों के लोगों को भी कुछ प्रोत्साहन देना आवश्यक है। ऐसे राज्य क्षेत्रों के नाम हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मनीपुर हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में यह उचित समझा गया कि वहां अधीनस्थ सेवाओं के लिये जो नियम प्रचलित हैं उन्हें आगामी ५ वर्षों तक जारी रहने दिया जाये। पर जहां तक उच्च सेवाओं अर्थात् गज्टेड सेवाओं का प्रश्न है उन्हें समान ही माना जाये। इन सेवाओं के संबंध में संविधान के अनुच्छेद १६ के अनुसार, सबको समान अवसर दिया जायेगा। केवल अधीनस्थ सेवाओं के संबंध में इन तीन पिछड़े इलाकों में अपवाद किया गया है। अन्य सभी मामलों में समानता बरती जायेगी।

विधेयक के इन उपबन्धों के अधीन राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित को गई सभी विधियों का संरक्षण हो जायेगा। मैं नहीं जानता हूं कि कहीं कोई विधि पारित हुई है या नहीं, किन्तु सभी मामलों में सभी क्षेत्रों और राज्यों में उक्त बात के अधीन तथा इस अपवाद को छोड़कर विधियों का निरसन कर दिया गया है। इस प्रकार स्थिति संविधान के अनुच्छेद १६ के खंड १ और २ के समकक्ष हो गई है।

ये विधेयक के मुख्य उपबन्ध हैं। अब मैं उपबन्धों का संक्षेप में जिक्र करता हूं। खंड २ उद्देश्यों के निरसक अंग से संबंधित है वस्तुतः यह इस विधेयक का प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी बात उन अपवादों के संबंध में है जिनका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं। केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम विदित कर सकती है जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अधीनस्थ सेवाओं, अथवा नियुक्तियों या हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के प्रशासक के अधीन अधीनस्थ सेवाओं अथवा नौकरियों के लिये आवास की अपेक्षा से संबंधित हों। ये अधीनस्थ

[श्री दातार]

सेवायें सरकार के अधीन हैं ऐसी ही सेवायें स्थानीय निकायों के अधीन भी हो सकती हैं। उनके लिये भी व्यवस्था की गई है, ये नियम आंध्र प्रदेश के तैलंगाना क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ क्षेत्र के अन्दर, केंटोन्मेंट बोर्डों को छोड़ कर अन्य स्थानिय निकायों के अधीन किसी नौकरी अथवा सेवा में तैलंगाना क्षेत्र अथवा संघ क्षेत्रों के अन्दर नियुक्ति के पहिले, निवास विषयक अपेक्षायें विदित करेंगे ।

शंका दूर करने के लिये अधीनस्थ सेवा की परिभाषा की गई है । यह भी विशिष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया गया है कि तहसीलदार का पद इस विधेयक के प्रयोजन के लिये अधीनस्थ पद समझा जायेगा जिससे स्थानीय व्यक्ति उससे लाभ उठा सकें।

नियम बनने के उपरांत उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा तथा सभा उल्लिखित अवधि के अन्दर उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी ।

खंड ५ में यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित है कि यह विशेष अपवाद केवल ५ वर्ष तक जारी रहेगा। तदन्तर अनुच्छेद १६ में उल्लिखित स्थिति लागू हो जायेगी। जिसके अधीन भारत के किसी भाग का निवासी केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य के अधीन नौकरी करने का अधिकारी होगा। अर्थात् सबको समान अवसर दिया जायेगा और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा। मैं आशा करता हूं सभा यह विधेयक स्वीकार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । क्या दो घंटे इस विधेयक की सामान्य चर्चा के लिये और एक घंटा खंडवार चर्चा के लिये पर्याप्त होगा ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या आवास विषयक अर्हता के साथ साथ प्रादेशिक भाषा इत्यादि की जानकारी होना भी आवश्यक होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यह विधेयक राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में दिये गये प्राधिकार का नियंत्रण नहीं करता है । यह केवल निवास से सम्बन्ध रखता है । अर्थात् केवल उस राज्य में निवास न होने के कारण किसी को नौकरी से अनर्हत न किया जाय । इस प्रकार इसे संविधान के अनुच्छेद १६ के अनुसार कर दिया गया है । अन्य बातों के सम्बन्ध में, संविधान के द्वारा लगायी गई सीमाओं के अधीन, राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या श्री इमाम अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद इमाम : मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों स परामर्श कर लिया है । अतः यह आवश्यक है ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इसके राज्य पुनर्गठन आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश को पूरा किया जा रहा है तथा संविधान में भी इसके प्रयोजन के लिये संशोधन किये गये हैं । किन्तु विधेयक के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की केवल एक सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है जब कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें बाकी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुतः विभिन्न राज्यों के नियमों तथा उपनियमों में बहुत अन्तर है तथा इस प्रकार भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यक लोगों से भदभांवपूर्ण व्यवहार किया जाता है परिणाम यह होता है कि भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यक लोगों को भाषा सम्बन्धी बहुसंख्यक लोगों की दया पर निर्भर रहना होता है इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में भी ध्यान देना चाहिये ।

इस विधेयक से निवास सम्बन्धी अनर्हता तो दूर होती है किन्तु यदि राज्य चाहे तो वह भाषा सम्बन्धी अनर्हता लगा सकती है । इस प्रकार विधेयक के क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है ।

सरकार का यह विधान केवल सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में लागू होता है लेकिन सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यकों की जीविका की अन्य समस्याओं को ओर भी ध्यान दे जिससे उन्हें वाणिज्य, शिक्षा, संस्कृति, इत्यादि की सुविधायें प्राप्त हो सकें । क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि भाषा सम्बन्धी अल्प-संख्यक वर्ग का होने के कारण ही कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में, मैं सभा का ध्यान ४ सितम्बर १९५६ को सभा पटल पर रखे गये एक ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता था । ज्ञापन में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है जहां भेदभावपूर्ण बर्ताव किया गया है । उदाहरणार्थ मछली मारने के ठेकों के सम्बन्ध में निजी अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना । इसी ज्ञापन की कंडिका १३ में सरकार ने राज्य सरकारों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति सम्बन्धी परीक्षाओं में अल्प संख्यकों की भाषा को भी मान्यता देने की सिफारिश की है ।

वस्तुतः यह प्रश्न केवल भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यकों के हित का नहीं है अपितु यह प्रश्न सारे राष्ट्र की एकता का है । केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निश्चित और स्पष्ट आदेश देने चाहियें । तथा इसके क्रियान्वित होने में जो प्रगति हुई हो उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना चाहिये ।

आयोग के समक्ष यह सुझाव रखा गया था कि भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये राज्यपाल को प्राधिकृत किया जाय लेकिन सरकार ने इस सुझाव को अस्वीकृत कर दिया । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं है तथापि सरकार को किसी ऐसे उपयुक्त प्राधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिये जो ज्ञापन में रखे गये प्रस्तावों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित करवाये ।

निवास के प्रश्न के कारण भी बहुत कठिनाई हो रही है । कई राज्यों में ऐसी विधियां लागू हैं जो अन्य राज्य के निवासियों को वहां सरकारी नौकरी के लिये अनर्हत कर देती हैं । पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को शरणार्थी छात्रवृत्ति से केवल इस कारण वंचित कर दिया गया है कि उनकी मातृभाषा बंगला है । वस्तुतः ऐसी स्थिति शोचनीय है । मैं नहीं कह सकता हूं कि इस स्थिति में कितना सुधार हुआ है ।

इसमें अल्प संख्यकों सम्बन्धी आयुक्त का भी जिक्र किया गया है तथापि उसकी शक्ति तथा प्राधिकार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है अतः उनको स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाय ।

[श्री अ० चं गुह]

साथ ही आयोग की अन्य सिफारिशों और ज्ञापन में दिये गये अन्य सुधारों को भी क्रियान्वित किया जाय तथा सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिये कि राज्य सरकारें इन्हें उचित रीति से क्रियान्वित करें ।

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा) : मैं इस विधेयक की भावना से पूरी तरह सहमत

साथ ही विधेयक में त्रिपुरा, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्रों के निवासियों को कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं । मैं उनका समर्थन करता हूं क्योंकि इन प्रदेशों के निवासी बहुत पिछड़े हैं तथा वे अन्य राज्यों की प्रतिस्पर्द्धा के समक्ष नहीं ठहर सकते हैं ।

त्रिपुरा की सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये भी कुछ प्रतिबन्ध लगा रखें हैं । वस्तुतः प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिये व्यक्ति का मैट्रिक पास होना अनिवार्य नहीं है तथापि अर्हता की इस शर्त के कारण और अनुसूचित आदिम जातियों में अर्हता प्राप्त कम व्यक्ति होने के कारण वहां के सभी पाठशालाओं में बंगाली अध्यापक हैं । बालक उनकी भाषा नहीं समझते हैं । अतः अब उन्हें आदिम जातियों की भाषा सिखाने के लिये एक स्कूल खोला गया है वस्तुतः इस प्रकार की नीति वहां के निवासियों के लिये अहितकर है ।

यही बात घोषित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में है । त्रिपुरा में जितने भी बड़े घोषित पदाधिकारी हैं वे यद्यपि सभी त्रिपुरा में ही नियुक्त किये गये हैं तथापि वे वहां की स्थानीय भाषायें नहीं जानते हैं । इस कारण वे वहां के आदिम निवासियों की भाषा नहीं समझ सकते हैं अतः ऐसी नौकरियों में केवल ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जो स्थानीय भाषायें जानता हो

निःसंदेह यह विधेयक बहुत अच्छा है तथापि सरकार को यह भी देखना चाहिये कि व्यावहारिक रूप में भी विधेयक पर अमल होता है या नहीं। उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिये कि नियम बनाते समय ये सभी बातें उनमें आ जायें और उन नियमों का पूरी तरह पालन किया जाय तभी इस विधेयक से लाभ की आशा की जा सकती है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १६ पर आधारित है । संविधान बनाते समय हमारा उद्देश्य यह था कि हमारा संविधान व्यापक हो तथा उससे राष्ट्र की एकता को बल मिले । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उक्त अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया कि नौकरियों का नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाय । और साथ ही हमने अनच्छेद १३(२) भी पारित किया जिसके अनुसार सभी राज्यों की ऐसी तत्कालीन विधियां जिनसे उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन होता हो निरसित कर दी गई । लेकिन इन विधियों को निरसन करने का अधिकार राज्यों को न देकर केन्द्र को दिया गया । केन्द्रीय सरकार दस वर्ष बाद इस कार्य को कर रही है । मैं इसके लिये मंत्रालय को दोष नहीं देता हूं । वस्तुतः उन्होंने ठीक ही किया है क्योंकि इस आदर्श को क्रियान्वित करना आसान कार्य नहीं है। बहुत से राज्य स्वयं इसका विरोध करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक भाषा सम्बन्धी निर्योग्यता का प्रश्न है भा नीय मंत्री ने कहा है कि भाषा इस अनुच्छेद का अंग नहीं है । तथापि भाषा के सम्बन्ध में प्राय: शिकायतें की जाती हैं । हमारे दक्षिण भारतीय सदस्यों की यह शिकायत है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में हिन्दी को स्थान नहीं मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि उत्तर भारतीयों की भी यह शिकायत नहीं है कि वे अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं बोल सकते जितने दक्षिण भारतीय बोल सकते हैं अत: उन्हें नुक्सान रहता है ।

इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसी निर्योग्यता हटाना है, जो बहुत समय से कई व्यक्तियों के लिये बाधा बनी हुई है । यह है निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध । भारत में कई प्रान्तीय लोक सेवा आयोग हैं । साथ ही सूबों में यह भी नियम हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक निश्चित संख्या की उसी राज्य से नियुक्ति होनी चाहिये और एक निश्चित संख्या में बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है । जहां तक राज्य असैनिक सेवाओं का प्रश्न है उनमें भी नियुक्ति के लिये उम्मीदवार को उसी प्रांत का निवासी होना आवश्यक है । विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के नियम, भर्ती की शर्तें इत्यादि भिन्न होती हैं तथा कई कालेजों में अन्य राज्यों के विद्यार्थी केवल इस कारण नहीं लिये जाते कि वे उस राज्य के विद्यार्थी नहीं हैं या उनको प्रति व्यक्ति शुल्क देना होता है । इसलिये केवल निवास सम्बन्धी निर्योग्यता को हटाना ही पर्याप्त नहीं है अपितु सभी निर्योग्यतायें हटानी चाहियें ।

जहां तक निवास सम्बन्धी अपेक्षा का प्रश्न है इस से यदि एक व्यक्ति को लाभ होगा तो दूसरे व्यक्तियों को हानि होने की संभावना भी है । मुख्य वस्तु अनुच्छेद १६ का पहिला भाग है अर्थात् अवसरों की समता यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो केवल यह नियम बनाने से कोई लाभ नहीं होगा । वस्तुत: कई पिछड़े क्षेत्रों के लिये तो यह शर्त बनाये रखना ही हितकर है । मैं इसका समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में भी बड़ा असंतोष है कि ऊंचे पदों पर, उसी राज्य के बौद्धिक व्यक्तियों को स्थान नहीं मिलता है । यह शिकायत त्रिपुरा से आई है यही शिकायत पंजाब के हिन्दी भाषाभाषी राज्य की भी है । इस सम्बन्ध में मैं अपने भाषण का एक अंश भी, जो मैंने सभा में पहिले दिया था और जिसका स्वयं उपाध्यक्ष महोदय ने समर्थन किया था, उल्लेख करना चाहता हूं ? मैंने कहा था :

"अब मैं एक दूसरे नमूने का नया नक्शा पेश करना चाहता हूं और मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह हाउस उसका बड़े ध्यान से मुलाहिज़ा फ़रमाये और जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सुने । जालन्धर डिविज़न के लोग जिस के अन्दर हिन्दू और सिख दोनों शामिल हैं उनको कितनी जगहें मिली हुई है इसका हाल मैं आपको सुनाना चाहता हूं । पंजाब के सेंट्रल मिनस्टर्ज दो हैं और दोनों ही जालंधर डिविज़न के हैं । पंजाब कैबिनेट में आठ मिनिस्टर्ज़ हैं उनमें से सात जालन्धर डिवीज़न के हैं और एक हरियाना प्रांत का । स्पीकर और चेयरमैन पंजाब असेम्बली के दोनों जालंधर डिविज़न के हैं । हाई कोर्ट के जजेज़ सब जालंधर डिविज़न के हैं । पब्लिक सर्विस कमिशन के तीन मैम्बर हैं, तीनों जालंधर डिविज़न के हैं । सबार्डिनेट सर्विस कमिशन के तीन मेम्बर हैं तीनों जालंधर डिविज़न के हैं ।

पंजाब से कौंसिल आफ़ स्टेट के लिये चुने गये आठ के आठों मेम्बर जालन्धर के हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो यह हालत नहीं रही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी मैं पूरा कोट कर लूं।

"वहां पर लेजिस्लेटिव कौंसिल के १८ नामिनेटेड मेम्बरों में से सिर्फ दो हरियाना प्रांत के हैं। पंजाब से चुने गये लोक सभा के मेम्बरों में से सिर्फ चौधरी रनबीर सिंह और मैं, दो मेम्बर हरियाना प्रांत के हैं, बाकी दूसरी जगहों के हैं।

एक माननीय सदस्य : अब तीन हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: उस समय श्री टेकचन्द ने बीच में टोकते हुये यह कहा था: "मैं अम्बाला से चुना गया हूं"। मैंने उस समय उनको कहा था : "आप अम्बाला के हैं लेकिन आप भी उसी क्लास के हैं। हरियाना प्रांत में नहीं मिले जुले इलाक़े के हैं। विधान सभा की कमेटी के मेम्बर्ज़ में १६ जालंधर के हैं और चार हरियाना प्रांत के। गवर्नमेंट नामिनेटेड कमेटी मेम्बर्ज में दो जालंधर के हैं और हरियाना प्रांत का कोई नहीं है। आई० सी० एस० और आई० ए० एस० में २४ आदमी हैं और सब के सब जालंधर के हैं। सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी १५ हैं और सबके सब जालंधर के हैं।" "हैड्ज़ आफ़ दी डिपार्टमेंट (विभागाधिकारी) २० हैं और दो को छोड़ कर सब के सब जालन्धर के हैं। वहां पर डिप्टी कमिश्नर १३ हैं और सब के सब जालन्धर डिविज़न के हैं। सुपरिंटेंडेंट आफ़ पुलिस २० हैं और सब के सब जालंधर डिविज़न के हैं। गज़ेटिड आफिसर्ज़ ३४८ हैं और उनमें सिर्फ ४० हरियाना प्रांत के हैं।"

मैं यह सारी फ़ेहरिस्त आपके सामने पेश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा है। ये फ़िग्र्ज़ तो मैंने ऐडमिनिस्ट्रेशन के बताये हैं। अब मैं कालेजिज़ और स्कूल्ज़ की पोज़ीशन बताता हूं।

श्री अब्दुल लतीफ (बिजनौर) : चपरासी रह गये, वह कितने कितने हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप सब्र रखिये मैं अभी उस पर आऊंगा।

उस सारी शिकायत को सुन कर मैं और आगे डिटेल्स् में नहीं जाना चाहता, हमारे आज के डिप्टी स्पीकर साहब ने उस मौके पर यह रिमार्क किया था :"कि जो शिकायत इन्होंने की है मैं उससे मुत्तफ़िक (समर्थन करता) हूं। जहां तक सबार्डिनेट सर्विसेज़ (अधीनस्थ सेवाओं) का सवाल है मेरे पास इस समय उनके मुताल्लिक़ फ़ीगर्स (आंकड़े) नहीं हैं लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस इलाक़े की शिकायत यह है कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी में तक़रीर कर रहे थे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यह अवस्था अधीनस्थ सेवाओं में भी है। वहां भी असन्तोष है। देश में यह सामान्य भावना फैली हुई है कि जिस इलाके का मंत्री होता है सभी लोग उसी स्थान से नियुक्त किये जाते हैं। भारत सरकार के कार्यालयों में भी यही होता है जिस क्षेत्र का कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसी इलाके के लोगों की पद वृद्धि होती है। हमें वस्तुत: इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है और पक्षपात की इस जड़ को उखाड़ फेंकना है। तथापि मेरे कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी एक खास वर्ग के व्यक्ति हरियाना वालों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। वस्तुत: इसका कारण एतिहासिक है। मुख्य कारण यह है कि हरियाना प्रांत वालों ने १८५७ के विद्रोह में भारतीय विद्रोहियों का साथ दिया। फलस्वरूप दंड के रूप में हरियाना पंजाब से मिला दिया गया। माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि विद्रोह में जिन व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ी है उन्हें कुछ हर्जाना दिया जायेगा लेकिन हरियाना प्रांत से यह विषमता दूर नहीं की गई। १९४७ के

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चात् जब भारत विभाजन हुआ और भारत में शरणार्थियों का तांता बंध गया तो हमने सभा में यह विधेयक पारित किया कि शरणार्थियों को नौकरियों में पूर्ववर्तिता दी जायेगी। तत्पश्चात् पंजाब को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, निसन्देह इसमें हरियाना प्रांत की स्वीकृति थी तथापि अब पंजाब की जो अवस्था है वह केवल भाषा के कारण नहीं है बल्कि उसका कारण यह है कि नौकरियां देने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। भाषा की इस समस्या का दो मिनट में हल हो सकता है। आप यह नियम अनिवार्य कर दीजिये कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने के लिये दोनों भाषायें जानना आवश्यक होगा।

हमने संविधान के अनुच्छेद १९ में जो संशोधन किया था उसका आशय यही था कि पेशे या प्रविधिक अर्हताओं, इत्यादि के संबंध में अलग से नियम बनाये जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति किसी प्रदेश की भाषा नहीं जानता, तो वह अपनी सरकारी नौकरी का दायित्व पूरा-पूरा नहीं निभा सकता। आपको सरकारी नौकरी के लिये यह भी एक अर्हता रखनी चाहिये कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवार उस प्रदेश विशेष के निवासियों से उनकी भी भाषा में बात कर सकें। इसमें न कोई गलती है और न विभेद। इसका नागरिक समानता पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

लेकिन मेरी आपत्ति तो यह है कि आपने इस विधेयक में यह नहीं कहा है कि यह नियम भाषावार अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। आपने स्वयं ही कहा है कि आप यह निवास विषयक अपेक्षा का नियम स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ही चार राज्यों के लिये बना रहे हैं।

राज्य पुनर्गठन विधेयक की चर्चा के समय, मैंने इस सभा में हैदराबाद के संबंध में आंकड़े भी पेश किये थे। लेकिन सरकार तो किसी की भी बात पर कान ही नहीं देती। वह तर्क-संगत संशोधनों को भी ठुकरा देती है। संविधान में हमने किसी भी समुदाय को कोई विशेषाधिकार नहीं दिये हैं।

मैं हरियाना क्षेत्र के लिये कोई विशेष मांग नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक प्रदेश को सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व दिया जाये। माननीय मंत्री को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अन्यथा हरियाना की जनता की भांति अन्य क्षेत्रों की जनता भी अपने को दूसरों से हीन समझने लगेगी।

पंडित नेहरू के मुख्य मंत्रियों को लिखने के बावजूद, इसके संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मैं यह तो मानता हूं कि हरियाना की जनता शिक्षा, प्रभाव और सम्पदा में काफी पिछड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि पंजाब किसी गिनती में ही नहीं आता। भारत सरकार में पंजाब का कोई प्रभाव ही नहीं है।

मुझे अपने विषयांतरित होने पर खेद है।

मैं कह यह रहा था कि तीन राज्यों के संबंध में सुरक्षण की व्यवस्था की गयी है। हैदराबाद के संबंध में किये गये सुरक्षण के बारे में तर्क दिया गया है कि उसके संबंध में एक समझौता हो चुका है। मैं पूछता हूं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के समय हरियाना के बारे में भी ऐसा ही एक समझौता क्यों नहीं किया गया था? आप यदि निबटारा करना चाहते हैं, तो निबटारा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हरियाना की जनता को कुछ ठोस अधिकार दिये जायें। लेकिन सरकार ने उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। और, अब उसकी शिकायत है कि पंजाब में कोई समझौता नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने समझौता कराया ही नहीं है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पांच वर्षों के बाद त्रिपुरा और मनीपुर में क्या होगा ?

सुरक्षण तो केवल अघोषित पदों के संबंध में ही किया गया है, घोषित पदों के संबंध में नहीं। मैंने तो अपने संशोधन में सभी पदों को सम्मिलित किया है। केवल पटवारियों के पदों के संबंध में सुरक्षण करने से इन चारों राज्यों में न्याय नहीं किया जा सकता।

हैदराबाद के संबंध में तो सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के पदों का बंटवारा कर दिया है। लेकिन, पंजाब के लिये मैं ऐसे बंटवारे की मांग नहीं करता। मैं केवल यही चाहता हूं कि पंजाब को भी सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले। मैं तो एक एकीकृत राज्य चाहता हूं। साथ ही, मैं यह भी नहीं चाहता कि उच्च पदों में पंजाब को बिल्कुल ही प्रतिनिधित्व न दिया जाये।

मेरी राय तो यह है कि पांच वर्षों वाले नियम की अवधि बढ़ाकर कम से कम दस वर्ष कर दी जाये। आपने यह विधेयक १९५७ में प्रस्तुत किया है, इसका अर्थ है कि अन्य राज्यों को तो आपने १९४७ से अब तक दस वर्ष दिये हैं। इसलिये, अन्य चार राज्यों को भी दस वर्ष तो मिलने ही चाहिये। उच्च पदों और साथ ही निम्नस्तरीय पदों में भी मुख्यतया उन ही राज्यों के व्यक्ति रखने के लिये, उनको दस वर्ष का समय देकर ही न्याय किया जा सकता है।

अब मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आपने पंजाब के संबंध में जो नीति अपनाई है उसका परिणाम विपत्तिकारक ही हो सकता है। उससे समूचे देश की एकता तथा समृद्धि को खतरा है।

इसलिये, माननीय मंत्री को इस विधेयक में पंजाब के हिन्दी प्रदेश को भी सम्मिलित करना चाहिये। हम केवल दस वर्षों का समय चाहते हैं। माननीय मंत्री को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री दे० वें० राव** (नलगोंडा) : इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ, मैं सभा के सामने कुछ ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातें भी रखना चाहता हूं जिनको विधेयक में सम्मिलित करना पड़ेगा। तैलंगाना में केवल निवास संबंधी अर्हताओं का प्रश्न नहीं है, कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनके कारण आंध्र प्रदेश के तैलंगाना वाले भाग को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है।

उदाहरण के लिये, नौकरियों के एकीकरण के बाद वेतन-श्रेणियों, वरिष्ठता, आदि की अन्य समस्यायें भी उठ खड़ी हुई हैं। घोषित और अघोषित, दोनों प्रकार के अफसरों को यह भय बना रहता है कि एकीकरण के बाद कहीं उनकी उपलब्धियां पहले से कम न कर दी जायें। अघोषित कर्मचारियों को पहले यह सुविधा थी कि उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। गृह-कार्य मंत्री को इन पर विचार करना चाहिये।

राज्यों के पुनर्गठन से पैदा होने वाली, नौकरी संबंधी समस्याओं का हल करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है। इसलिये, उसे यह देखना चाहिये कि एकीकरण से पूर्व तैलंगाना की सरकारी नौकरियों में लोगों को जो वेतन-क्रम और उपलब्धियां प्राप्त थीं वे मिलती रहें।

ऐसा एक समझौता हो चुका है कि इन सुविधाओं में कमी नहीं की जायेगी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। भविष्य में जब भी नियम बनाये जायें, इसे ध्यान में रखा जाये।

तैलंगाना में पहले भी एक पृथकतावादी आंदोलन चल चुका है। यदि इन समस्याओं का सन्तोषजनक हल नहीं किया गया, तो उससे पृथकतावादी प्रवृत्तियां और अधिक बढ़ेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये, मेरा अनुरोध है कि विधेयक में वेतन-क्रम, इत्यादि के मामलों को भी सम्मिलित करना चाहिये ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की जिस धारा के आधार पर यह बिल अभी हमारे माननीय मंत्री ने उपस्थित किया है उसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जहां सिद्धांत में यह बात बहुत ही आवश्यक है वहां व्यवहार में जरूरी है कि किसी प्रकार का एक नियम रक्खा जाये जिस से पिछड़े हुए इलाकों के लोगों की नियुक्ति में कुछ न्याय हो सके । अगर सिर्फ सिद्धांत की बात होती, और ऐसा सिद्धांत होता जिसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये, तो फिर संविधान की धारा १६ में जो सिद्धान्त दिया गया है, उसके साथ ही साथ धारा ३५ में इस संसद् को यह अधिकार न दिया गया होता कि जहां इस प्रकार के प्रतिबन्ध हों वहां संसद् उनको भी हटाए और जहां पर आवश्यक समझे वहां उचित प्रतिबन्ध को लगावे भी । इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान की उस समय की दशा को देखते हुए संविधान बनाने वालों ने यह जरूरी समझा था कि जहां एक देश में एक नागरिकता हो और नियुक्ति आदि के मामले में, नौकरियों के मामले में सबको समान अवसर मिले, वहां उन्होंने यह भी मत रक्खा था कि देश के जितने हिस्से हैं सब बराबर के मौके के अधिकारी तो हैं, लेकिन हर प्रदेश के सभी नागरिक बराबरी के मौके का उपभोग करने के योग्य नहीं हैं । जैसा संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है, हम अपने देश के अन्दर सब लोगों के लिये उन्नति करने का बराबर का मौका देंगे । लेकिन हम यह भी देखते हैं कि अभी तक हम लोग शिक्षा जैसी साधारण बात में भी बराबर का मौका नहीं दे सके हैं । इसलिये उस समय यह जरूरी समझा गया और संसद् को यह अधिकार दिया गया कि विभिन्न प्रांतों की हालत को देखते हुए अगर संसद् जरूरी समझे, और लोगों के लिये आवश्यक हो, कि राज्य के अन्तर्गत नौकरियों के लिये, रोजगार के लिये, किसी प्रकार का प्रतिबन्ध वहां के निवास स्थान के संबंध में लगाया जाये तो वह उसे लगाने की अधिकारी है । इसलिये सिद्धांत रूप में तो मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत ही अच्छा होता कि ऐसा समय आए जब इस देश के किसी भी प्रांत में, किसी भी हिस्से में, नौकरियों के संबंध में, इस तरह का प्रतिबन्ध न लगाया जाए ।

अभी जैसा हमारे माननीय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि संविधान को पास हुए दस वर्ष हो गये, दस वर्ष तो नहीं हुए पर सात वर्ष अवश्य हो गये । सात वर्षों बाद सरकार को इस तरह का विधेयक उपस्थित करने का मौका मिला है । मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को समझती है कि जहां तक सिद्धांत का ताल्लुक है, हिन्दुस्तान के हर नागरिक को नियुक्तियों के संबंध में समान मौका मिलना चाहिये । फिर भी बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पर यदि इस सिद्धांत को लागू कर दिया गया, जिसे न्यायोचित आधार का सिद्धांत कहा जाता है, तो सब की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस समान मौके का लाभ उठा सकें । कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह का प्रतिबन्ध आवश्यक है । अगर इस तरह का प्रतिबन्ध राज्य की तरफ से नहीं लगाया गया तो वहां के पिछड़े हुए लोग पिछड़े ही रह जायेंगे । इसलिये जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वहां जैसा कि अभी कुछ भाइयों ने कहा, मैं भी इस संबंध में कहना चाहता हूं कि यह सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसे हम हर प्रदेश में सोलह आने लागू कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय आप मुझे माफ करेंगे, चूंकि यह सवाल यहां उठाया गया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं । जहां तक मैं समझता हूं इस विधेयक का उन लोगों से कोई संबंध नहीं है जो कि भाषा के अल्पमत वाले हैं । यह तो, पिछले समय से सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों के संबंध में या किसी भी स्थानीय संस्थाओं के अन्दर नौकरियों के संबंध में अगर कोई निवास-स्थान का प्रतिबन्ध लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिये है और आंध्र प्रदेश के तैलंगाना क्षेत्र में, हिमाचल

[श्री श्रीनारायण दास]

प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में कुछ इस तरह का प्रतिबन्ध लगाने के लिये है, ताकि वहां के लोगों को, जो कि शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, नौकरियों और नियुक्तियों के संबंध में कुछ ज्यादा अवसर मिल जाये। और आशा की गई है कि इस बिल के जरिये से पांच वर्षों के अन्दर वहां के निवासी ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे जिस पर कि इस तरह के प्रतिबन्ध की उन्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। इस मामले में जैसा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, और इन प्रदेशों के बारे में जो कुछ मैं जानता हूं उससे स्पष्ट है कि अगर सिर्फ पांच वर्ष के लिये इस प्रकार का प्रतिबन्ध रक्खा गया तो इन इलाकों के लोगों को सब के बराबर में आ सकने का मौका नहीं मिलेगा, और इस समय को बढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि अभी इस विधेयक में इस अवधि को ५ वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया जाये।

अभी इस संबंध में हमारे माननीय सदस्य श्री अरुण चन्द्र गुह ने एक प्रश्न उठाया। उनका भाषण, जैसा आप ने कहा, इस बिल से बिल्कुल बाहर की बात थी। यह बात सही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि जो भाषायी अल्पमत वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाये। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश के अन्दर अगर भाषायी अल्पमत वाले लोग हैं तो उनकी भाषा की रक्षा करनी चाहिये। उनको मौका देना चाहिये कि वे अपनी भाषा का अध्ययन कर सकें, अपनी भाषा की तरक्की कर सकें, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। यह जरूरी है। मैं भी यह बात कहना चाहता हूं कि भाषायी अल्पमत वालों का हमको ख्याल करना पड़ेगा।

मैं इस बात का जिक्र न करता। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा इसलिये आप की आज्ञा से यहां पर यह कहने के लिये उद्यत हुआ हूं कि यह ठीक है कि जो भाषायी अल्पमत वाले लोग हैं उनके हक की हिफाजत की जाये, उनको तरक्की करने का मौका दिया जाये, लेकिन जिस प्रदेश में वह नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर आने के बाद वर्षों तक अगर वहां की भाषा का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इस तरह की बात मेरी समझ में नहीं आती है। हम आंध्र में नौकरी करने के अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं इस कानून के जरिये से, लेकिन वहां नौकर हो कर उनकी अच्छी से अच्छी सेवा करने का खयाल हम न रक्खें तो यह कहां तक मुनासिब है? आंध्र वालों की सेवा करना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं। और हमें उसका अधिकार भी होना चाहिये, लेकिन आंध्रवासी जो जनता है, उसकी जो भाषा है, वर्षों तक आंध्र में रहने के बाद भी अगर हम वह न सीखें, जो कि उनकी सेवा करने के लिये आवश्यक है, तो यह अनुचित है। इसलिये संविधान बनाने वालों ने जहां पर मौलिक अधिकारों का समावेश किया है, जहां पर नौकरियों और नियुक्तियों के बारे में कहा है कि वहां का निवास आवश्यक नहीं है, वहाँ भाषा के लिये ऐसा कहीं नहीं कहा है। लेकिन जिसकी सेवा करने के लिये हम चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हो, अगर उनकी भाषा का जानना जरूरी समझा जाए, कोई राज्य सरकार उस भाषा का जानना लाजिमी समझे, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी सिद्धांत से उस राज्य का ऐसा करना नाजायज होगा। इसलिये जहां तक भाषायी अल्पमत का सवाल है, मैं समझता हूं कि उस का समावेश नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य को इस का जिक्र करने का अधिकार है कि उस की रक्षा हो, और वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक भाषायी अल्पमत के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है, वह इस विधेयक से बाहर की बात है और उसका जिक्र करना भी उपयुक्त नहीं है।

स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के संबंध में भी कुछ कहा गया। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने जहां इस बात का जिक्र किया है कि नौकरियों के संबंध में विभिन्न राज्यों में निवास स्थान की आवश्यकता है उसे हटा देना उचित होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि

बहुत से राज्यों में इस तरह का प्रतिबन्ध न भी होगा और बहुत से ऐसे राज्य होंगे जिन के बारे में मैं समझता हूं कि प्रतिबन्ध होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के विचार से यह जरूरी है देश की एकता के लिये। यह इसलिये जरूरी है कि देश के तमाम नागरिक यह समझें कि यह हमारा देश है और अगर वह देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जायें तो उनको यह भान न हो कि उनको कहीं हिन्दुस्तान का नागरिक नहीं समझा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिस सिद्धांत को लेकर यह बिल उपस्थित किया गया है वह सर्वथा समर्थन करने के योग्य है लेकिन अच्छा होता यदि पिछड़े हुए हिस्सों के संरक्षण की अवधि और बढ़ा दी जाती। अभी-अभी मंत्री जी ने बताया कि आंध्र का कुछ हिस्सा है जहां के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि कुछ दिनों तक उनको संरक्षण मिलेगा। उनको यह संरक्षण दिया गया है कि उनके प्रदेश की नान गजेटेड (अघोषित) जगहों को उसी प्रदेश के लोग भरें और ऐसा न हो कि उन जगहों को दूसरे प्रदेशों के लोग भर दें। इसी तरह से जो मनीपुर और त्रिपुरा के लिये संरक्षण रखा गया है उसका मैं पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पांच वर्ष की अवधि कम है। अच्छा होता यदि अभी ही यह अवधि कुछ और बढ़ा दी जाती। ऐसा न हो कि इस कानून में यह सुधार करने के लिये गृह-कार्य मंत्री महोदय को फिर इसे उपस्थित करना पड़े। अगर पांच वर्ष की जगह दस वर्ष की अवधि रख दी जाये तो मेरी समझ में मुनासिब होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जाधव (मालेगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने है मैं उस के बुनियादी मकसद से सहमत हूं। अभी अभी मान्यवर सदस्य पंडित ठाकुर दास जी ने जिस बात पर जोर दिया है उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं।

सरविसेज़ (नौकरियों) के बारे में रेज़ीडेंस (निवास) की वजह से कोई रुकावट न हो यह बात हिन्दुस्तानी की तरक्की के लिये बहुत ठीक है। लेकिन जो आल इंडिया सरविसेज़ हैं उन में ज़बान के कारण रुकावट पैदा होती है और बहुत लोगों को इस के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। जो कम्पिटीटिव एग्ज़ामिनेशन (प्रतियोगी परीक्षायें) होते हैं उन में पास होने के लिये आदमी को अंग्रेजी और हिन्दी में माहिर होना चाहिये। हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में १४ जबाने बोली जाती हैं। अभी मान्यवर सदस्य ने जो फिगर (आंकड़े) सदन के सामने रखे हैं उनसे मालूम होता है कि जबान के कारण लोगों को इन सरविसेज़ में सही मौका नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : मान्यवर सदस्य का यह खयाल गलत है। पंडित ठाकुर दास जी का यह कहना नहीं था कि ज़बान की तकलीफ की वजह से उन को सरविसेज़ नहीं मिलतीं। वह और तकलीफें बतला रहे थे।

श्री जाधव : उनके कहने का मकसद मैं तो ऐसा ही समझता हूं।

जो आल इंडिया सरविसेज़ हैं उन के बारे में मैंने होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को पढ़ा लेकिन उस से मुझे यह पता नहीं चला कि आल इंडिया सरविसेज़ में किन-किन राज्यों के कितने-कितने लोगों को मौका मिला। मैं कहना चाहता हूं कि इन सरविसेज़ में ज्यादातर मौका साउथ (दक्षिण) के लोगों को, बंगाल के लोगों को और यू० पी० के लोगों को मिलता है। और जो दूसरे लोग हैं और जो पिछड़े हुए हैं उन को इन सरविसेज़ में मौका मिलना मुश्किल हो जाता है। दिन ब दिन हमारा जबान का स्टैंडर्ड (मानदंड) कमती होता जा रहा है। जो हमारे देहातों में रहने वाले लोग हैं उनको ये जबानें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो एग्ज़ीक्यूटिव पोस्टें (कार्यपालक पद) हैं उन पर काम चलाने के लिये जबान में भी अच्छी काबिलियत हो यह मैं जरूरी नहीं समझता। इन सरविसेज़ के लिये लोगों को कम से कम एक जबान की अच्छी महारत होनी चाहिये और जो दूसरी जबानें हैं

[श्री जाधव]

उन का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिये । अगर सरविसेज़ देने में यह दृष्टिकोण रखा जायेगा तो जो यह बुनियादी सवाल है उस को बहुत मदद पहुंचने वाली है । तो मैं गृहमंत्री जी से विनती करूंगा कि इस बारे में जरूर खयाल रखा जाये क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं या जो गुजराती जबान वाले हैं, या जो पंजाब के लोग हैं या जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उन का रिक्रूटमेंट (भर्ती) इन सरविसेज़ में बहुत कम होता है । इस के साथ साथ जो पिछड़ी हुई जमाअतें हैं उन को भी इन सरविसेज़ में काफी मौका नहीं मिलता । क्योंकि वे जबान में माहिर नहीं होते हैं । अंग्रेजी..

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से एक विनय करना चाहता हूं । यह बिल तो है रेज़ीडेंस के मुताल्लिक पर इस पर बहस शुरू हो गई जबान के मुताल्लिक । कुछ मेम्बरों ने जबान का जिक्र किया है, आप भी थोड़ा जिक्र कर दें । मगर सारी बहस जबान पर ही हो और रेज़ीडेंस पर बोला ही न जाये, बिल किसी दूसरी चीज़ के मुताल्लिक हो और बहस, किसी दूसरी चीज़ पर हो, यह तो उचित नहीं है ।

श्री जाधव : फंडामेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकारों) का जिक्र किया गया और उस में इस का उल्लेख है इसलिये मैं इस पर रोशनी डालना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर बहुत ज्यादा रोशनी न डालें ।

श्री जाधव : खैर इतना ही काफी है ।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : आज जो यह विधेयक इस माननीय सदन के सामने उपस्थित है मैं उस का अनुमोदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं ।

अभी-अभी गृह मंत्रालय के मंत्री महोदय ने, जिस समय वे अपना भाषण कर रहे थे, फरमाया था कि इस माननीय सदन को ही इख्तियार है कि रिहायश के मुताल्लिक कोई कानून बना सके । राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है । यानी अगर सर्विसेज़ में रिहाइश के मुताल्लिक कोई पाबंदी लगानी हो या कोई कानून बनाना हो तो ऐसा यह सदन ही कर सकता है और राज्य की असेम्बली (विधान सभा) नहीं कर सकती ।

दूसरा स्टैंडर्ड उन्होंने हमारे सामने यह रखा कि लोकल रिक्वायरमेंट्स (स्थानीय अपेक्षाओं) को देखा जाये और उस के मुताबिक अगर हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा पिछड़ा हुआ है तो उस के लिये कोई न कोई संरक्षण रखा जाये । इसी वजह से उन्होंने सर्विसेज़ की चार जगहों के लिये यह रिहाइश का संरक्षण रखा है । यानी तैलंगाना के लिये, हिमाचल प्रदेश के लिये, त्रिपुरा के लिये और मनीपुर के लिये । मेरी शिकायत यह नहीं है कि यह संरक्षण क्यों रखा गया । मैं तो उन को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुछ पिछड़े हुए इलाकों के लिये यह संरक्षण रखा । वहां के जो रहने वाले हैं वे तालीमी लिहाज से, माली लिहाज से और सियासी लिहाज से भी पिछड़े हुए हैं । उनके लिये यह संरक्षण जरूरी था । लेकिन मेरा गिला यह था कि यह बीमारी और जगहों पर भी है और उन जगहों के लिये उन्होंने यह दवा नहीं रखी जोकि इन चार जगहों के लिये रखी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे पंजाब के तीन हिस्से हैं, एक नार्थ का हिस्सा, एक साउथ का हिस्सा और एक दरमियानी हिस्सा । पंजाब का जो दरमियानी हिस्सा है वह जालंधर का मैदानी हिस्सा है, दूसरा हरियाना प्रान्त का हिस्सा है और तीसरा मेरा पहाड़ी हिस्सा है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र भार्गव जी के बोलने के बाद शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत न थी, लेकिन मुश्किल यह है कि वह नाम तो हिन्दी रिजन (प्रदेश) का लेते हैं, लेकिन जब वह अपना केस आर्ग्यू करते हैं, तो हिन्दी रिजन को छोड़ कर हरियाना प्रान्त पर चले जाते हैं और हिन्दी रिजन को भूल जाते हैं। जिस किस्म की बीमारी की वह शिकायत करते हैं, उन के यहां तो वह बहुत कम हो गई है। वह बीमारी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में सब से ज्यादा है। हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और कंडाघाट के हिस्से में वही बीमारी है, जोकि हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जो दवाई हिमाचल प्रदेश को दी जा रही है, वह हम को देने के लिये भारत सरकार तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी पंडित जी ने कहा है कि क्लोरोफ़ार्म एक हालत में कानशस को अनकानशस करती है और दूसरी हालत में वह अनकानशस को कानशस बना देती है।

श्री हेमराज : वह खुद भी अनकांशस हो जाते हैं। वह हिन्दी रिजन का नाम लेते हैं, लेकिन हरियाना प्रान्त में चले जाते हैं।

स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में यह कहा गया था कि पंजाब के मैदानी हिस्से को किसी किस्म की शिकायत नहीं है न उन के साथ ना-इन्साफ़ी होती है और अगर कोई शिकायत है, तो वह हरियाना प्रान्त वालों को या पहाड़ वालों को है। इस के साथ ही उस से पहले ही पंजाब असेम्बली ने एक रेज़ोल्यूशन (संकल्प) पास किया था, जिस में इस बात को तस्लीम किया गया था कि पंजाब के पहाड़ी हिस्से, जोकि उत्तरी हिस्सा है, के लोग एजूकेशनली, पोलीटिकली और हर तरीके से बैकवर्ड हैं और उन को सर्विसिज़ में किसी किस्म की रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं मिली हुई है। उस रेज़ोल्यूशन को मैं पहले यहां पर पढ़ कर सुना चुका हूं मेरी शिकायत यह है कि जो दवाई आप हिमाचल प्रदेश वालों को दे रहे हैं, उस को हमें देने में अपना हाथ क्यों खींच लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के अपने भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि उनको जो दवाई मिल रही है, उस से कुछ दिन और वे ज़िन्दा रह सकते हैं।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे यहां पहाड़ में जितने भी आफ़िसर जाते हैं, वे पहाड़ियों को न जाने क्या समझते हैं। वे समझते हैं कि पहाड़ी बुद्धू हैं और इन को जिस तरह मरज़ी एक्स-प्लायट (उपयोग) किया जाय। पंजाब गवर्नमेंट के जो सबसे निकम्मे आफ़िसर होते हैं, जिनको कोई सज़ा देनी होती है, कालेपानी भेजना होता है, उन को कांगड़ा, कंडाघाट में भेजा जाता है। उन लोगों को हमें एक्सप्लायट करने के लिये भेजा जाता है, न कि डेवेलप करने के लिये। अगर सर्विसिज़ में हमारे आदमी हों, जिन को हम से हमदर्दी हो, जिन्हें हमारे इलाके को डेवेलप करने का ख्याल हो, जो लोगों से अच्छी तरह पेश आयें, तभी हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ने जो शिकायत की है, वह शिकायत दुरुस्त है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पहाड़ में तो इस के मताल्लिक उससे भी ज्यादा शिकायत है। इसलिये वही दवाई इस पहाड़ी रिजन के लिये भी प्रैस्क्राइब (विहित) करनी चाहिये।

हिन्दी रिजन के लिये मैंने एक अमेंडमेंट रखी है, जिस के ज़रिये मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और दूसरी यूनियन टैरिटरीज़ (संघ क्षेत्रों) में सबार्डीनेट पोस्ट्स के लिये रैज़िडेंट का जो उसूल रखा गया है, वह गज़टेड पोस्ट्स पर भी हावी होना चाहिये और सबार्डीनेट सर्विसिज़ (अधीनस्थ सेवाओं) के साथ उन का भी शुमार होना चाहिये।

[श्री हेमराज]

हिमाचल प्रदेश के लिये पांच साल का जो अरसा रखा गया है, वह बहुत कम है। उनके पास रिप्रेज़ेन्टेटिव गवर्नमेंट थी, वह आप ने ले ली है। इस पांच साल के अरसे में सबार्डिनेट सर्विसिज़ में शायद थोड़े से आदमी आ जायें। वहां के स्कूलों में जो लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं, वे इन पांच सात सालों में पढ़ कर और सरकारी पोस्ट्स के लिये तैयारी कर के उन पोस्ट्स को नहीं पा सकेंगे। आपको यह पता होना चाहिये कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में तमाम डेवेलपमेंट रुकी पड़ी है, क्योंकि लोकल आदमी इतने पढ़ नहीं पाये कि वे सर्विसिज़ में दाखिल हो कर उनको मैन (भर) कर सकें। इसलिये मेरा ख्याल है कि इस अरसे को बढ़ा कर दस साल कर दिया जाय। यह मुनासिब नहीं है कि पहाड़ के एक हिस्से को—जिस्म के एक हिस्से को—तो अच्छा बना दिया जाय और बाकी को खराब ही रहने दिया जाये।

इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी अमेन्डमेंट को मन्जूर करके इस विधेयक को पंजाब के हिन्दी रिजन पर भी लागू कर दिया जाय, जो कि बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ है।

†**श्री चौ० प्र० सिं० दौलता** (झज्जर): क्या इस विधान का परिणाम यह होगा कि हरियाना की जनता को प्रादेशिक समितियों द्वारा दी गई रियायतें भी छीन ली जायेंगी ?

†**श्री दातार** : यह केवल नौकरियों के बारे में है।

मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस विधेयक की व्यवस्थाओं का लगभग सभी ने एक स्वर से समर्थन किया है। हां, दो-तीन छोटी-मोटी बातों के बारे में अवश्य कुछ सुझाव दिये गये हैं।

दूसरी चीज़ यह है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलने वाले अधिकांश माननीय सदस्यों ने इसके विषय की सीमा का ध्यान नहीं रखा है, और भाषा, पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों के भी प्रश्न उठा दिये हैं।

ऐसी अधिकांश बातें असंगत हैं, हालांकि वे दिलचस्प अवश्य हैं। लेकिन फिर भी, मैं इस प्रविधिक आपत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहता। मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

इस विधेयक की व्यवस्थाओं के बारे में, कई माननीय सदस्यों ने यह ठीक ही बताया है कि निवास के आधार पर कोई विभेद किया जाना चाहिये या नहीं। इस मामले में हमारे सामने यह एक मुख्य प्रश्न है। जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान के अनुच्छेद १६(२) में वे कई परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाना चाहिये। उनमें भाषा का भी स्पष्ट उल्लेख है। इसी कारण से हमने यह आवश्यक समझा है कि हम जो भी विधि बनायें वह संविधान के अनुच्छेद १६ में दी गई व्यवस्थाओं या मुख्य सिद्धान्तों के बिल्कुल अनुरूप ही हो।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी कह दूं कि इस में भाषा का प्रश्न केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही उठता है। श्री गुहा ने जिस ज्ञापन का उल्लेख किया था, उस में इसी कारण से इस अर्हता विशेष को एक आवश्यक अपेक्षा के रूप में हटा देने का उल्लेख किया गया था। मैं सभा को बताता हूं कि यह प्रश्न केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही उठता है। कुछ भाषावार अल्पसंख्यकों द्वारा नौकरियों के सम्बन्ध में कुछ अर्हतायें प्राप्त न कर सकने से सम्बन्धित सिद्धान्त का प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप में ही हमारे सामने आता है। इसलिये इसमें यह रखा गया था कि ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये, और इस अपेक्षा को शीघ्र ही हटा देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां हमें भाषा सम्बन्धी अन्य परित्राणों से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं श्री गुहा को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिस ज्ञापन का उल्लेख किया है उसे सरकार ने राज्य सरकारों के पास पहले ही भेज दिया है और उस की एक प्रति सभा-पटल पर भी रख दी गई थी, और यह भी कि हम ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निवत्त मुख्य न्यायाधिपति, श्री मल्लिक को भाषावार अल्पसंख्यकों का आयुक्त नियुक्त कर दिया है। संविधान में इसके लिये एक अधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख है। अनुच्छेद ३०५ख तो अभी नया-नया ही रखा गया है। यह अनुच्छेद राज्यों के पुनर्गठन के समय ही जोड़ा गया है। उस में भाषावार अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कर्त्तव्य बताये गये हैं। अनुच्छेद ३०५ख के खण्ड (२) में कहा गया है कि विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अन्तर्गत भाषावार अल्पसंख्यकों के लिये व्यवस्थित परित्राणों से सम्बन्धित सभी मामलों की छानबीन करे और उन मामलों के सम्बन्ध में ऐसी अन्तरावधियों से राष्ट्रपति को प्रतिवेदित करे जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने और सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजने की व्यवस्था करेगा। भाषा संबंधी परित्राणों के आयुक्त या अधिकारी के यही कृत्य हैं। वही सभी स्थानों का दौरा कर के यह पता लगायेगा कि ज्ञापन में उल्लिखित भाषा सम्बन्धी परित्राणों को जनता और विभिन्न राज्य सरकारें किस सीमा तक प्रभावी बना रही हैं या उनका पालन कर रही हैं।

मेरे मित्र ने आपत्ति की थी कि इस की भाषा बड़ी भीरू है। यह भाषा भीरू नहीं बल्कि प्रविधिक भाषा है। हमें यह भी समझना चाहिये कि साधारणतया ये विषय विभिन्न राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में ही हैं, लेकिन संसद् ने राज्यों के पुनर्गठन के कारण ही कुछ परित्राण रखना आवश्यक समझा था। इसी विचार के अनुसार उन को विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेजा गया है, और हमारा अधिकारी उन अधिकारों से सम्बन्धित परित्राणों की देखभाल करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा के सामने उस अधिकारी का प्रतिवेदन आने पर हम इस बात का पता लगा सकेंगे कि इन सभी परित्राणों को किस सीमा तक उचित सम्मान दिया गया है। व्यक्तिगत तौर पर, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि सभी राज्य सरकारें अब भी सभी अपेक्षाओं का पालन करने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। मैं यह बताना आवश्यक नहीं समझता कि यह किस प्रकार किया जा रहा है, क्योंकि वह इस सीमित प्रकार के विधेयक की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित नहीं है। यह विधेयक तो केवल निवास के प्रश्न से सम्बन्धित है।

यहां यह भी कहा गया था कि इस विधेयक विशेष को पांच बर्ष से अधिक कालावधि के लिये प्रवत्त करना चाहिये। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह कहा था। लेकिन यह व्यवस्था विशेष एक विशिष्ट प्रकार की है। सामान्य नियम तो संविधान के अनुच्छेद १६ के उपखंडों (१) और (२) में दिया गया है। हमें उन का सम्मान करना चाहिये। सामान्य नियम यही होना चाहिये कि सभी को अवसर की समानता मिले, अपवाद बहुत थोड़े होने चाहियें, और उन अपवादों को यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिये। इसीलिये, इसमें पांच वर्षों की कालावधि रखी गई है।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव को बता दूं कि जहां तक तैलंगाना सम्बन्धी अपेक्षाओं का प्रश्न है, उस समझौते में पांच वर्षों की इस कालावधि का स्पष्टतया उल्लेख था कि पांच वर्षों की कालावधि एक बहुत ही उचित अवधि होगी। संविधान को प्रवृत्त हुए सात वर्ष तो हो ही चुके हैं और अब पांच वर्षों का काल यथेष्ट रहेगा। हमें चिन्ता इस बात की है कि ऐसे प्रश्नों के होते हुए भी अवसर की समानता बनी रहे और वह यथाशीघ्र सभी जनता को सुलभ की जा सके।

तीनों राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में, मैं बता दूं कि वहां की परिस्थितियां असामान्य हैं। उन असामान्य परिस्थितियों के कारण ही, यह आवश्यक समझा गया था कि जहां भी पिछड़ापन बहुत अधिक व्यापक है, वहां स्थानीय जनता को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नस्तरीय

[श्री दातार]

या अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ अभिस्वीकरण देना चाहिये। लेकिन, मैं श्री हेमराज की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि घोषित सेवाओं के लिये भी यह रियायत दी जानी चाहिये। वह एक बड़ी ही अवांछनीय स्थिति हो जायेगी ।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी सेवाओं का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझना चाहिये कि उनमें उच्चतम स्तर की कार्यक्षमता बनाये रखनी पड़ती है और यदि कुछ मामलों में वह नहीं पाई जाती तो उसे हासिल करना पड़ता है। संविधान ने, उचित कार्यक्षमता, या कार्यक्षमता का उचित मानदंड बनाये रखने की आवश्यकता को पूरा-पूरा महत्व दिया है, और इसी को देखते हुए अनुच्छेद ३३५ में पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में केवल यही एक अपवाद रखा है। उसमें अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों का उल्लेख करते समय कहा गया है कि उन्हें कार्यक्षमता के उचित मानदंड के अनुसार ही सरकारी सेवाओं में प्रवेश पाने का अधिकार दिया जायेगा।

उदाहरण के लिये, यदि कुछ अधीनस्थ सेवाओं की भांति किसी भी क्षेत्र विशेष में भी ऐसी निवास सम्बन्धी अर्हता रखी जाती है, तो फिर वहां की कार्यक्षमता नष्ट हो जायेगी। हमें यह समझ लेना चाहिये । हमें कार्यक्षमता के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, क्योंकि अब हम प्रशासन शब्द के पहले के अर्थों में केवल एक प्रशासन मात्र नहीं रह गये हैं। अब हम एक कल्याणकारी राज्य बनते जा रहे हैं, यदि अभी तक बन नहीं चुके हैं तो। इसीलिये, अब हमें और अधिक कार्यक्षमता की अपेक्षा है। इसीलिये, पिछड़ेपन को हमें शिक्षा-प्रसार के द्वारा ही दूर करना है, अशिक्षा को जारी रखने को प्रोत्साहन दे कर नहीं।

हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को पूरा-पूरा प्रोत्सहान दे ही चुके हैं और उन की भर्ती के लिये सभी सेवाओं में पदों की एक प्रतिशत संख्या सुरक्षित की जाती है। हम इतना ही कर सकते हैं। इस सीमा का अतिक्रमण करना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी कार्यक्षमता बनी रह सकती है ।

इसीलिये, मेरा अनुरोध है कि अन्य घोषित सेवाओं के सम्बन्ध में भी निवास सम्बन्धी अर्हता रखने का प्रस्ताव न रखा जाये। घोषित सेवाओं के द्वार तो भारतीय गणतंत्र के सभी नागरिकों के लिये, केवल गुण के आधार पर, खुले रहने चाहियें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का जहां तक सम्बन्ध है, संविधान में व्यवस्थायें की ही गई हैं। उनसे आगे बढ़ना खतरनाक होगा। इसीलिये, हमें पिछड़ेपन को पूरी तौर से दूर करना है; उन के लिये पदों की एक प्रतिशत संख्या सुरक्षित करते जाने, या उन के लिये क्षेत्रों विशेष में प्रतिभा-सम्पन्न लोगों के लिये सीमित कुछ घोषित या अन्य पदों को सुरक्षित करते जाने के रास्ते से नहीं। समूचा भारत एक इकाई है, और इसीलिये हम चाहते हैं कि हमारी सेवाओं में सब से अधिक बुद्धिमान लोग ही आयें । उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश या मनीपुर या त्रिपुरा जैसे छोटे क्षेत्रों को लीजिये। यदि उन क्षेत्रों में हम ये सभी पद स्थानीय लोगों के लिये ही सुरक्षित कर दें, तो उसके क्या परिणाम होंगे? माननीय मित्रों को इस पर भी तो विचार करना चाहिये। इसलिये, इस प्रश्न को एक अधिक व्यापक दृष्टि-कोण से, सेवाओं की कार्य-क्षमता के हित की दृष्टि से देखना चाहिये। इसीलिये, मैं कहता हूं कि हमने यथार्थ स्थिति को देखते हुए न्यूनतम रियायतें ही दी हैं। यही कारण है कि उसे अधीनस्थ सेवाओं तक ही सीमित रखा गया है, और इस मांग के सभी उपलक्षणों पर विचार करने वालों ने कभी भी ऐसी मांग नहीं की है ।

इसीलिये, इतने पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में, आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े हुए भाग—तैलंगाना—के सम्बन्ध में, इस की अनुमति दे दी गई है। इसे अधिक समय तक नहीं रहने देना चाहिये। पांच वर्षों के बाद इसे समाप्त कर देना चाहिये।

सामान्य सेवाओं का प्रश्न तो यहां बिल्कुल उठाया ही नहीं जाना चाहिये था, क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध तो केवल निवास सम्बन्धी अपेक्षा को हटाने तक ही सीमित है। इस कार्य को इस से आगे करने के लिये तो अन्य अभिकरण हैं। सेवाओं का एकीकरण किया ही जा रहा है, और उसे संतोषप्रद ढंग से करने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारें सभी आवश्यक कार्य कर रही हैं। इसलिये, इस प्रश्न विशेष का यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवायें ठीक उसी प्रकार की अधीनस्थ या अन्य सेवायें नही हैं जिन की कि हम बात करते हैं। पंडित भार्गव को मालूम होना चाहिये कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की उपयुक्तता के लिये अर्हतायें दी गई हैं और उन में प्रादेशिक या क्षेत्रीय विचार, या निवास सम्बन्धी अर्हताएं बिलकुल भी नहीं रखी गई हैं। वास्तव में जैसाकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में अन्य राज्यों के लोग भी एक अनुपात में रहने चाहियें। हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां तक भी सम्भव हो, हम राज्य पुनर्गटन आयोग की इस सिफारिश विशेष को प्रभावी बनाना चाहते हैं। हम ने इस की क्रिया आरम्भ भी कर दी है। मैसूर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति कलकत्ता का है, और अन्य भी एक दो ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहां के मुख्य न्यायाधिपति अन्य राज्यों के हैं। इलाहबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अभी हाल में आसाम में स्थानांतरित किया जा चुका है। यह प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और हम चाहते हैं कि हमारे उच्च न्यायालयों में सर्वोत्तम न्यायाधीश रहें। हम ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। उस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा हरियाना और अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कही गई बातों को समझने में असमर्थ रहा हूं।

†**एक माननीय सदस्य** : वह तो ३५ मिनट बोले हैं।

†**श्री दातार** : मुझे पता है कि उन्हों ने ३५ मिनट भाषण दिया परन्तु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जो बात जानना चाहता था उसे समझ नहीं सका क्योंकि एक बार तो उन्हों ने कहा कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिये और फिर कहा कि हरियाना जैसे स्थानों पर स्थानीय प्रतिनिधित्व की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। यदि वे अपने संशोधन के लिये आग्रह करें तो मैं इस प्रश्न की ओर निर्देश करूंगा। पंजाब के सम्बन्ध में भी हमारे पास दलों द्वारा सहमति प्राप्त एक सूत्र था। पंजाब के सूत्र में बहुत से विषयों का उल्लेख किया गया था परन्तु सेवाओं के विषय का उल्लेख नहीं था। जहां तक तेलंगाना के बारे में वर्तमान आंध्र प्रदेश के नेताओं के बीच हुए करार का सम्बन्ध है, उन्हों ने स्पष्टत: यह उल्लेख किया है कि अधीनस्थ सेवाओं में तेलंगाना क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलता रहे ; अत: उस पर सामान्य नियम लागू नहीं होना चाहिये।

पंजाब सम्बन्धी सूत्र में कुछ विषयों का उल्लेख था परन्तु सेवाओं के विषय में सर्वथा कोई उल्लेख नहीं था और मेरे मित्र का यह कहना उचित नहीं है कि भारत सरकार ने ऐसा करार नहीं होने दिया। यह बहुत दुख की बात है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम तो केवल उस समय परामर्श देते हैं जब हम से परामर्श मांगा जाता है। जहां तक इस करार का सम्बन्ध है इसे समस्त दलों का सब से अधिक समर्थन प्राप्त था। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाब में हरियाना के हितों को हानि पहुंचाई जा रही है। मुझे इतना ही कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सविधान के अनुच्छेद १६ के अनुसरण में, कुछ क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में निवास विषयक अपेक्षा के लिये विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(निवास विषयक अपेक्षा विदित करने वाली वर्तमान विधियों का निरसन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा खंडशः विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(कुछ क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों की कुछ श्रेणियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करते हुए दो तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्री हेमराज ने कहा है कि मैं ने कांगड़े का उचित प्रकार से उल्लेख नहीं किया । परन्तु कांगड़ा तो हिन्दी खंड में आ जाता है ।

जहां तक मैं समझता हूं माननीय मंत्री के कथन का अभिप्राय यह है कि तीन पिछड़े क्षेत्रों के लोग प्रशासन में दक्षता नहीं ला सकते । क्या उन का यह अभिप्राय है कि मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रशासन की दक्षता को बनाये रख सकें ? क्या वे यह समझते हैं कि घोषित कर्मचारी अघोषित कर्मचारियों से अधिक दक्ष हैं ? सभा में ऐसा कौन सदस्य है जो कार्य में दक्षता नहीं चाहता ? यदि आप यह उपबन्ध रखते हैं कि व्यक्ति कार्य में दक्ष होना चाहिये तो मैं आप के साथ सहमत हूं परन्तु घोषित और अघोषित कर्मचारियों में विभेद करना मेरी समझ से बाहर की बात है । पिछड़ी जातियों में ऐसा विभेद नहीं किया गया तो फिर पिछड़े क्षेत्रों में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है । उन लोगों को हीन समझना और केवल अधीनस्थ पदों के लिये उन्हें रियायत देना ठीक नहीं है । इन लोगों के लिये ५ वर्ष की कालावधि विहित करना मेरी समझ में नहीं आता । सभी राज्यों के लिये दस वर्ष की कालावधि कर दें तो अच्छा होगा । अनुसूचित जातियों को भी दस वर्ष तक रियायत देने का उपबन्ध किया गया था । मैं ने अपने भाषण में जो आंकड़े दिये थे उन के बारे में माननीय मंत्री ने कुछ नहीं कहा ।

इतने बड़े क्षेत्र को अंग्रेजों के ज़माने से जो अधिकार प्राप्त है उस से उन्हें वंचित करना ठीक नहीं है । संविधान के अनुच्छेद १४ में समानाधिकारों का उल्लेख है । उस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए हमें क्षेत्रों में सब विभेदों को दूर कर देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं भी सेवाओं का विभाजन नहीं चाहता, परन्तु पिछड़े क्षत्रों को तो कम से कम उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिये। यदि माननीय मंत्री इतना कह देते कि वे पंजाब सरकार को लिखेंगे कि हरियाना प्रदेश का ध्यान रखा जाये तो मैं संतुष्ट हो जाता परन्तु उन्हों ने तो सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं कहा। मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री हेमराज : संशोधन संख्या ५ और ६ प्रस्तुत करते हुये मैं अपने संशोधन के मुताल्लिक दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे गृह-मंत्रालय के मंत्री महोदय ने कहा था कि सर्विसेज़ में रिहायश के मुताल्लिक़ कोई कानून बनाना हो या कोई प्रतिबन्ध लगाना हो तो यह काम सिर्फ यह पार्लियामेंट ही कर सकती है। यह जो पंजाब का हिन्दी रीजन है यह बैकवर्ड एरिया (पिछड़ा क्षेत्र) है इसको सभी मानते हैं। इसको असेम्बली भी मानती है। लेकिन इसके मुताल्लिक़ रिहायश का कोई कानून राज्य की असेम्बली नहीं बना सकती और न कोई शर्त लगा सकती है। ऐसा सिर्फ यह पार्लियामेंट ही कर सकती है। इस बात का विचार करके मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे अमेंडमेंट को मंजूर कर लें ताकि हमारे साथ जो नाइन्साफी हो रही है वह कुछ हद तक दूर हो सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के समक्ष है।

चौ० प्र० सिंह दौलता : यह जो हरियाना के बारे में तरमीम है मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस बारे में कोई ठीक जवाब नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं हरियाना के लोगों से कहूं कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री हम से जो कुछ कहते रहे हैं, वह इस क्षेत्रीय सूत्र से खत्म हो जाते हैं। आज गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इस का सेवाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। हरयिाना क्षेत्रीय समिति के अधिकार में जो क्षेत्र हैं उनमें क्या पदों का रक्षण नहीं किया जायेगा ?

श्री दातार : मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। पंडित ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि मैं उनकी मांग के लिये कुछ सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहूं। परन्तु मैं जिन कारणों का उल्लेख पहले कर चुका हूं उनके फलस्वरूप ऐसा नहीं कर सकता। जहां तक हरियाना के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है भारत सरकार का इस से कोई सरोकार नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि आप राज्य सरकार से यह कह सकते हैं कि ससद् में इस विषय पर चर्चा हुई है।

†**श्री दातार** : मैं भाषण की प्रति पंजाब के मुख्य मंत्री को भेज सकता हूं। यदि मैं कुछ और कहूंगा या लिखूंगा तो यह राज्य सरकार के कार्य में बाधा होगी। अतः हमें बहुत सावधान रहना होता है। कुछ सदस्यों ने मुझ से ऐसे विषयों पर प्रश्न पूछे हैं जिन का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं अथवा जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से बाहर हैं। इन परिस्थितियों में मुझ से यह कहना उचित नहीं कि मैं कोई वचन दूं, यद्यपि मैं यह बता देना चाहता हूं कि सब राज्य वह सब करने के लिये प्रयत्नशील हैं जो ऐसे मामलों में करना आवश्यक है।

मेरे मित्र हरियाना और कांगड़ा की बात करते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है वे इस बात का ध्यान रखेंगी कि राज्य में लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। क्या हम इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं और उदाहरण के लिये क्या हम कह सकते हैं कि ५२ ज़िलों में से किसी एक ज़िले को उसकी जन संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले ? इससे बहुत अव्यवहार्य बातें पैदा होंगी। सहानुभूति के भाव से हम यही कह सकते हैं कि इस प्रश्न का अनौपचारिक रूप से लेना चाहिये न कि इस रूप में जो कि हमारे सामने है। मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ५ और ६ मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५--(धारा ३ और नियमों की कालावधि)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री श्रीनारायन दास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ १ में, विधेयक के पूरे नाम के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"and to repeal existing laws prescribing any such requirement".

---

†मूल अंग्रेजी में

(और ऐसी अपेक्षा विहित करने वाली वर्तमान विधियों का निरसन करने के लिये)

†**श्री दातार :** मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १ में, विधेयक के पूरे नाम के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and to repeal existing laws prescribing any such requirement." (और ऐसी अपेक्षा विहित करने वाली वर्तमान विधियों का निरसन करने के लिये ।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में निवास के सम्बन्ध में विभेद किया गया है । संविधान के अनुच्छेद १६ में निवास, लिंग, धर्म आदि के आधार पर विभेद से रक्षा की गई है । विधेयक के पहले आधे भाग में उन विधियों के बारे में व्यवस्था है जो संविधान से पूर्व लागू थीं और दूसरे आधे भाग में कतिपय राज्यों के बारे में किये गये उपवादों का उल्लेख है मैं पूछता हूं कि जहाँ राजनैतिक विचार धाराओं के आधार पर असमानताएं हैं, क्या वहाँ नौकरी के सम्बन्ध में समान अवसर और विधि द्वारा समान रक्षण का सिद्धान्त लागू किया जा सकता है ? मैं जानता हूं कि राज्यों में ऐसे कानून और नियम हैं जिनके अधीन राजनैतिक विचारों के आधार पर विभेद किया जाता है । जब कोई नौकरी के लिये आवेदन पत्र देता है तो एक प्रकार की जांच की जाती है कि अमुक व्यक्ति सत्तारूढ़ दल से सम्बन्ध रखता है अथवा किसी अन्य दल से । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री एक उदार विधान बनायें जिस के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक दल के व्यक्ति पर नौकरी के सम्बन्ध में रोक न हो ।

फिर इस विधेयक का सम्बन्ध केवल अधीनस्थ नौकरियों से है । क्यों न उच्च पदों को भी लिया जाय ? मुझे शिकायत मिली है कि उच्चतम न्यायालय तक में नियुक्तियों के नियमों में निवास सम्बन्धी बातों का विचार रखा जाता है । यदि कोई योग्य विधि वेत्ता हो तो वह चाहे कहीं का भी हो उसे लेना चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि और विधान प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ध्यान रखेंगे कि सरकारी नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी राजनैतिक विचार धारा के आधार पर पक्षपात नहीं होना चाहिये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों का स्वागत करते हुये एक त्रुटि के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । दक्षिणी भारत में निवास का इतना विभेद नहीं होता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

जितना कि धर्म जाति आदि का होता है । अतः विधेयक में केवल निवास को लेने की बजाये लिंग, धर्म, जाति के विभेद को भी लिया जाना चाहिये था ।

मैं पिछड़े जातियों को अवसर देने का विरोध नहीं करता परन्तु दक्षिण में जाति भेद के कारण अवसर की समानता में बहुत अड़चन पैदा होती है । मेरा निवेदन है कि सरकार और विधेयक प्रस्तुत करे जिस से लोगों को लिंग, धर्म जाति आदि के विभेद के बिना अवसर प्राप्त हो ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं केवल एक बात कहूंगा । माननीय मंत्री ने यह कहा है कि जहां तक हरियाना या हिंदी भाषी क्षेत्र का सम्बन्ध है यह केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं परन्तु मेरा कहना यह है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र की रचना तो भारत सरकार ने की है न कि पंजाब सरकार ने ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उनका तर्क यह था कि अन्य क्षेत्रीय समितियों के निर्माण के समय यह उपबन्ध लिया गया था कि सेवाओं में कुछ अनुपात होगा परन्तु पंजाब में ऐसा नहीं किया गया ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** परन्तु यहां प्रश्न क्षेत्राधिकार का है । यह विधेयक अनुच्छेद ३५ के अधीन लाया गया है और केवल संसद् ही उस के अधीन विधान बना सकती है अथवा पूर्व विधान का निरसन कर सकती है । पंजाब सरकार हरियाना वालों से यह नहीं कह सकती कि निवास के प्रश्न पर वे स्वयं निर्णय करेंगे । यह कहना कि क्योंकि हम पंजाब में हैं इसलिये हमारी मांग पर विचार नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ।

†**श्री दातार :** मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अपराधी परिवीक्षा विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी देने के बाद उन्हें रिहा करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं जान सकता हूं कि इस विधेयक के लिये कितना समय दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है अतः कम से कम इसे चार घंटे का समय देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकंदपुरम) : प्रथम वाचन के लिये चार घंटे नियत किये जाने चाहियें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मेरा सुझाव है कि यदि इसे प्रवर समिति को अथवा लोकमत जानने के लिये न भेजा जाय तो इसके लिये कम से कम दो दिन देने चाहियें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कल कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी और फिर उस की सिफारिश पर सभा विचार करेगी । माननीय सदस्य उस समय अपने सुझाव रख सकते हैं ।

†**श्री दातार** : यह विधेयक अपराधियों के सुधार के सम्बन्ध में कतिपय सिद्धान्तों पर आधारित है । साधारण विधि तो यह है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और उस का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे या तो जेल भेज दिया जाता है या जुर्माना किया जाता है । यह इस दृष्टिकोण के आधार पर था कि अपराधी को कुछ काल के लिये जेल में डाल दिया जाये ताकि वह समाज को अपराधपूर्ण कार्यों से हानि न पहुंचा सके । इसे कारावास का भयोत्पादक पहलू कहा जा सकता है परन्तु कतिपय अन्य पहलुओं की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया गया है और इस प्रश्न पर केवल भारत में ही नहीं वरन् संयुक्त राष्ट्र संघ में भी विचार किया गया है ।

कई बार राज्यों के जेल महा निरीक्षकों की बैठकें हुई हैं । १९२५ से कई बैठकें हो चुकी हैं । ये लोग जेल के अपराधियों से सम्पर्क में आते हैं और उन्होंने देखा है कि प्राय: अपराधी के साथ जो सख्ती की जाती है या वह वहां जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता । अपेक्षित परिणाम तो यह होना चाहिये कि उस के जीवन में सुधार हो और जेल से बाहर आने पर वह सुधरा हुआ जीवन व्यतीत करे, अपना सामाजिक जीवन आरम्भ करे जैसा जीवन प्रत्येक नागरिक का होता है । परन्तु प्राय: बहुत समय जेल में रहने पर भी उस में कोई सुधार नहीं होता और इस की बजाये वह और बिगड़ जाता है अथवा उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अत: केवल प्रशासन के दृष्टिकोण से नहीं और न ही अपराधी पर भयोत्पादक प्रभाव की दृष्टि से वरन् उसे सुधारने के विचार से जेल के सुधार या अपराधी के सुधार के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक समझा गया था ।

इस सम्बंध में जिस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है वह यह है कि एक व्यक्ति कुछ ऐसी परिस्थितियों अथवा ऐसी प्रवृत्तियों के कारण अपराधी बन जाता है जो कि समाज विरोधी और अपराधपूर्ण होती हैं । अत: उसे सुधारने या उसे मानवीय स्तर पर लाने के लिये सुधार की ऐसी बातें ढूंढने की आवश्यकता है जिन से वह अच्छा व्यक्ति बन जाये और कुछ समय पश्चात् सुधर जाये ।

हम ने इन्हीं दो सिद्धान्तों का ध्यान रखा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२७१–९७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२८	सीमेंट का कोटा	२७१-७३
१२९	नेपाल में सड़कें	२७३
१३०	बर्मा में भारतीय	२७४-७५
१३१	सीमावर्ती छापे	२७५-७६
१३२	दण्डकारण्य योजना	२७६-७८
१३४	नंगल उर्वरक कारखाना	२७८-७९
१३५	गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र में विनियोजन	२७९-८१
१३६	मध्यमवर्गीय परिवार आय-व्ययक	२८१-८२
१३८	दिल्ली से दफ्तरों का बाहर भेजा जाना	२८२-८४
१३९	मानसरोवर जानें वाले तीर्थयात्री	२८४-८५
१४०	प्रादेशिक संग्रहालय	२८५-८६
१४२	मेसर्स अतुल इंडस्ट्रीज, बलसार	२८६-८८
१४३	अर्जेन्टाइना को कपड़े का निर्यात	२८९
१४५	निष्क्राम्य सम्पत्ति	२८९-९०
१४७	अल्यूमिनियम उद्योग	२९०-९१
१४८	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	२९१
१४९	आन्ध्र में छोटे पैमाने के उद्योग	२९१-९२
१५०	ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन	२९३-९४
१५२	कच्ची फिल्में	२९४-९५
१५३	राज्य व्यापार निगम	२९५-९६
१५४	हथकरघे का कपड़ा	२९६-९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९७–३२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३३	मकान के किराये	२९७-९८
१३७	निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) का अखबारी कागज का कारखाना	२९८
१४१	लंका में भारतीय	२९८
१४४	बनारस में आयात किये गये रेशम का वितरण	२९९
१४६	छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का केन्द्र	२९९
१५१	विदेशी मुद्रा	२९९-३००
१५५	भारतीय सद्भावना मिशन	३००
१५६	भारत-जापान व्यापार करार	३०१
१५७	अल्जीरिया	३०१
१५८	दिल्ली के लिये आवंटन समिति	३०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

१५९	कानपुर की कपड़ा मिलें	३०२
१६०	काजू	३०२-०३
१६१	प्रैस परिषद् विधेयक	३०३
१६२	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	३०३
१६३	हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी	३०३-०४
१६४	जलाभेद्य कपड़ा (वाटरप्रूफ फैब्रिक)	३०४
१६५	मोज बनियान आदि का उद्योग	३०४
१६६	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	३०५
१६७	निर्माण कार्यों में सीमेंट की बचत	३०५
१६८	काजुओं की मींगियों का निर्यात	३०५
१६९	मोटर परिवहन श्रमिक	३०६

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१७८	काजू और मिर्चें सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन परिषद्	३०६
१७९	लौह-अयस्क और अभ्रक का निर्यात	३०६
१८०	कपड़े और सूत का उत्पादन	३०७
१८१	अम्बर चरखा योजना	३०७
१८२	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और सामुदायिक परियोजनायें	३०८
१८३	काम दिलाऊ दफ्तर	३०८-०९
१८४	आणविक गवेषणा	३०९
१८५	पाकिस्तान में भारतीय	३०९
१८६	नाभिकीय विज्ञान में गवेषणा	३०९
१८७	अम्बर चरखा कार्यक्रम	३०९-१०
१८८	चाय उद्योग	३१०
१८९	कलकत्ते में ट्रांसमीटर	३१०
१९०	दिल्ली में निष्क्रान्त व्यक्तियों के घर	३१०-११
१९१	दिल्ली में मकान-कर	३११
१९२	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाल का मामला	३११
१९३	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३१२
१९४	नरसिंह गिरजी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, शोलापुर	३१२
१९५	राजाभट चाय बगान में हड़ताल	३१२-१३
१९६	आकाशवाणी के पदाधिकारी	३१३
१९७	उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति	३१३
१९८	कर्मण्यित कोयले के कारखाने	३१३-१४
१९९	काबुल में राजदूतावास भवन	३१४
२००	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	३१४

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०१	आकाशवाणी में मनीपुरी कार्यक्रम	३१४
२०२	कृत्रिम हीरों का कारखाना, मेत्तुपलयम (मद्रास)	३१५
२०३	रेशों की चटाइयां	३१५
२०४	औद्योगिक विकास के लिये सहायता	३१५
२०५	कर्नाटक खादी बोर्ड	३१६
२०६	राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन	३१६
२०७	केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा स्टेशन, बरहामपुर	३१६-१७
२०८	सूती वस्त्र मिल, दिल्ली	३१७
२०९	सूती कपड़े की मिलों का बन्द होना	३१७-१८
२१०	कपड़ा मिलें	३१८
२११	हथकरघा उद्योग	३१८-१९
२१२	नंगल उर्वरक कारखाना	३१९
२१३	कार्यालयों को शिमला स्थानान्तरित करना	३१९
२१४	रेडियो संगीत सम्मेलन	३१९-२०
२१५	मध्य प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	३२०
२१६	रेडियो और कारों का निर्माण	३२०
२१७	लौह-अयस्क का निर्यात	३२०-२१
२१८	पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन	३२१
२१९	विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर	३२१
२२०	मैडागास्कर में भारतीय	३२१-२२
२२१	पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां	३२२
२२२	स्थानीय विकास कार्य	३२२
२२३	व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल	३२२-२३
२२४	चलचित्र संगीत	३२३
२२५	अपरिष्कृत ऊन	३२३-२४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३२४–२६

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) दूसरे वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्यवाही के एक व्याख्यात्मक विवरण सहित ।

(२) संशोधित रूप में लोक ऋण नियम, १९४६ की एक प्रति ।

(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ अगस्त, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५१५/आर/अमेंड १७ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(४) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १६५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०६२/आर/अमेंड १८ की एक प्रति।

(५) खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, १६५७ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक २८ सितम्बर, २६५७ का एस० आर० ओ० ३०५१।

(२) दिनांक १६ अक्तूबर, १६५७ का एस० आर० ओ० ३३३३।

(३) दिनांक ८ नवम्बर, १६५७ का एस० आर० ओ० ३५३६।

(६) रबड़ नियम, १६५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ अक्तूबर, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२२६ की एक प्रति।

(७) आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के बीच सीमा संबंधी विवाद पर श्री पाटस्कर के दो प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति ।

(८) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के संचालक मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ निगम के ३१ दिसम्बर, १६५६ तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखा–परीक्षित लेखे की एक प्रति।

(६) दिनांक २४ अक्तूबर, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४१६ म प्रकाशित कोयला खान विनियम, १६५७ की एक प्रति।

(१०) जुलाई, १६५७ में नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति।

(११) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :—

(१) दिनांक ५ अक्तूबर, १६५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३१४१।

(२) दिनांक ५ अक्तूबर, १६५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३१४२ जिस में सीमा-शुक प्रत्याहृत (जिप जंजीरें) नियम, १६५७।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३२६
श्री न० रा० मुनिस्वामी ने दक्षिण रेलवे के विजयवाड़–मद्रास सेक्शन में रेलवे लाइनों के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया। रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने उस सम्बन्ध में वक्तव्य की एक प्रति पटल पर रखी।	
विधेयक पारित	३२६–६४
(१) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पारित हुआ तथा खण्डशः विचार करने के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।	
(२) सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक पर विचार किया गया और उसे संशोधित रूप में पारित किया गया।	
विधेयक विचाराधीन	३६४–६५
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अपराधी परिवीक्षा विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाये। श्री दातार का भाषण समाप्त नहीं हुआ।	
शक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि	
अपराधी परिवीक्षा विधेयक, १९५७ पर और आगे विचार और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प।	